# वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

सत्यमेव जयते

नीति आयोग

# विषय-सूची

**1 नीति आयोग - एक सिंहावलोकन**

संगठनात्मक ढांचा 2

उद्देश्य और कार्य 4

**2 सहयोगपूर्ण संघवाद**

मुख्यमंत्रियों का उप–समूह 10

कार्यदल 13

राज्यों के साथ हमारा कार्य 15

विकेंद्रीकृत आयोजना 16

**3 नीति निर्माण संबंधी भूमिका**

आदर्श भूमि पट्टाकरण अधिनियम 22

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 23

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए मेक इन इण्डिया कार्यनीति 24

गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य–योजना 26

12वीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन 27

विनियामक सुधार विधेयक 29

**4 क्षेत्रकीय उद्देश्य और उपलब्धियाँ**

कृषि 32

स्वास्थ्य, पोषण, महिला और बाल विकास 34

शिक्षा 38

कौशल विकास 43

शहरीकरण प्रबंधन 46

ग्रामीण विकास 48

| | |
|---|---|
| ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग | 49 |
| अवसंरचना | 54 |
| उद्योग | 63 |
| वित्तीय संसाधन | 66 |
| प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण | 68 |
| 1 जल संसाधन | 68 |
| 2 पर्यावरण और वन | 70 |
| 3 खनिज | 71 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 73 |
| सामाजिक न्याय | 75 |
| विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन | 78 |
| शासन और अनुसंधान | 81 |
| एनआईएलईआरडी | 85 |
| परियोजना मूल्यांकन | 86 |
| स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ | 90 |
| डेटा प्रबंधन और विश्लेषण | 91 |
| अंतरराष्ट्रीय कार्य | 92 |
| पहुंच और संचार | 96 |

15
16

# नीति आयोग-एक सिंहावलोकन

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
अध्यक्ष

अरविंद पानगड़िया
उपाध्यक्ष

राव इंद्रजीत सिंह
योजना राज्य-मंत्री

डॉ. बिबेक देबरॉय
सदस्य

डॉ. वी.के. सारस्वत
सदस्य

प्रो. रमेश चंद
सदस्य

अमिताभ कांत
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

| सलाहकार | वर्टिकल | राज्य |
|---|---|---|
| युद्धवीर सिंह मलिक | अपर सचिव (केआईएच) इस्पात, भारी उद्योग एवं पीई, वस्त्र, कारपोरेट मामले, एमएसएमई, डीआईपीपी, रक्षा, डीआरडीओ, परमाणु ऊर्जा | हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ |
| डॉ. सी. मुरली कृष्ण कुमार | वरिष्ठ सलाहकार (केआईएच), (इंफ्रा I), डिजिटल और ग्रामीण क्नेक्टिविटी, एआईएम, डिजिटल इंडिया, दूरसंचार, डीईआईटीवाई, डाक, सूचना एवं प्रसारण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पृथ्वी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा (आर एंड डी), डीएसआईआर / सीएसआईआर | |
| आलोक कुमार | अपर सचिव (टीआईएच और केआईएच) इन्फ्रा (III), फिजिकल कनेक्टिविटी नागर विमानन, पोत–परिवहन | बिहार |
| अशोक कुमार जैन, सलाहकार (केआईएच और टीआईएच), (आरडी) | स्वच्छ भारत अभियान, सभी के लिए आवास, मनरेगा, ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन, आरडी, एचयूपीए, पेयजल एवं स्वच्छता | कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
| डॉ. मनोज सिंह, सलाहकार (केआईएच) | रेलवे, सड़क और राजमार्ग निर्माण, नागर विमानन, पोत–परिवहन | |
| श्रीमती सुनीता सांघी, सलाहकार (केआईएच और टीआईएच) | कौशल विकास, रोजगार, शहरीकरण प्रबंधन | |
| डॉ. सविता शर्मा, सलाहकार (केआईएच) | डाटा प्रबंधन और विश्लेषण एमओएसपीआई | |
| डॉ. जे. पी. मिश्रा, सलाहकार (केआईएच), (कृषि) | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आईडब्ल्यूएमपी कृषि एवं किसान परिवार कल्याण, एएच और एफ, भूमि संसाधन, खाद्य प्रसंस्करण | |
| डॉ. योगेश सूरी, सलाहकार (केआईएच) | शासन एवं अनुसंधान, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रसायन एवं उर्वरक, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, एआर | गुजरात, उत्तराखंड |
| एस.एस. गणपति, सलाहकार (केआईएच) | आरडी (पीएमजीएसवाई) | |
| श्रीकर नाएक, सलाहकार (केआईएच) | एसजे और ई, निशक्तता मामले, जनजातीय मामले, अल्पसंख्यक, संसदीय कार्य, योजना | |
| यू.के. शर्मा, सलाहकार (केआईएच) | समन्वय, परियोजना अनुवीक्षण ई–समीक्षा, पीएमजी प्रगति ओसीएमएस एआईएम, डिजिटल इंडिया, डीबीटी, दूरसंचार, डीईआईटीवाई, डाक, सूचना एवं प्रसारण | |
| प्रवीण महतो, सलाहकार | पीआईबी / पीपीएसी एवं कार्यक्रम मूल्यांकन सचिवालय | |
| अनिल कुमार जैन, सलाहकार (टीआईएच और केआईएच) | इंफ्रा–II, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, परमाणु ऊर्जा, विद्युत, एमएनआरई, पी एंड एनजी, कोयला, विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामले | महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ |
| सुश्री अलका तिवारी, सलाहकार | युवा कार्यक्रम और खेल, पर्यटन, संस्कृति, मानव संसाधन विकास (स्कूल, शिक्षा, साक्षरता, उच्च शिक्षा) | बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश |
| आलोक कुमार–II सलाहकार (टीआईएच) | स्वास्थ्य, पोषण, महिला और बाल विकास एनएचएम, आईसीडीएस, बीबीबीपी, एच और एफ डब्ल्यू, आयुष, एनएसीओ, स्वास्थ्य, फार्मा, मेडिकल रिसर्च, महिला एवं बाल विकास | असम, केरल, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल |
| जितेन्द्र कुमार, सलाहकार (टीआईएच और केआईएच) | प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण, पीएमकेएसवाई, हरित भारत मिशन, पत्तन आधारित विकास का समन्वय, द्वीप विकास, ई और एफ, डब्ल्यूआर, डीओएनईआर, खान | अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, नागालैण्ड, संघ राज्य–क्षेत्र |

# नीति आयोग के उद्देश्य और कार्य

सरकार ने योजना आयोग को नीति आयोग नामक एक नई संस्था से प्रतिस्थापित कर दिया है। यह एक परिपक्व संस्थागत ढांचे के विकास के अनुरूप है जो कार्यक्षेत्र सुविज्ञता का प्रावधान करता है और हमें संस्थागत कार्यकरण की विशिष्टता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। योजना की प्रक्रिया के संदर्भ में, शासन की 'प्रक्रिया' को शासन की 'कार्यनीति' से अलग करने के साथ–साथ उसे ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता है।

शासन संरचनाओं के संदर्भ में, हमारे देश की परिवर्तित अपेक्षाएं एक ऐसी संस्था की स्थापना करने की आवश्यकता को दर्शाती हैं जो निदेशात्मक और नीतिगत उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हुए सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करे। प्रस्तावित संस्था को केन्द्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों को नीति के प्रमुख घटकों के संबंध में सुसंगत कार्यनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करनी होगी। इसके तहत आर्थिक क्षेत्र के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मामले, देश के भीतर और अन्य राष्ट्रों में उपलब्ध सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेशन तथा विशिष्ट मुद्दों पर सहायता प्रदान करना शामिल है। यह संस्था परिवर्तनशील और अधिक एकीकृत विश्व, जिसका भारत एक भाग है, के संदर्भ में प्रतिक्रिया करने में समर्थ होनी चाहिए।

अनेक पणधारकों, जिनमें अन्य के साथ–साथ राज्य सरकारें, कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञ और संगत संस्थाएं शामिल थीं, के साथ विस्तृत परामर्श करने के बाद नीति आयोग को उक्त आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से अभिकल्पित किया गया है। नीति आयोग के गठन संबंधी संकल्प में निर्धारित किए गए प्रमुख उद्देश्यों, जिन्हें हासिल करने की दिशा में यह कार्य करेगा, का ब्यौरा इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 1.2 में दिया गया है।

नीति आयोग को सहयोग, संघवाद, नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहन, अवसरों तक समतावादी पहुंच, सहभागितापूर्ण और अनुकूली शासन तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण, निदेशात्मक और कार्यनीतिक सुझाव (इनपुट) प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। यह और इसके साथ–साथ विकास के नए–नए उपायों के प्रेरक की भूमिका निभाना नीति आयोग का कोर मिशन है।

नीति आयोग के प्रमुख कार्यों को चार व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत समूहित किया जा सकता है। कार्य आबंटन नियम, 1961 की संशोधित प्रविष्टि 49 (अनुलग्नक 1.3 देखें) में इनमें से प्रत्येक शीर्ष के तहत किए जाने वाले विस्तृत कार्यों का ब्यौरा दिया गया है।

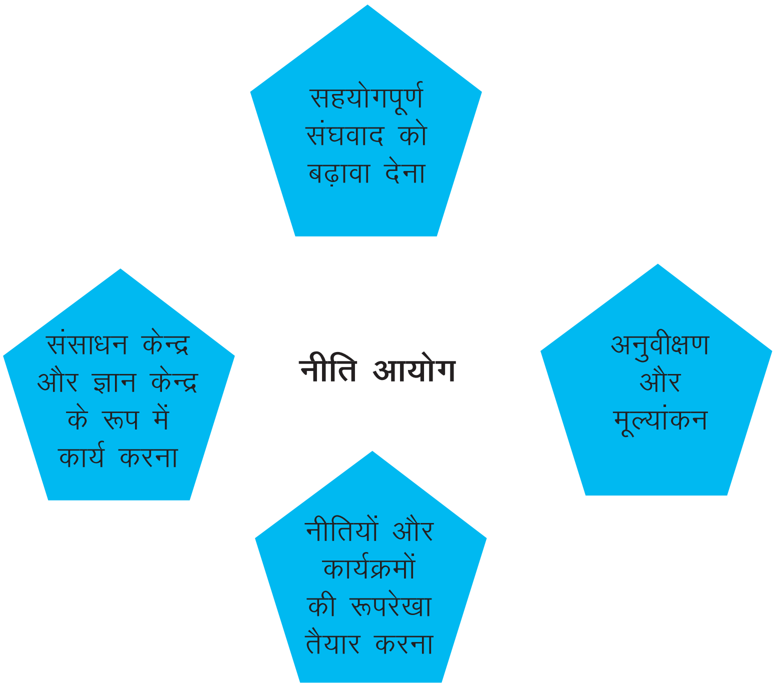

इसे कार्यान्वित करने के लिए नीति आयोग के समस्त कार्यकलापों को दो मुख्य केन्द्रों के बीच विभाजित किया गया है – टीम इण्डिया केन्द्र तथा ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र जो नीति आयोग के ढांचे और कार्यकरण का मुख्य आधार हैं। टीम इण्डिया केन्द्र 'सहयोगपूर्ण संघवाद' को बढ़ावा देने तथा 'नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने' के अधिदेश को कार्यान्वित करता है। यह नीति आयोग को राज्यों के साथ इसके कार्यों के संबंध में अपेक्षित समन्वय और सहयोग प्रदान करता है। ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र का अनुरक्षण करने; सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों पर अनुसंधान करने के साथ–साथ उन्हें पणधारियों तक पहुंचाने में मदद करने; महत्वपूर्ण पणधारियों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के अधिदेश की पूर्ति सुनिश्चित करता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोनों केन्द्रों के अध्यक्ष हैं।

टीम इण्डिया केन्द्र में नीति आयोग के 6 विषय प्रभाग शामिल हैं तथा ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र में 10 विषय प्रभाग शामिल हैं। समस्त वर्टिकलों की सूची निम्नानुसार है :

| | |
|---|---|
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | विज्ञान और प्रौद्योगिकी |
| डेटा प्रबंधन और विश्लेषण | प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण |
| ग्रामीण विकास | सामाजिक क्षेत्रक I, II |
| परियोजना मूल्यांकन, सार्वजनिक–निजी भागीदारी मूल्यांकन और सार्वजनिक निवेश बोर्ड | राज्य समन्वय प्रभाग एवं विकेन्द्रीकृत आयोजना |
| कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक | उद्योग |
| अवसंरचना – क्नेक्टिविटी | प्रशासन |
| मानव संसाधन विकास, शासी परिषद सचिवालय और समन्वय | अवसंरचना – ऊर्जा, अंतराष्ट्रीय सहयोग, सामान्य प्रशासन एवं लेखा |
| शासन और अनुसंधान | |

## प्रशासन और सहायक एकक

पूर्ववर्ती योजना आयोग से नीति आयोग जैसे पूर्णतया नए संगठन का सृजन करने में एक विशाल पुनर्संरचना प्रक्रिया सम्मिलित थी। नीति आयोग सचिवालय की पुनर्संरचना संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के अनुसरण में और नीति आयोग के कर्मचारियों की संख्या को युक्तियुक्त बनाने के लिए इसे 1255 से घटाकर 500 कर दिया गया था। टीम इण्डिया तथा ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्रों का गठन किया गया और तदनुसार वर्टिकलों और कोर प्रभागों का सृजन किया गया।

नीति आयोग का प्रशासन, नीति आयोग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर नॉडल विभाग अर्थात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के माध्यम से भारत सरकार के वर्तमान अनुदेशों और सेवा नियमों के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन, अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सभी पहलुओं यानी भर्ती, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा मामलों से संबंधित अदालती मामलों के साथ–साथ इन मामलों के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। इसे

स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्रों को आयोजना प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षुता स्कीम/अनुसंधान सहयोगी से संबंधित दायित्व भी सौंपे गए हैं।

नीति आयोग ने, नीति आयोग को सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए युवा व्यावसायिकों, परामर्शदाताओं और वरिष्ठ परामर्शदाताओं हेतु दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रशासन I/भर्ती प्रकोष्ठ ने 'युवा व्यावसायिक कार्यक्रम 2015' के तहत नीति आयोग में युवा व्यावसायिकों के चयन की प्रक्रिया आरंभ की। लघु सूचीयन और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद 46 रिक्तियों को भरने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को और आरक्षित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को प्रस्ताव–पत्र जारी किए गए। युवा व्यावसायिक कार्यक्रम के माध्यम से नीति आयोग युवा व्यावसायिकों को सार्वजनिक नीति, योजना, विकास तथा विकास के लिए प्रासंगिक अन्य क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रहा है और यह अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ अर्थशास्त्र, वित्त, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, शहरी आयोजना और अवसंरचना के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक इनपुट प्रदान करेगा।

नीति आयोग ने (i) विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के संबंध में साहित्य पर अनुसंधान करने/विशिष्ट कार्य करने, (ii) उपाध्यक्ष और सदस्यों के निदेशानुसार नीति आयोग की वेबसाइट के डेटा और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों संबंधी खण्डों का निर्माण करने, (iii) पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान देते हुए परिवहन (जैसे कि सड़कें, रेलवे, पोत–परिवहन) पर अनुसंधान और नीतिगत कार्य करने, (iv) स्वास्थ्य, महिलाओं, बाल विकास और गरीबी न्यूनीकरण पर विशेष जोर देते हुए सामाजिक क्षेत्रकों में अनुसंधान और नीतिगत कार्य करने, (v) विधिक क्षेत्र, जैसे कि संविधियों और प्रशासनिक कानूनों का सुधार, के संबंध में अनुसंधान और नीतिगत कार्य करने तथा (vi) रणनीतिक क्षेत्रकों/ऊर्जा क्षेत्रक/रेलवे इंजीनियरिंग/संचार/सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश के संबंध में प्रौद्योगिकी का विकास करने एवं प्रौद्योगिकी विकास स्कीमों आदि का प्रौद्यो–वाणिज्यिक मूल्यांकन करने के लिए 5 परामर्शदाताओं को नियोजित किया है। विशेष कार्य अधिकारी के रूप में एक (1) और परामर्शदाता को नियोजित करने संबंधी प्रस्ताव पर भी कार्रवाई की गई है।

नीति आयोग ने भारत में नवोन्मेष और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा भारत की गंभीर और कठिन समस्याओं के अत्यंत कम लागत वाले समाधान खोजने के लिए ''अटल नवोन्मेष मिशन'' तथा ''स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग'' में एक (1) मिशन निदेशक और पांच (5) प्रबंधकों को नियोजित करने की प्रक्रिया शुरू की।

नीति आयोग ने शासन और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के क्षेत्र से संबंधित नीतिगत पहलों, नवोन्मेषी परियोजनाओं और भागीदारियों के पोर्टफोलियो को अभिकल्पित और कार्यान्वित करने हेतु शासन और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी वर्टिकल में एक परामर्शदाता का नियोजन करने की प्रक्रिया भी शुरू की।

**नीति आयोग से सम्बद्ध कार्यालयः**

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) का विलय करके 18 सितम्बर, 2015 को विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) का गठन किया गया है; और नीति आयोग को सौंपे गए मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण संबंधी अधिदेश को पूरा करने हेतु इसे नीति आयोग के तत्त्वावधान में एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), जो अपनी किस्म का एकमात्र संस्थान है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1962 में की गई थी। यह नीति आयोग, योजना मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केन्द्रीय स्वायत्त संगठन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डॉ. अरविंद पानगड़िया इसकी महा–परिषद् के अध्यक्ष हैं। श्री अमिताभ कांत, सीईओ इसकी कार्य–परिषद् के अध्यक्ष हैं और डॉ. योगेश सूरी, सलाहकार को एनआईएलईआरडी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस संस्थान के मूलभूत उद्देश्य मानव पूंजी आयोजना और मानव संसाधन विकास के सभी पहलुओं में अनुसंधान करना, डेटा संग्रहण करना तथा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है।

# सहयोगपूर्ण संवाद

नीति आयोग को सहयोगपूर्ण संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने, भारत में सुशासन को संभव बनाने तथा राष्ट्र को सशक्त बनाने वाले सशक्त राज्यों का निर्माण करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। वास्तविक रूप से संघीय राष्ट्र में हासिल किए जाने वाले अनेक उद्देश्यों का देश–भर में राजनैतिक प्रभाव पड़ सकता है। राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के बिना किसी भी संघीय सरकार के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को हासिल करना असंभव है। अत: यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि केन्द्र और राज्य सरकारें समानता के आधार पर मिलकर कार्य करें। सहयोगपूर्ण संघवाद के दो प्रमुख पहलू निम्नानुसार हैं:

(i) केन्द्र और राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडे का संयुक्त रूप से विकास, (ii) केन्द्रीय मंत्रालयों में राज्य परिप्रेक्ष्यों का समर्थन।

तदनुसार, नीति आयोग को राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने का अधिदेश दिया गया है। इन प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय उद्देश्यों को परिलक्षित करना चाहिए और राज्यों को सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। नीति आयोग को, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करने और इन्हें उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तरों पर समेकित करने में भी राज्यों की मदद करनी चाहिए। इसका उद्देश्य, उस चरण, जब विकास नीतियों का निर्णय केन्द्र द्वारा लिया जाता था, से वास्तव में संघीय सरकार की दिशा में प्रगति करना है जिसमें राज्य योजना प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार हैं।

सरकार ने केन्द्रीय करों के विभाज्य् पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के संबंध में चौदहवें वित्त् आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश को भी स्वीवकार कर लिया है। यह राज्यों को करों के अंतरण में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। इससे राज्यों को स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार स्कीमों का अभिकल्प तैयार करने और उनका वित्तपोषण करने के संबंध में अधिक स्वायत्तता मिलेगी। यह अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश राज्यों को विशेष रूप से, पिछड़े क्षेत्रों में विकास की कमी को दूर करने के लिए, लाभकारी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन करने में भी समर्थ बनाएगी।

सरकार की राज्य सरकारों को शामिल करने की नीति, नीति आयोग की विचार–विनिमय की प्रक्रियाओं में परिवर्तन से परिलक्षित होती है।

**शासी परिषद् की पहली बैठक**

नीति आयोग की शासी परिषद् की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई थी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से सहयोगपूर्ण संघवाद का एक ऐसा मॉडल तैयार करने हेतु केन्द्र के साथ मिलकर कार्य करने का आग्रह किया जिसमें केन्द्र और राज्य यानी टीम इण्डिया मतभेदों का समाधान करने हेतु मिलकर कार्य कर सकते हैं तथा प्रगति और समृद्धि के साझे पथ की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। अतः शासी परिषद् ने सहयोगपूर्ण संघवाद की भावना से यह निर्णय लिया था कि नीति आयोग मुख्यमंत्रियों के तीन प्रमुख उप–समूह गठित करेगा:

- केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों का युक्तिकरण
- कौशल विकास
- स्वच्छ भारत अभियान

इसके अतिरिक्त, यह निर्णय भी लिया गया था कि राज्य, नीति आयोग के नेतृत्व में, कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन के संबंध में दो कार्यदलों का गठन करेंगे।

नीति आयोग द्वारा सभी उप–समूहों की रिपोर्टें प्रधान मंत्री कार्यालय को सौंप दी गई हैं। मुख्यमंत्रियों के उप–समूह की बैठक के फलस्वरूप अनेक विवादास्पद मुद्दों पर न केवल उप–समूहों में शामिल राज्यों के लिए अपितु क्षेत्रीय बैठकों, परामर्श आदि के माध्यम से अन्य राज्यों के लिए भी सर्वसम्मति बनाने में मदद मिली।

नीति आयोग की शासी परिषद् की दूसरी बैठक 15 जुलाई, 2015 को आयोजित की गई थी जिसमें प्रधान मंत्री ने इस विजन को दोहराया कि विकास संबंधी सभी प्रयास राज्यों पर केंद्रित होने चाहिए। प्राथमिकताओं के दुतरफा प्रवाह और सहयोगपूर्ण कार्रवाई पर आधारित संघीय ढांचे की दिशा में कार्य करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने की कार्यनीति तैयार करने हेतु नीति आयोग में राज्य–समूहों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गईं थी। तत्पश्चात, राज्यों के योजना और वित्त सचिवों के साथ 30 नवम्बर, 2015 को ''नीति आयोग की भूमिका – राज्यों के साथ परामर्श'' शीर्षक के तहत एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें राज्यों के साथ संरचनात्मक विचार–विमर्श की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई।

**शासी परिषद् की दूसरी बैठक**

इस सम्मेलन में योजना की बजाय नीति पर क्रमिक रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत की वकालत की गई ताकि सार्वजनिक और निजी कर्ताओं के व्यवहार को प्रभावित किया जा सके। यह परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों, जिनमें आज निवेश का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है, के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है।

यह भी देखा गया कि अधिकांश राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं ने अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाओं से बड़ा आकार हासिल कर लिया था। इसके परिणामस्वरूप राज्यों को न केवल केन्द्र सरकार अपितु अंतर्राष्ट्रीय सरकार और गैर–सरकारी निकायों के साथ भी और अधिक विचार–विनिमय करने की जरूरत है। इसे संभव बनाने के लिए शासी परिषद् ने नीति आयोग द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए थेः

1. राज्यों को सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और ज्ञान का अंतरण करने हेतु एक भण्डार के रूप में कार्य करना।
2. केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ उनके विवादों का समाधान करने में राज्यों का पक्ष–समर्थन करना।
3. केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों के संबंध में राज्यों की समस्याओं विशेषकर पारदर्शी मानदंडों की जरूरत और निधियों की समय पर निर्मुक्ति संबंधी समस्याओं का समाधान करना।

परस्पर निर्णय लिया गया कि केन्द्र से राज्यों की अपेक्षाओं के संबंध में विचार–विमर्श करने हेतु प्रतिवर्ष कम–से–कम दो बैठकें की जाएंगी अर्थात् अक्तूबर या नवम्बर में एक वार्षिक सम्मेलन और अप्रैल में बजट के बाद बैठक। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का सम्मान करते हुए दो कार्यदल भी गठित किए गए हैं अर्थात् i) पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों संबंधी कार्यदल और ii) केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों संबंधी कार्यदल।

# मुख्यमंत्रियों का उप-समूह

1. **केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के युक्तिकरण के संबंध में मुख्यमंत्रियों का उप-समूहः**

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के संयोजकत्व में 9 मार्च, 2015 को मुख्यमंत्रियों के एक उप–समूह का गठन किया गया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के उप–राज्यपाल सदस्यों के रूप में तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग समन्वयक के रूप में शामिल थे।

उप–समूह ने, उप–समूह के सदस्यों के साथ–साथ गैर–सदस्यी राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद 27 अक्तूबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर दी है।

**सीएसएस संबंधी उप-समूह की प्रमुख सिफारिशें**

मौजूदा सीएसएस को मुख्य (कोर) और वैकल्पिक स्कीमों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। सीएसएस के तहत, राष्ट्रीय विकास एजेंडा को शामिल करने वाली स्कीमों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जहां केन्द्र और राज्य टीम इंडिया की भावना से मिलकर कार्य करेंगे।

मुख्य स्कीमों में से सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन संबंधी स्कीमों को सर्वाधिक महत्व वाली स्कीमें (कोर ऑफ द कोर) माना जाना चाहिए और इन्हें राष्ट्रीय विकास एजेंडा के तहत उपलब्ध निधियां सबसे पहले मुहैया कराई जानी चाहिए।

वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को वैकल्पिक स्कीमों के लिए एकमुश्त निधियां आबंटित की जाएंगी और राज्य यह चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे कौन–सी वैकल्पिक स्कीम कार्यान्वित करना चाहते हैं।

किसी भी क्षेत्रक में एक अम्ब्रैला स्कीम होनी चाहिए और उसके सभी उप–घटकों के वित्तपोषण का पैटर्न एकसमान होना चाहिए।

**वित्तपोषण के पैटर्न के संबंध में उप-समह की सिफारिशें निम्नानुसार हैं :**

| | |
|---|---|
| कोर स्कीमें : | (क) 8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों के लिए केन्द्रः राज्यः 90:10 |
| | (ख) अन्य राज्यों के लिएः केन्द्रः राज्य 60:40 |
| | (ग) विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिएः केन्द्र 100% |
| वैकल्पिक स्कीमें : | (क) 8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों के लिए केन्द्रः राज्यः 80:20 |
| | (ख) अन्य राज्यों के लिएः केन्द्रः राज्यः 50:50 |
| | (ग) विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिएः केन्द्र 100% |
| | (घ) विधानमंडल वाले संघ राज्य–क्षेत्रों के लिएः केन्द्रः संघ राज्य–क्षेत्रः 80:20 |
| सर्वाधिक महत्वपूर्ण (कोर ऑफ द कोर) स्कीमें: | सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्कीमों (कोर ऑफ द कोर) के लिए वित्तपोषण के मौजूदा पैटर्न को जारी रखा जाए। |
| | (क) आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और संविदा शिक्षकों के पारिश्रमिक को वर्तमान स्तरों पर कायम रखा जाएगा। तथापि, इस संबंध में केन्द्रीय सहायता (सीए) को अगले 2 वर्षों के लिए वर्तमान स्तर पर नियत किया जा सकता है। |
| | (ख) स्कीमों और संस्थागत तंत्र में लचीलापनः राज्यों के मामले में किसी स्कीम के आबंटन का 25% भाग और संघ राज्य–क्षेत्रों के मामले में 30% भाग, फ्लेक्सी निधि होना चाहिए जिसे वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यय किया जाएगा। |
| | (ग) सीएसएस का अभिकल्प मोटे तौर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के समान होना चाहिए और स्कीम में बड़ी संख्या में स्वीकार्य घटक होंगे और राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार घटकों को चुनने की स्वतंत्रता होगी। |
| | (घ) वित्त मंत्रालय मुख्य (कोर) स्कीमों के लिए स्कीम–वार आबंटन करेगा। प्रत्येक मुख्य स्कीम में, राज्यों को निधियों के आबंटन के लिए पारदर्शी मानदंड होंगे। वैकल्पिक स्कीमों के लिए राज्यों को एकमुश्त आबंटन के लिए भी पारदर्शी मानदंड होंगे। ये मानदंड, नीति आयोग द्वारा राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श से विकसित किए जाएंगे। |
| | (ङ) राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों में केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों की निगरानी के मामले में नीति आयोग का समवर्ती अधिकार होगा। |
| | (च) नीति आयोग द्वारा तृतीय–पक्ष मूल्यांकन। |

## 2. स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में मुख्यमंत्रियों के उप-समूह द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट:

महात्मा गांधी को उनकी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रद्धांजलि के रूप में 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत के विजन को पूरा करने के लिए 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) शुरू किया गया था। एसबीएम एक संगठित उपागम है और यह देश में सर्वव्यापक स्वच्छता कवरेज हासिल करने, स्वच्छता की स्थिति को सुधारने और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को तेज करने हेतु अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण और शहरी, दोनों घटक हैं – स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।

इस मिशन में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे घटक शामिल हैं।

स्वच्छ भारत संबंधी इस उप–समूह में आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सदस्यों के रूप में शामिल हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इस उप–समूह के संयोजक हैं। उप–समूह ने, उप–समूह के सदस्यों के साथ–साथ गैर–सदस्य राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद 14 अक्तूबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर दी है।

## 3. कौशल विकास के संबंध में मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की रिपोर्ट:

उप–समूह के गठन की अधिसूचना 24 मार्च, 2015 को जारी की गई थी जिसके अनुसार असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पुदुचेरी, त्रिपुरा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके सदस्यों के रूप में, पंजाब के मुख्यमंत्री इसके संयोजक के रूप में तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग इसके समन्वयक के रूप में शामिल थे।

उप–समूह के विचारार्थ–विषय निम्नलिखित से संबंधित थे: एकीकृत प्रदायगी हेतु राज्य कौशल विकास मिशनों का सुदृढ़ीकरण कौशल विकास के विभिन्नं पहलुओं में निजी क्षेत्रक की सहभागिता में सुधार करना; कौशल कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाना, स्थानीय निकायों, सिविल सोसायटी संगठनों, रेलवे तथा सशस्त्र बलों को कौशल प्रयासों में भाग लेने के लिए सक्रिय करना; जीविका मार्गदर्शन प्रदान करना और प्रशिक्षणोपरांत नियोजन की निगरानी करना तथा पायलटों की अप–स्केलिंग, सर्वोत्तम पद्धतियों के प्रसार और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुकरण के संबंध में और वित्तपोषण के लिए संसाधन जुटाने के संबंध में राज्य स्तरीय नवोन्मेषी उपाय सुझाना।

उप–समूह ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सितम्बर, 2015 में प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर दी गई है और रिपोर्ट की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले कार्रवाई–योग्य बिंदुओं को सभी हितधारकों को शामिल करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा।

**रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें**

राज्य कौशल विकास मिशनों के सुदृढ़ीकरण के जरिए राज्य स्तर पर संस्थागत प्रदायगी ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना।

कौशल विकास कार्यक्रमों की सुलभता, पहुंच और गुणवत्ता को सुधारना।

प्रशिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्ता को सुधारना।

कौशल विकास के पैमाने को बढ़ाने के लिए वित्तपोषण के वैकल्पिक स्त्रोतों की पहचान करना।

पाठ्यक्रम विकास, प्रदायगी तंत्र और प्रमाणन सहित कौशल विकास के सभी पहलुओं में निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।

कौशल विकास के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना।

# कार्यदल

### 1. कृषि विकास संबंधी कार्यदल

कृषि के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए कृषि में पुनः जान डालने की कार्यनीतियों की सिफारिश करने, सुधार, नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु कार्यनीतियां तैयार करने, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के ज्ञानवर्धन के लिए सफल प्रयोगों और कार्यक्रमों को चिन्हित करने हेतु तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्या सरकारों के कार्यदलों के साथ समन्वय करने और सामंजस्य विकसित करने हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कृषि विकास संबंधी कार्यदल का गठन किया गया था।

कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि संबंधी कार्यदल ने नई पहलों को चिन्हित किया है। इनमें निम्नलिखित पहलें शामिल हैं: फसलों हेतु संसाधनों के आबंटन के संबंध में एकीकृत उपागम को अपनाना; बागवानी और पशुधन की हिस्सेदारी को राज्य कृषि (जीएसडीपी) में उनके अंशदान और उपलब्ध संसाधन जीएसडीपी के साथ सहकालिक बनाना: प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों के प्रमाणन और अंगीकरण में सक्रिय सहभागिता के साथ प्रौद्योगिकीय समाधानों का पता लगाने के लिए ज्ञान–आधारित कृषि को बढ़ावा देना; उत्पादन प्रणालियों और फॉरवर्ड लिंकेजिस के समर्थन हेतु एक उपयुक्त, कृषक–उन्मुखी संस्थागत ढांचे जैसे कि कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का विकास करना; तथा कृषि–उद्योग संयोजनों को प्रोत्साहित करना।

कार्यदल द्वारा कृषि क्षेत्रक में अनेक सतत मुद्दे भी चिन्हित किए गए हैं जिन पर और अधिक ध्यान देना अपेक्षित है। इनमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं: उर्वरक के उपयोग में कुशलता हासिल करना (एनपीके संतुलन), मृदा विश्लेषण, मृदा स्वास्थ्य कार्डों के सुनिश्चित उपयोग, मृदा स्वास्थ्य संबंधी अभियानों के जरिए मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और उर्वरक सब्सिडी का समाधान करना; विद्युत में निवेश; अनुसंधान और विस्तार; कृषि विपणन और व्यापार (एकल राष्ट्रीय बाजार); खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उद्योग से संयोजन; कृषि भूमि चकबंदी (भूमि स्वाामित्व और भूमि पट्टाकरण एवं बिक्री कानून); ऋण और वित्त; छोटे और सीमांत किसानों से संबंधित चिंताएं; फसल बीमा और केन्द्रीय क्षेत्रक एवं केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों का अभिसरण जिसमें मानव और पूंजीगत दोनों प्रकार के संसाधनों का एकत्रीकरण, लाभकारी और पारिस्थितिकी–अनुकूल प्रौद्योगिकियों का अंतरण तथा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजिस की व्यवस्था के माध्यम से मूल्यवर्धन शामिल होगा।

दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान प्राप्त सुझावों तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सुझावों को शामिल करने के लिए कृषि विकास संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया गया है। कुल 20 राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों ने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंप दी है। कार्यदल के कार्य पर आधारित विचार–विमर्श संबंधी लेख कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों के लिए कृषि को लाभकारी बनाना' नीति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। फरवरी, 2016 में गांधीनगर, बेंगलूरू और नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों के साथ तीन क्षेत्रीय परामर्श बैठकें की गईं थीं। यह रिपोर्ट अप्रैल, 2016 के अंत में सौंप दी गई थी।

अत्यावश्यक व्यावसायिक विविधीकरण और तीव्र ग्रामीण रूपांतरण के लिए भूमि पट्टाकरण को वैध और उदारीकृत बनाने हेतु उचित संशोधनों का सुझाव देने के प्रयोजनार्थ राज्यों के मौजूदा कृषि काश्तकारी कानूनों की समीक्षा करने हेतु भूमि पट्टाकरण के संबंध में एक विशेषज्ञ समूह भी गठित किया गया है। इस विशेषज्ञ समूह ने आदर्श भूमि पट्टाकरण अधिनियम तैयार करने के लिए राज्यों, गैर–सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों और कृषक–समूहों से परामर्श किया था। आदर्श भूमि पट्टाकरण अधिनियम 31 मार्च, 2016 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र में कपास और मध्य प्रदेश में दालों के संबंध में कीमत भरपाई भुगतान (पीडीपी) पर प्रायोगिकों पर भी विचार किया जा रहा है।

**2. भारत में गरीबी उन्मूलन के संबंध में कार्यदल**

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की दिनांक 8 फरवरी, 2015 को हुई पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में नीति आयोग द्वारा डॉ. अरविंद पानगड़िया, उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में 16 मार्च, 2015 को भारत में गरीबी उन्मूलन के संबंध में एक कार्यदल गठित किया गया था।

दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को आयोजित की गई कार्यदल की पहली बैठक में हुए विचार–विमर्श के आधार पर नीति आयोग द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों को एक संकल्पना नोट और पृष्ठभूमि लेख परिचालित किया गया। अभी तक कार्यदल ने क्रमश: दिनांक 7 अप्रैल, 2015; 20 मई, 2015 और 29 जून, 2015 को तीन बैठकें की हैं।

इस कार्यदल के गठन से संबंधित अधिदेश में यह कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने–अपने कार्यदल की रिपोर्ट नीति आयोग को प्रस्तुत करेंगी और तत्पश्चात् नीति आयोग का कार्यदल इन रिपोर्टों पर विचार करेगा और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। अभी तक नीति आयोग को 16 राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, 11 राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों ने कार्यदल के गठन के बारे में सूचित किया है परंतु अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। शेष नौ राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों ने अपने–अपने राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र में समानांतर कार्यदल का गठन करने के बारे में नीति आयोग को अभी तक सूचित नहीं किया है।

उपर्युक्त कार्यदल द्वारा किए गए कार्य तथा राज्यों द्वारा गठित किए गए कार्यदलों की रिपोर्टों में दिए गए सुझावों के आधार पर 'गरीबी उन्मूलन: रोजगारों का सृजन और सामाजिक कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण' शीर्षक के तहत एक प्रासंगिक पेपर तैयार किया गया है और नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (www.niti.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है।

इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया है कि भारत में गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिनांक 13 अप्रैल, 2016; 22 अप्रैल, 2016; 2 मई, 2016 और 6 मई, 2016 को क्रमश: हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली और पटना में चार क्षेत्रीय परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी।

## राज्यों के साथ हमारा कार्य

### 1. राज्यों में विकास के प्रयासों को विलम्बित करने वाले लंबित केन्द्र-राज्य मुद्दों का समाधान

नीति आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों में तेलंगाना राज्य के लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए अभूतपूर्व पहल की। यह कार्य, अंतर–क्षेत्रीय और अंतर्विभागीय मुद्दों का समाधान करने हेतु एक मंच प्रदान करने और विकास एजेंडा के कार्यान्वयन को तीव्र करने के इसके अधिदेश के मद्देनजर किया गया।

तेलंगाना राज्य द्वारा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, वित्त और ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित कुल बीस मुद्दों को चिन्हित किया गया। नीति आयोग द्वारा इन मुद्दों का विवरण देते हुए संबंधित मंत्रालयों को एक नोट भेजा गया और विभिन्न मंत्रालयों में राज्य के लंबित मुद्दों के समाधान को सुसाध्य बनाने हेतु श्री अरविंद पानगड़िया, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नीति आयोग में राज्य और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई।

दोनों अंतर्ग्रस्त पक्षों को संतुष्ट करते हुए सभी मुद्दों का या तो समाधान कर दिया गया या उन्हें समाधान के अत्यंत निकट पहुंचा दिया गया। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्षों ने नेकनीयती से मामलों पर विचार–विमर्श किया और अपेक्षानुसार नम्यता दर्शायी और जब दूसरे पक्ष द्वारा वांछित परिणाम व्यवहार्य नहीं था तो उस संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया।

तदनुसार, उपाध्यक्ष द्वारा भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया गया कि वे केन्द्र सरकार की मंजूरी या अनुमोदन की अपेक्षा रखने वाले किसी भी लंबित मुद्दे के लिए नीति आयोग की मध्यस्थता का उपयोग करें ताकि राष्ट्र के विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।

उपर्युक्त के अलावा, राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच पीएमकेएसवाई से संबंधित अनेक मुद्दों का भी नीति आयोग की मध्यस्थता की मदद से समाधान किया गया।

### 2. केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्यों को सीएसएस निधियों के फार्मूला आधारित आबंटन को प्रोत्साहन

केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों के युक्तिकरण के संबंध में मुख्यमंत्रियों के उप–समूह की सिफारिश के अनुसार नीति आयोग ने केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के तहत राज्यों को केन्द्रीय निधियों के वितरण के लिए एक विषयपरक और पारदर्शी फॉर्मूला सृजित करने की मांग की। नीति आयोग ने सीएसएस निधियों के वितरण के लिए एक विषयपरक फॉर्मूला तैयार करने हेतु तुरंत कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को पत्र लिखा।

फरवरी, 2016 में जब केन्द्र और कई राज्य सरकारों के स्तरों पर बजट बनाने की कार्रवाई पूरे जोर पर थी, नीति आयोग ने सभी नॉडल मंत्रालयों के सचिवों को यह सुझाव दिया कि यह पूर्णतया उचित होगा कि राज्य सरकारों को उन्हें सौंपी जाने वाली केन्द्रीय निधियों की स्कीम–वार मात्रा की व्यापक जानकारी हो ताकि वे बेहतर योजना बना सकें और सीएसएस का अधिक तीव्र कार्यान्वयन भी सुनिश्चित कर सकें। मंत्रालयों को अब तक विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों के बीच निधियों की अदला–बदली करने की स्वतंत्रता थी। तथापि, फॉर्मूले के सृजन से, राज्यों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए विषयपरक और सामयिक कार्यपद्धति का सृजन होगा और आबंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। राज्यों को प्रत्येक सीएसएस के तहत उन्हें आबंटित की जाने वाली निधियों की पूर्व जानकारी मिल जाने से वे संघीय बजट के जारी होने की प्रतीक्षा किए बिना अपने बजटों में तदनुरूपी क्षेत्रकों को तदनुसार निधियां आबंटित कर सकते हैं।

फॉर्मूला तैयार करने का कार्य तीन–सदस्यीय समिति को सौंपा गया है जिसमें सीएसएस का कार्यान्वयन करने वाले नॉडल मंत्रालय के सचिव अध्यक्ष के रूप में तथा मंत्रालय के वित्त सलाहकार और नीति आयोग के सलाहकार इसके सदस्यों के रूप में शामिल हैं। नीति आयोग सभी राज्य सरकारों के साथ परामर्श के आधार पर अपने सुझाव और सिफारिशें देगा। यह निर्णय सहयोगपूर्ण संघवाद के संबंध में नीति आयोग की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। इसके माध्यम से आयोग ने सभी पार्टियों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय नीति निर्माण में राज्यों की प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित की है।

## विकेंद्रीकृत आयोजना

नीति आयोग में राज्य समन्वय और विकेंद्रीकृत आयोजना प्रभाग को संरचनात्मक सहयोग और पहलों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने तथा ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करने और इन्हें उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तरों पर समेकित करने का दायित्व सौंपा गया है।

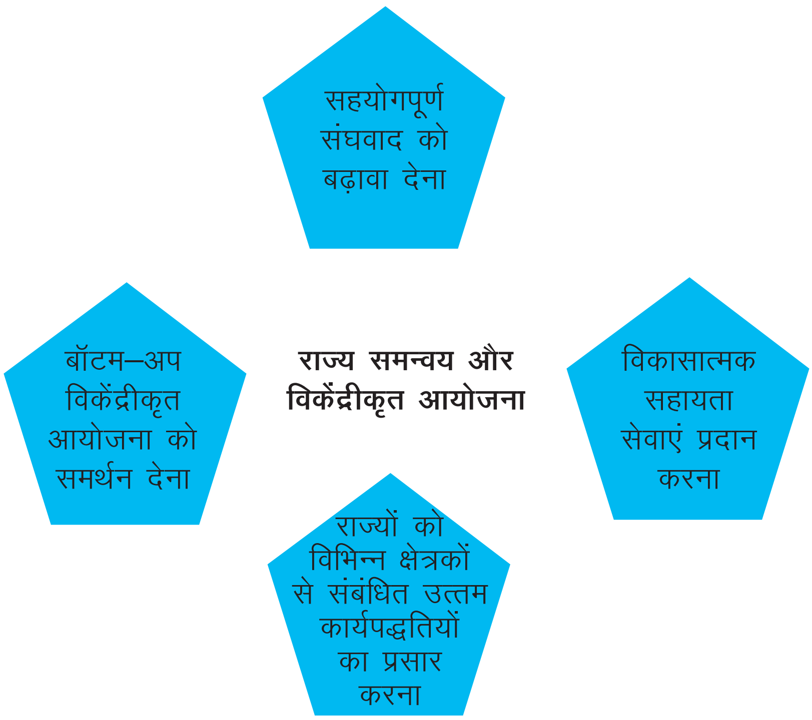

## 1. 'नीति आयोग की भूमिका' के संबंध में राज्यों के साथ परामर्श

नीति आयोग की भूमिका के संबंध में दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को आयोजित किए गए सम्मेलन में योजना की बजाय नीति पर क्रमिक रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत की वकालत की गई ताकि परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य, जिसमें निवेश का अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है, के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक और निजी कर्ताओं के व्यवहार को प्रभावित किया जा सके। चूंकि अधिकांश राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं ने अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाओं से बड़ा आकार हासिल कर लिया था, इसलिए इस बात को स्वीकार किया गया कि राज्यों को न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और अधिक विचार–विनिमय करने की जरूरत है।

नीति आयोग द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के संबंध में दिए गए सुझावों में निम्नलिखित शामिल थे: राज्यों को सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और ज्ञान का अंतरण करने हेतु एक भण्डार के रूप में कार्य करना, राज्यों द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों में उठाए गए मुद्दों का समर्थन करना, केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों के संबंध में राज्यों की समस्याओं विशेषकर पारदर्शी मानदंडों, निधियों की निर्धारणीय और समय पर निर्मुक्ति की जरूरत संबंधी समस्याओं का समाधान करना। परस्पर निर्णय लिया गया कि केन्द्र के साथ राज्यों की अपेक्षाओं का युग्मन करने के संबंध में विचार–विमर्श करने हेतु प्रतिवर्ष कम–से–कम दो बैठकें की जाएंगी अर्थात् अक्तूबर–नवम्बर में एक वार्षिक सम्मेलन और अप्रैल में बजट के बाद बैठक।

इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार दो कार्यदल भी गठित किए गए हैं अर्थात् i) पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों संबंधी कार्यदल और ii) केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों संबंधी कार्यदल।

### पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

(क) पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के विकास हेतु कार्ययोजना: पूर्वोत्तर राज्यों और इसी प्रकार की स्थिति वाले पूर्वी राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विकास हेतु नीति आयोग में आंतरिक रूप से प्रारूप कार्य योजना तैयार की गई है। प्रारूप कार्य योजना को टिप्पणियों के लिए सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों को परिचालित किया गया है। कार्ययोजना को राज्यों और अन्य हितधारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिए जाने की आशा है। इसमें पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के सतत विकास के लिए उचित कार्यनीतियां शामिल होंगी। नीति आयोग द्वारा कार्ययोजना के निष्पादन के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के संबंध में एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है और आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) एनएलसीपीआर दिशानिर्देशों को तर्कसंगत बनाना; डीओएनईआर मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों वाली एक उप–समिति ने निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल (एनएलसीपीआर) के तहत परियोजना अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सिफारिशें प्रस्तुतत की हैं:–

(i) एनएलसीपीआर के तहत निधियों का अंतर्राज्यीय आबंटन;

(ii) परियोजनाओं का प्रतिधारण;

(iii) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के अनुमोदन/पुनरीक्षण की प्रक्रिया;

(iv) किस्तों में निधियां जारी करना;

(v) स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी।

ये सिफारिशें एनएलसीपीआर के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन की गति को तेज करने हेतु की गईं हैं।

(ग) छठी अनुसूची के तहत शामिल क्षेत्रें के लिए आबंटन: नीति आयोग ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में छठी अनुसूची के क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बजट 2015-16 की मांग सं. 37 से 1,000 करोड़ रु. की सिफारिश की है। यह आबंटन ''संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल क्षेत्रों के लिए एक–बारगी सहायता'' के रूप में किया गया है।

## 2. सामाजिक क्षेत्रक सेवा प्रदायगी में उत्तम पद्धतियों संबंधी स्त्रोत पुस्तक

नीति आयोग द्वारा प्रकाशित इस स्त्रोत पुस्तक में 37 केस अध्ययन शामिल हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रकों अर्थात् स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता, वित्तीय समावेशन, बाल संरक्षण, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण, अवसंरचना एवं विकास, स्थानीय शासन, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के संबंध में विकास पद्धतियों की नवोन्मेषी पहलें शामिल हैं।

## 3. सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए 51 संकेतकों के संबंध में जिला स्तरीय पृथक-पृथक डेटा

नीति आयोग की नई भूमिकाओं में से एक भूमिका यह है कि यह राज्यों के विकास का अनुवीक्षण करने हेतु जिला स्तर से ऊपर बढ़ते हुए डेटा का एक भंडार तैयार करे। यह पहली बार है जब देश–भर के पृथक–पृथक डेटा को मिलाने का एक व्यापक कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। यह विस्तृत डेटा, जिसे स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचना और तत्पश्चात् जल, सड़क तथा बिजली और सूचना प्रौद्योगिकी की उपलब्धता जैसी भौतिक अवसंरचना के तहत समूहित किया गया है, नीति आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इस डेटा को निम्न स्रोतों से लिया गया है: जनगणना 2011, जिला स्तरीय परिवार और सुविधा सर्वेक्षण (डीएलएचएस) और जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई)। इसमें सभी राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों के पांच प्रमुख क्षेत्रकों नामत: स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, बिजली और दूरसंचार को शामिल किया गया है।

## 4. पत्तन आधारित विकास

पत्तन आधारित विकास पर एक संकल्पना नोट तैयार किया गया था और टिप्पणियों के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया था। संकल्पना नोट में गैर–प्रमुख पत्तधनों के विकास, अंतर्क्षेत्रों के साथ सम्पर्कता–सड़क, रेल और जलमार्ग, अंतर्क्षेत्रों में पत्तन–आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजैड), पोत निर्माण और मरम्मत, तटीय नौवहन, तटीय पर्यटन, समुदाय कल्याण आदि पर जोर दिया गया है। आशा है कि पत्तन आधारित विकास तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए समुद्री व्यापार में पर्याप्त विकास को सुसाध्य बनाएगा।

## 5. द्वीपों का विकास

भारत सरकार ने प्रस्तावित किया है कि वह समुद्री व्यापार, नौपरिवहन, मात्स्यिकी, पारिस्थितिकी–पर्यटन, अंत: समुद्र खनन, तेल और गैस तथा अन्य् सामाजिक–आर्थिक कार्यकलापों के लिए चिन्हित द्वीपों का विकास करेगी। इसका द्वीपों में ऊर्जा के अपारंपरिक स्त्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, महासागर तापीय ऊर्जा आदि के प्रोत्साहन के साथ डीजल के उपयोग को प्रतिस्थापित करने का भी लक्ष्य है।

नीति आयोग द्वीपों के संधारणीय विकास के लिए कार्यनीतियां तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इसने समग्र विकास के लिए द्वीपों के चयन को अंतिम रूप देने हेतु अंतर–मंत्रालयी परामर्श–बैठकों में सक्रियता

से भाग लिया। नीति आयोग का, द्वीपों के समग्र विकास को संधारणीय आधार पर संचालित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए द्वीपों के लघुसूचीयन की प्रक्रिया जारी है।

### 6. विशेष सहायता के माध्यम से पिछड़े राज्यों की सहायता

| राज्य | विशेष सहायता क्षेत्र | जारी राशि (करोड़ रु.) |
|---|---|---|
| बिहार | विशेष सहायता क्षेत्र | 1887.53 |
| पश्चिम बंगाल | सड़क, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य क्षेत्रकों को बढ़ावा देने के लिए | 836.77 |
| ओडिसा | ओडिसा के केबीके जिलों में विकास कार्यकलापों के लिए | 132.00 |
| मध्य प्रदेश | बुंदेलखण्ड क्षेत्र में विकास कार्यकलापों/जल प्राथमिकता संबंधी अंत:क्षेपों के लिए | 405.58 |
| उत्तर प्रदेश | बुंदेलखण्ड क्षेत्र में विकास कार्यकलापों/जल प्राथमिकता संबंधी अंत:क्षेपों के लिए | 264.84 |

### 7. विकेंद्रीकृत आयोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यों की सहायता

राज्य सरकार के सभी स्तरों पर विकेंद्रीकृत आयोजना प्रक्रिया के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा तीन राज्यों नामत: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिसा की सहायता की गई है। इसे नीति आयोग की एससीडीपी परियोजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

इससे सहभागितापूर्ण क्षमता आकलन अध्ययन पर आधारित जिला आयोजना समितियों (डीपीसी) के संस्थागत विकास हेतु भावी कार्ययोजनाएं तैयार करने में राज्यों के लिए सहायता सुनिश्चित हुई है।

प्रशिक्षकों और व्यवसायियों की सहायता के लिए ''सामाजिक जांच के लिए मैनुअल: सामाजिक क्षेत्रक कार्यक्रमों में जवाबदेही लाना'' के नाम से व्यावसायिकों के लिए मैनुअल प्रकाशित किया गया। क्षमता विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ''जेंडर इनक्लूसिव प्लानिंग: ट्रेनिंग मैनुअल फॉर फेसिलिटेटर्स'' के नाम से प्रशिक्षण मैनुअल प्रकाशित किया गया। जिला/उप–जिला स्तरों पर आयोजना और कार्यान्वयन में जेंडर और महिला सशक्तिकरण संबंधी मुद्दों का समाधान करने हेतु 282 मुख्य सुविधा–प्रदाताओं और स्थानीय संसाधकों को प्रशिक्षित किया। विकेन्द्रीकृत आयोजना के संबंध में प्रिंट, प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया के लगभग 150 पत्रकारों को सुग्राही बनाया गया।

उपरोक्त के अलावा, ओडिसा में 10 चयनित ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग अवार्ड के तहत अंतरित संसाधनों का उपयोग करने हेतु ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 65 मुख्य सुविधा–प्रदाताओं और 147 स्थानीय सामाजिक जांच–कर्ताओं को विभिन्न फ्लैगशिप स्कीमों की सामाजिक जांच करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

### 8. मानव विकास परियोजना

गुजरात के 8 जिलों के लिए जिला मानव विकास रिपोर्टें तैयार की गईं और जारी की गईं।

''मानव विकास: कर्नाटक में 30 जिलों, तालुकों और शहरी स्थानीय निकायों का कार्य–निष्पादन, 2014 एक स्नैपशॉट'' तैयार करके जारी किया गया।

दिल्ली के लिए प्राथमिक और द्वितीय डेटा पर आधारित एमडीजी रिपोर्ट 2014 तैयार करके जारी की गई।

गुजरात राज्य में मानव विकास पर छह प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए नामत: 1. मानव विकास, 2. स्वास्थ्य और मानव विकास, 3. शिक्षा और मानव विकास, 4. जेंडर और मानव विकास, 5. गरीबी और मानव विकास, 6. सुरक्षा और मानव विकास।

महाराष्ट्र के तीन जिलों के लिए जिला मानव विकास रिपोर्टें तैयार करके जारी की गईं।

# नीति निर्माण संबंधी भूमिका

# कृषि भूमि पट्टाकरण संबंधी आदर्श अधिनियम

नीति आयोग ने भूमि पट्टाकरण और भूमि स्वामित्व के विषय पर विचार–विमर्श करने के लिए 24 अगस्त, 2015 को राज्यों के मुख्य सचिवों और राजस्व विभाग के प्रधान सचिवों की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक के परिणामस्वरूप कृषि वर्टिकल में भूमि पट्टाकरण संबंधी विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। भूमि पट्टाकरण संबंधी विशेषज्ञ समूह ने विभिन्न पणधारकों के साथ परामर्श किया। 8 जनवरी, 2016 को विज्ञान भवन में राज्यों, विशेषज्ञों, विधि विशेषज्ञों, किसानों और कृषक संगठनों तथा गैर–सरकारी संगठनों के साथ राष्ट्रीय स्तर की परामर्श बैठक भी आयोजित की गई थी। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट के साथ–साथ आदर्श कृषि भूमि पट्टाकरण अधिनियम दिनांक 31-03-2016 को नीति आयोग को प्रस्तुत कर दिया। आदर्श अधिनियम को www.niti.gov.in पर सार्वजनिक कर दिया गया है।

**विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ-विषयः**

1. पर्वतीय राज्यों और अनुसूचित क्षेत्रों सहित राज्यों के मौजूदा कृषि काश्तकारी कानूनों की समीक्षा करना;
2. पूर्ववर्ती जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी क्षेत्रों में भूमि प्रणाली की विशिष्ट विशेषताओं की जांच करना;
3. अत्यावश्यक कृषि कुशलता, साम्यता, व्यावसायिक विविधीकरण और तीव्र ग्रामीण रूपांतरण के लिए भूमि पट्टाकरण को विधिसम्मत और उदारीकृत बनाने की जरूरत के मद्देनजर उचित संशोधनों का सुझाव देना;
4. राज्यों के साथ परामर्श से आदर्श कृषि भूमि पट्टाकरण अधिनियम तैयार करना; और
5. कोई अन्य संबंधित मामला।

**आदर्श कृषि भूमि पट्टाकरण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं**

1. कृषि कुशलता, साम्यता और गरीबी न्यूनीकरण को बढ़ावा देने के लिए भूमि पट्टाकरण को विधिसम्मत बनाना। इससे कृषि में अत्यावश्यक उत्पादकता सुधार लाने के साथ–साथ लोगों की व्यावसायिक गतिशीलता और तीव्र ग्रामीण बदलाव के संबंध में भी मदद मिलेगी।
2. सम्मत पट्टा अवधि के लिए भू–स्वामियों के लिए भूमि स्वामित्व अधिकार की पूर्ण सुरक्षा तथा काश्तकारों के लिए काश्तकारी की अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सभी क्षेत्रों में भूमि पट्टाकरण को विधिसम्मत बनाना।
3. काश्तकारी के समाप्त हो जाने के बाद भी काश्तकार के पास किसी प्रकार के न्यूनतम भू–क्षेत्र को छोड़ने की अपेक्षा, जैसा कि कुछ राज्यों के कानूनों के तहत आवश्यक है, के बिना सम्मत पट्टा अवधि के पश्चात् भूमि के स्वतः पुनर्ग्रहण की मंजूरी देना।
4. भू–स्वामी को अपना भू–अधिकार छिन जाने के किसी प्रकार के भय के बिना अथवा काश्तकार को किसी नियत अवधि के लिए पट्टा भूमि के निरंतर अधिकार के परिणामस्वरूप भोगाधिकार प्राप्त हो जाने की अनुचित प्रत्याशा के बिना भू–स्वामी और काश्तकार को पट्टे की निबंधन और शर्तों का परस्पर निर्धारण करने की अनुमति देना।
5. बटाईदारों सहित सभी काश्तकारों के लिए अनुमानित उत्पादन की वचनबद्धता के संबंध में बीमा बैंक ऋण और बैंक ऋण प्राप्ति को सुसाध्य बनाना।
6. काश्तकारों को भूमि सुधार में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना और उन्हें काश्तकारी के समाप्त हो जाने के समय निवेश के अप्रयुक्त मूल्य को वापस लेने का अधिकार भी देना।

# राष्ट्रीय ऊर्जा नीति

भारत के राष्ट्रपति ने 9 जून, 2014 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में, भारत के लिए एक नई ''व्यापक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति'' (एनईपी) तैयार करने के सरकार के निर्णय का खुलासा किया था। इसके परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस नई नीति को तैयार करने का दायित्व नीति आयोग को सौंप दिया।

भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए पिछला सर्वसंग्राही नीति दस्तावेज नामत: ''एकीकृत ऊर्जा नीति'' वर्ष 2008 में जारी किया गया था। तब से, भारत के ऊर्जा परिदृश्य में कई बदलाव देखे गए हैं। वर्ष 2014 में भारत प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा का विश्व का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता था। इसके अलावा, जबकि वैश्विक ऊर्जा मांग की वृद्धि दर में कमी आ गई थी, वर्ष 2014 में भारत की मांग 7% की दर से बढ़ी थी जो विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक थी। यह परिवर्तनशील परिदृश्य एक नए विजन की जरूरत की ओर संकेत करता है और इसलिए नई ऊर्जा नीति की संकल्पना शुरू कर दी गई जो भारत के ऊर्जा क्षेत्रक के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती है।

इस तथ्य के मद्देनजर कि ऊर्जा का विषय विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्षेत्र में आता है जिनका अपने–अपने क्षेत्रकीय एजेंडा का निर्धारण करने का प्राथमिक दायित्व होता है, इन स्रोतों के बीच समन्वय के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक सर्वसंग्राही नीति की आवश्यकता है। इससे उदीयमान ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने और उपभोक्ताओं को विभिन्न ऊर्जा विकल्प उपलब्ध कराने की अपेक्षा भी की जाती है। नई ऊर्जा नीति के तहत चार प्रमुख उद्देश्यों नामत: किफायती मूल्यों पर प्राप्ति, बेहतर सुरक्षा और स्वतंत्रता, अधिक संधारणीयता और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एनईपी के तहत इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु इस प्रकार कार्रवाई प्रस्तावित की गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2040 तक यानी मध्यम काल में 'ऊर्जा की दृष्टि से तत्पर'' हो जाए। यह 'एकीकृत ऊर्जा नीति' की उपलब्धियों को आगे बढ़ाती है और ऊर्जा के संसार में उभरते घटनाक्रम की परिष्कृत भूमिका के अनुरूप एक नया एजेंडा निर्धारित करती है।

ऊर्जा क्षेत्रक के प्रमुख पणधारकों को शामिल करते हुए नई नीति को यथासंभव समावेशी और सहयोगपूर्ण बनाने की जरूरत को स्वीकारते हुए, नीति आयोग ने भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख विचार–मंचों के साथ परामर्श करके नीति विकास की प्रक्रिया शुरू की। तत्पश्चात, नई नीति की संकल्पना का आधार तैयार करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने 25 अगस्त, 2015 को भारत के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के एक समूह के साथ बैठक की। इसके बाद, 15 सितम्बर, 2015 को राज्य मंत्री (विद्युत), राज्य–मंत्री (पेट्रोलियम), राज्य–मंत्री (पर्यावरण) और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बीच एक बैठक आयोजित की गई। अक्तूबर और नवम्बर, 2015 में चिन्हित किए गए 9 प्रमुख विषयों पर नीति आयोग और सहभागी विचार–मंचों द्वारा पणधारकों के साथ 9 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें राज्य सरकारों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, संबंधित मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र और परिषत्सदस्यों की व्यापक भागीदारी देखी गई। तत्पश्चात, मार्च 2016 में नीति का प्रारूप पाठ तैयार किया गया और संबंधित मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया। इसके बाद अप्रैल और मई 2016 में क्रमश: राज्य–मंत्री (पेट्रोलियम) और राज्य–मंत्री (विद्युत) के साथ दो परामर्श–बैठकें की गईं ताकि इस नीति के अंतर्गत की गई सिफारिशों के बारे में उनकी राय प्राप्त की जा सके।

फिलहाल, नीति आयोग द्वारा मंत्रालयी परामर्श–बैठकों के दौरान प्राप्त हुई टिप्पणियों को प्रारूप नीति में शामिल किया जा रहा है। संशोधित पाठ को जनता की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक किए जाने से पहले इसे विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और उनकी विशिष्ट एजेंसियों को पुन: परिचालित करने का विचार है।

# मेक इन इंडिया-इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कार्यनीति

भारत सरकार ने भारत को निवेश के अधिमान्य गंतव्य और एक वैश्विक विनिर्माण केन्द्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए 25 सितम्बर, 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की थी। इस पहल का मूल उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्रक में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवोन्मेष प्रोत्साहन और उच्च गुणवत्ता मानकों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल के तहत चिन्हित किए गए 25 क्षेत्रकों में से एक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक है।

1. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है। पंरतु वैश्विक बाजार में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की हिस्सेदारी नगण्य है। भारत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का प्रमुख आयातक है।

2. भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रक में निवेश को आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विगत में अनेक पहलें की हैं। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं– संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एम–एसआईपीएस), इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी) स्कीम, सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ) नीति, अधिमान्य बाजार पहुंच (पीएमए) स्कीम आदि। हालांकि ये स्कीमें कुछ निवेश आकर्षित करने में समर्थ रही हैं जिनसे मुख्यतया घरेलू मांग को पूरा किया जा रहा है तथापि, ये भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से बड़े निवेश को आकर्षित करने में असमर्थ रही हैं।

3. नीति आयोग ने विभिन्न विकल्पों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद इलेक्टॉनिक्स उत्पादों के लिए कार्यनीति में बदलाव करने की सिफारिश की है। इसने अल्पावधि में इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयात प्रतिस्थापन के साथ निर्यातोन्मुखी कार्यनीति की वकालत की है। यह कार्यनीति दीर्घकाल में भारत को प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास करने और चीन में बढ़ती वास्तविक मजदूरी के साथ वैश्विक बाजार में अपना प्रभाव जमाने में समर्थ बनाएगी। यह भारत के लिए वैश्विक पहुंच बनाने और वैश्विक बाजार पर अधिकार जमाने का अंतिम अवसर है।

4. सिफारिशों का सार निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है:

**सिफारिशों का सार**

**सिफारिश 1: निर्यातोन्मुखी कार्यनीति**

| क्षेत्र | सिफारिश |
|---|---|
| कर | **कर संबंधी अनिश्चितता को समाप्त करना और कर प्रणाली को सरल बनाना**<br>• विभिन्न परिस्थितियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादकों पर लागू कर संबंधी देयताओं के पूरे ब्यौरे के साथ उन्हें लिखित रूप में निर्धारित करना।<br>• कर संबंधी छूट को समाप्त करना और कर प्रणाली को सरल बनाना।<br>• जीएसटी को लागू करना। |
| प्रशुल्क | **व्युत्क्रमित शुल्क ढांचे को समाप्त करना**<br>• सभी इनपुट प्रशुल्कों को कम करके अंतिम उत्पाद पर लागू प्रशुल्क के स्तर पर लाना।<br>• निर्यात पर कोई कर न लगाया जाए: भुगतान किए गए सभी प्रशुल्कों और घरेलू करों के संबंध में बहिर्गमन बिन्दु पर छूट दी जाए।<br>• आयात पर सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों के बराबर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) अधिरोपित करना। |
| तटीय आर्थिक अंचल | **तटीय आर्थिक अंचल (सीईजेड)**<br>• इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात समूहों की स्थापना के लिए सागरमाला परियोजना के तहत 2 से 3 हजार वर्ग किलोमीटर तक के सीईजेड को चिन्हित करना।<br>• सीईजेड के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक–उद्योग विशिष्ट अंचलों और समूहों का सृजन करना।<br>• प्रत्येक अंचल में अत्याधुनिक अवसंरचना की व्यवस्था की जाए। |

| क्षेत्र | सिफारिश |
| --- | --- |
| | • अपेक्षाकृत लचीले श्रम और भूमि–अधिग्रहण कानूनों के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सीमा–पार व्यापार हेतु व्यवसाय करने की सुगमता उपलब्ध कराना।<br>• शहरी स्थानों के विकास के लिए उदार कानूनों की व्यवस्था करना। |
| निवेश | **निवेश संबंधी प्रोत्साहन**<br>• सीईजेड में पर्याप्त राशि का निवेश करने वाली और बड़ी संख्या में रोजगारों का सृजन करने वाली फर्म के लिए दस वर्षों के लिए कर से छूट। इस प्रयोजनार्थ 20,000 रोजगारों के साथ 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के न्यूनतम निवेश पर विचार किया जा सकता है। |
| एफटीए | **मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)**<br>• मुक्त व्यापार समझौतों को अवसरों में बदलना।<br>• इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए शुल्क–मुक्त बाजार पर अधिकार करने/पहुंच बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते करना।<br>• अंततोगत्वा, सूचना प्रौद्योगिकी समझौते 2 (आईटीए–2) पर हस्ताक्षर किए जाने को संभव बनाने के लिए निर्यात अभिमुखीकरण। |
| उत्पाद | **अल्प मूल्यवर्धित परंतु उच्च मात्र वाले उत्पाद**<br>• प्रति इकाई अल्प मूल्यवर्धन से परहेज न करें। यदि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए तो प्रति इकाई अल्प मूल्यवर्धन भी बृहत् सकल मूल्यवर्धन में और बड़ी संख्या में रोजगारों में बदल जाता है (उदाहरण के लिए चीन में आईफोन)। |

**सिफारिश 2: आयात प्रतिस्थापन कार्यनीति**

| क्षेत्र | सिफारिश |
| --- | --- |
| प्रशुल्क | **व्युत्क्रमित शुल्क ढांचे को समाप्त करना**<br>• उत्पादन को बढ़ाने और इस प्रणाली की समग्र कुशलता को सुधारने के लिए व्युत्क्रमित शुल्क ढांचे को समाप्त करना।<br>• समस्त निवेश सामग्री (इनपुट), चाहे वह घरेलू स्रोत से प्राप्त की गई हो या विदेश से प्राप्त की गई हो, पर वसूले जाने वाले सभी प्रशुल्कों और घरेलू करों के संबंध में बहिर्गमन बिंदु पर छूट दी जाए।<br>• आयात पर सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों के बराबर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) अधिरोपित करना। |
| प्रोत्साहन | **निवेश संबंधी प्रोत्साहन**<br>• इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में लगभग 1 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने और लगभग 15,000 रोजगारों का सृजन करने वालों के लिए दस वर्षों के लिए कर से छूट का प्रावधान करना। |
| पीएमए | **अधिमान्य बाजार पहुंच (पीएमए)**<br>• विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में सरकारी खरीद में अधिमान्यता देने के लिए डीईआईटीवाई की अधिमान्य बाजार पहुंच नीति को संशोधित करना। |
| राजकोषीय उपाय | **घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात के संबंध में विभेदक कराधान**<br>• जैसा कि पाठ में वर्णन किया गया है, ये उपाय डब्ल्यूटीओ में चुनौतियां आकर्षित कर सकते हैं। |

# गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य-योजना

यह लेख नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा मार्च 2015 में गठित किए गए गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यदल के कार्य पर आधारित था। इस लेख ने गरीबी के संबंध में बहस के दो भिन्न–भिन्न पहलुओं का समाधान किया अर्थात गरीबी का आकलन कैसे किया जाए और गरीबी से किस प्रकार निपटा जाए।

इस लेख में यह कहा गया है कि परंपरागत रूप से गरीबी रेखा के माध्यम से किए जाने वाले गरीबी के आकलन का केवल भारत में भिन्न–भिन्न समय और स्थान की दृष्टि से गरीबी के विस्तार का अनुवीक्षण करने हेतु प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा के अन्य संभावित उपयोगों अर्थात् गरीबों की पहचान करना और विभिन्न राज्यों को गरीबी–रोधी व्यय का आबंटन करना, को अन्य उपायों के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस लेख में इस प्रश्न की भी जांच की गई है कि गरीबी रेखा किस स्तर पर निर्धारित की जानी चाहिए। इसने इस विचार पर और अधिक विचार–विमर्श करने की सिफारिश की है कि आधिकारिक गरीबी रेखा का उद्देश्य अत्यंत गरीबी के मामलों से निपटने के संबंध में हासिल की गई प्रगति का पता लगाना है न कि सरकारी हितलाभों के वितरण के प्रयोजनार्थ गरीबों की पहचान करना।

गरीबी से निपटने के लिए इस लेख में दो–स्तरीय कार्यनीति की सिफारिश की गई है – तीव्र और सतत रोजगार–बहुल आर्थिक विकास को सुसाध्य बनाना तथा गरीबी – रोधी कार्यक्रमों को अधिक कारगर बनाना। सतत तीव्र विकास दो माध्यमों के जरिए कार्य करता है: पहला, ऐसे रोजगारों का सृजन करता है जो नियमित रूप से बढ़ती वास्तविक मजदूरी का भुगतान करते हैं और दूसरा, ऐसे अतिरिक्त राजस्वों का सृजन करता है जो सरकार को सामाजिक व्ययों का अधिक तीव्र गति से विस्तार करने में समर्थ बनाते हैं। वर्धित विकास का कुछ हिस्सा निम्नलिखित उपायों के जरिए कृषि से प्राप्त किया जा सकता है: उत्पादकता में वृद्धि करना, किसानों को लाभकारी कीमतों की प्राप्ति को सुसाध्य बनाना, सामान्यतया वर्षा–सिंचित क्षेत्रों में और विशेषकर पूर्वी भारत में 'द्वितीय हरित क्रांति' को लक्षित करने वाले उपायों को शुरू करना, छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए काश्तकारी कानूनों का सुधार करना तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए सुरक्षा तंत्रों का निर्माण करना। परंतु इस बात के मद्देनजर कि ऐतिहासिक रूप से भारत में कृषि ने सतत आधार पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की दर से विकास नहीं किया है जबकि उद्योग और सेवाओं के क्षेत्रक में काफी अधिक तीव्र विकास दर देखी गई है, इसलिए दीर्घकाल में, बेहतर आय वाले रोजगारों को अपनाने की इच्छा रखने वाले भूमिहीन कामगारों और सीमांत किसानों के लिए उद्योग और सेवाओं के क्षेत्रक में लाभकारी रोजगार के अवसरों के सृजन के द्वारा ही विकास के लाभों को अधिक न्यायसंगत तरीके से साझा किया जा सकता है। भारत को संगठित श्रमिक–बहुल क्षेत्रकों यथा परिधान, फुटवीयर, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण, अन्य हल्के विनिर्माण, निर्माण और खुदरा व्यापार में विकास को तीव्र करने की जरूरत है। इस लेख में अन्य के साथ–साथ यह सुझाव भी दिया गया है कि इसे कुछेक ऐसे तटीय आर्थिक अंचलों (सीईजेड) के सृजन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है जो रोजगार–बहुल उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय स्थान उपलब्ध करवा सकते हैं तथा उन्हें पैमाने और समूह की किफायतों का लाभ उठाने में समर्थ बना सकते हैं।

गरीबी – रोधी कार्यक्रमों यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मध्याह्न भोजन स्कीम, मनरेगा और सभी के लिए आवास को अधिक कारगर बनाना, भीषण गरीबी के उन्मूलन के लिए कार्यनीति के दूसरे चरण को दर्शाता है। इस लेख में इनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों के संबंध में अनेक विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं। पीडीएस संबंधी सुधारों के लिए दिए गए सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: पीडीएस लाभार्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन, सब्सिडियों के लाभार्थियों के लिए नकद अंतरण का विकल्प, पोषण के संबंध में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सूचना के प्रचार – प्रसार को बढ़ाना तथा मध्याह्न भोजन स्कीमों के कार्यकरण में सुधार करना। इस लेख में मनरेगा में संशोधनों के संबंध में की गई सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं: कार्यक्रम के तहत कौशल प्रदान करने और सृजित परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता को सुधारने की मंजूरी देना तथा चिन्हित लाभार्थी क्षेत्रों को बेहतर राजकोषीय सहायता उपलब्ध कराना। सभी के लिए आवास (ग्रामीण) कार्यक्रम ने समग्र रूप से अच्छी प्रगति की है परंतु सामाजिक–आर्थिक जनगणना के माध्यम से बेहतर शिनाख्त, प्रगति की रिपोर्ट और पूर्वनिर्मित घरों के उपयोग द्वारा इसके कई आयामों में सुधार किया जा सकता

है। कमजोर वर्गों तक सरकार की पहुंच को बढ़ाने में जन धन योजना, आधार और मोबाइल (जेएएम) की तिकड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत जन धन बैंक खातों, आधार के तहत बायोमीट्रिक पहचान–पत्र तथा मोबाइल फोन के माध्यम से खातों तक पहुंच से आशा है कि ये विभिन्न स्कीमों के तहत वर्तमान में लाभों के बोझिल और क्षयकारी वितरण को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से प्रतिस्थापित करके गरीबी – रोधी कार्यक्रमों में अंततोगत्वा आमूल परिवर्तन लाएंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्राम पंचायत से गांव के पाँच सबसे निर्धन परिवारों की पहचान करने और उन्हें गरीबी से उबारने का प्रयास करने को कहा जाएगा। पंचायत यह सुनिश्चित करे कि इन परिवारों को सभी सरकारी लाभ मिलें। किसी पूर्वनिर्दिष्ट समयावधि के लिए थोड़ी नकदी अंतरित करने से उन लाभों में वृद्धि हो सकती है अंततः, प्रयास यही होना चाहिए कि ऐसे परिवार पाँच से सात वर्ष के भीतर कमाने और गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकने लायक आय अर्जित करने में सक्षम हो सकें।

## बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का मूल्यांकन

नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, नीति आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का मूल्यांकन कार्य किया। इस मूल्यांकन में, योजना के चार वित्त वर्षों (2012-16) के दौरान वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के मुकाबले प्राप्त उपलब्धियों और बारहवीं योजना के समापन वर्ष (2016-17) के लिए वित्तीय लक्ष्यों (बजट अनुमानों) को व्यापक रूप से उजागर किया गया है।

1. बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में 24 अध्याय हैं जो मूलतः अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को छूते हैं। परम्परा से हटते हुए, मूल्यांकन दस्तावेज को निम्नांकित नौ व्यापक विषयों पर केंद्रित रखा गया हैः

    i. अर्थव्यवस्था और नीतियांः एक सिंहावलोकन

    ii. वृहद अर्थव्यवस्था के कारक

    iii. रोजगार और कौशल विकास

    iv. शासन

    v. मानव संसाधन विकास

    vi. वास्तविक अवसंरचना

    vii. पर्यावरणीय संधारणीयता

    viii. कृषि और ग्रामीण परिवर्तन

    ix. शहरी परिवर्तन

2. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में तीन परिदृश्यों की परिकल्पना की गई है जिन्हें "सशक्त समावेशी विकास", "अपर्याप्त कार्रवाई" और "नीतिगत व्यवधान" कहा गया है जिनमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्रमशः 8 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत और 5 से 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। पुरानी जीडीपी श्रृंखला पर आधारित अनुमानों के अनुसार, 2012-13 और 2013-14 में प्रदर्शन को "नीतिगत व्यवधान" परिदृश्य में रखा जा सकता है। उत्तरवर्ती वर्षों में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई।

3. नीति आयोग ने निम्नांकित के संबंध में मुख्यमंत्रियों के तीन उप–समूहों का गठन किया हैः

    i. केंद्र प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाना
    ii. कौशल विकास और
    iii. स्वच्छ भारत अभियान

    तीनों उप–समूहो की रिपोर्टें भारत सरकार को सौंप दी गई हैं और वे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, (i) कृषि विकास और (ii) भारत में गरीबी उन्मूलन संबंधी दो कार्यबलों का भी नीति आयोग के

उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठन किया गया है। संबंधित राज्यों में भी कृषि विकास पर ऐसे कार्यबल गठित किए गए हैं। कार्यबल में हुई चर्चाओं और विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने संबंधी एक पत्र तैयार कर उसे इंटरनेट पर डाला गया था।

4. मूल्यांकन से सरकार के लिए राष्ट्रीय विकास के साझा दृष्टिकोण को शामिल करने और महत्वपूर्ण पहल करने का अवसर उत्पन्न हुआ है। यह कार्य स्थिति तक सीमित नहीं है बल्कि इसके तहत सुधारात्मक कार्रवाई के सुझाव भी दिए जाते हैं और इसमें शामिल विभिन्न विषयों से जुड़ी सीख को ठोस रूप दिया जाता है। नीति आयोग ने मूल्यांकन दस्तावेज में परिलक्षित नीतिगत सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ निम्नांकित हैं:

   i. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की रूपरेखा का मसौदा तैयार किया गया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी इलाकों को जोड़ने को महत्व दिया जा रहा है ताकि सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके। नीति आयोग, मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों ने एआईबीपी के अंतर्गत पहले ही से सृजित २२ प्राथमिकतापूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण किया ताकि उन्हें समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

   ii. विश्व बैंक के सहयोग से एक अध्ययन शुरु किया गया है ताकि भारत में जल संसाधनों का विकास हो सके और उनका संधारणीय प्रबंधन हो सके।

   iii. अंतर–राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर राज्यों और अन्य पक्षों के साथ परामर्श किया गया और इसके निष्कर्षों को मंत्रालय को अग्रेषित किया गया।

   iv. समग्र विकास के लिए प्राथमिकता वाले द्वीपों के ब्यौरे पर आधारित एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया।

   v. नीति आयोग ने भूमि पट्टाकरण अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था ताकि राज्य इस प्रस्तावित प्रारूप पर पट्टाकरण संबंधी अपना कानून अधिनियमित कर सकें। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी कार्रवाई पर तत्परतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

   vi. इसने "भारत की अक्षय विद्युत मार्गदर्शिका 2030: बेहतर अक्षय विद्युत विकास की ओर" नामक रिपोर्ट तैयार की है जिससे नीति निर्माताओं के लिए विश्वसनीय विकल्प उपलब्ध होने का अनुमान है।

   vii. कई अन्य पहलों पर भी काम चल रहा है, जैसे– कारोबार को आसान बनाना, द्वीप विकास, जल सूचकांक का निर्माण।

5. चालू वित्त वर्ष (2016-17) बारहवीं पंचवर्षीय योजना का समापन वर्ष है। नीति आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों के साथ परामर्श प्रारम्भ किया है ताकि कार्यनीतियां तैयार की जा सकें और विभिन्न समयों के लिए अलग–अलग कार्य योजनाएं बनाई जा सकें। इस पहल के तहत निम्नांकित अंतर–संबद्ध दस्तावेजों को तैयार किए जाने का प्रस्ताव है:

   i. 15 वर्षों के लिए निर्धारित/प्रस्तावित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक दृष्टिकोण–पत्र तैयार करना।

   ii. 2017-18 से 2023-24 तक के लिए 7–वर्षीय कार्यनीति तैयार करना ताकि "राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों" को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को कार्यान्वयन योग्य नीति और कार्रवाई में तब्दील किया जा सके।

   iii. 2017-18 से 2019-20 तक के लिए 3–वर्षीय कार्रवाई दस्तावेज तैयार करना जो 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान के वित्तीय संसाधनों की संभाव्यता के अनुरुप हो। इससे सरकार के लिए 2019 तक अपने लक्ष्यों को कार्यरूप देने में भी आसानी होगी।

6. तदनुसार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कई चर्चा बैठकें हुईं जिनका ब्यौरा निम्नवत है:

   i. 7 और 10 जून, 2016 को जाने–माने अर्थशास्त्रियों के दो समूहों के साथ बैठकें
   ii. 10 जून, 2016 को व्यापारिक संपादकों के साथ बैठक
   iii. 21 जून, 2016 को कृषि विशेषज्ञों के साथ बैठक
   iv. 21 जून, 2016 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवप्रवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक

इसके अलावा, चूंकि आंतरिक सुरक्षा और रक्षा को इन दस्तावेजों में शामिल किया जा रहा है, अतः इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ एक चर्चा बैठक शगीघ्र ही आयोजित होगी।

## विनियामक सुधार विधेयक, 2016

विभिन्न लोकोपयोगी उद्योगों की विनियामक व्यवस्था में निरन्तरता और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण का अभाव है। इसके कारण विनियामकों की शक्तियों और उनके प्रकार्यों, उनकी चयन–प्रक्रिया, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, बजटीय आवंटन तथा विनियामकों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की व्यवस्था में एकरूपता और पूर्वानुमेयता नहीं रह पाती। विभिन्न क्षेत्रों के दृष्टिकोणों में भिन्नता के कारण विनियामक परिदृश्य असंतुलित है और इससे विनियामक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की स्थापना में काफी विलम्ब होता है। पत्तन क्षेत्र के विनियामक को तटकर निर्धारित करने मात्र का अधिदेश है जबकि बिजली क्षेत्र के विनियामक के पास लाइसेंस प्रदान करने, बाजार विकास और दंड लगाने के अतिरिक्त शुल्क निर्धारित करने जैसी व्यापक शक्तियां हैं। दूरसंचार और गैस क्षेत्र के विनियामकों को प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने का काम भी सौंपा गया है जबकि पत्तन या बिजली क्षेत्र के विनियामकों के उत्तरदायित्व में यह शामिल नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री ने 2015-16 के अपने बजट भाषण में कहा था कि विभिन्न लोकोपयोगी उद्योगों की मौजूदा विनियामक व्यवस्थाओं में साझा दृष्टिकोण और दर्शन की कमी का समाधान करने की आवश्यकता है। तदनुसार, जून, 2015 में नीति आयोग की वेबसाइट पर विनियामक सुधार विधेयक का मसौदा डाला गया था और सभी पक्षों की बैठक के दौरान टिप्पणियां ली गई थीं जिन्हें विनियामक विधेयक के मसौदे में शामिल किया गया था। बाद में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में अप्रैल, 2016 के दौरान एक बैठक आयोजित की गई थी ताकि विनियामक सुधार विधेयक के मसौदे के प्रावधानों को बेहतर बनाने पर विचार किया जा सके। नीति आयोग के साथ चर्चा के दौरान यह महसूस किया गया कि विनियामक सुधार विधेयक के मसौदे को बेहतर बनाने में विनियामकों के साथ अलग से एक चर्चा उपयोगी होगी। फिलहाल, विधेयक अंतर–मंत्रालय परामर्श के लिए तैयार है और विधेयक को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद विधायी प्रक्रिया के लिए संसद में रखा जाएगा।

15
16

# 3

# क्षेत्रकीय उद्देश्य और उपलब्धियां

# कृषि

**उत्तरदायित्व**

नीति आयोग का कृषि वर्टिकल किसानों के कल्याण हेतु कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मात्स्यिकी, कृषि भूमि नीतियों और खाद्य प्रसंस्करण के विकास के लिए योजनाएँ और नीतियां तैयार करने का काम करता है। यह केंद्रीय मंत्रालयों के संबद्ध विभागों के अलावा राज्यों के साथ भी करीबी तालमेल के साथ काम करता है। 2015-16 की महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां निम्नवत हैं:

## 1. कृषि विकास संबंधी कार्यबल

**पहलें**

नीति आयोग के शासी परिषद ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 8 फरवरी, 2015 को हुई पहली बैठक में नीति आयोग में कृषि विकास संबंधी एक कार्यबल के गठन का निर्णय लिया ताकि वह देश में कृषि के पुनरुज्जीवन संबंधी उपायों के सुझाव दे सके। शासी परिषद ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही कार्यबलों के गठन का निर्णय लिया। कृषि विकास संबंधी नीति आयोग के कार्यबल को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यबलों के साथ समन्वय का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। 16 मार्च, 2015 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कृषि विकास संबंधी कार्यबल का गठन किया गया। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भी ऐसे ही कार्यबलों का गठन किया।

किसानों और किसान प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ परामर्शों के बाद, नीति आयोग के कार्यबल ने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष 16.09.2015 को एक प्रस्तुति दी। कार्यबल ने एक सामयिक पत्र भी प्रकाशित किया। यह नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यबल के मुख्य उद्देश्य हैं:–

क. केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के कार्यबलों के बीच तालमेल और सामंजस्य बनाना

ख. कृषि के समग्र पहलुओं के पुनरुज्जीवन हेतु कार्यनीतियों के सुझाव देना

ग. सुधार, नवप्रवर्तन और प्रौद्योगिकीय समावेशन हेतु कार्यनीतियां तैयार करना

घ. ऐसे सफल अनुभवों और कार्यक्रमों की पहचान करना जिनसे राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सीख सकते हैं

ङ. किसी अन्य महत्वपूर्ण उपाय का सुझाव

कार्यबल ने सहकारितापूर्ण संघवाद के सिद्धान्तों को पूरी तरह शामिल करने की दिशा में कार्य किया। राज्यों से कहा गया कि वे अपनी कार्यबल रिपोर्टों के माध्यम से अपने विचार रखें किंतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गांधीनगर, बेंगलुरु और नई दिल्ली में हुई क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से उनसे व्यापक परामर्श किया गया। कार्यबल ने माननीय प्रधानमंत्री को 31 मई, 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्षेत्रीय बैठकें नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविन्द पानगड़िया की अध्यक्षता में आयोजित हुई थीं ताकि राज्यों के साथ परामर्श किया जा सके। पहला क्षेत्रीय परामर्श गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हुआ था ताकि मध्यवर्ती और पश्चिमी राज्य मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और संघ राज्यक्षेत्र दमन तथा दीव और दादरा तथा नगर हवेली के विचार/सुझाव लिए जा सकें। बेंगलुरु में आयोजित दूसरी बैठक में दक्षिणी राज्यों–आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी और संघ राज्यक्षेत्रों– अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप ने भागीदारी की। उत्तरी, पूर्वी और उत्तर–पूर्वी राज्यों से 17 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में परामर्श किया गया। राज्यों ने प्रासंगिक–लेख में चिन्हित पाँच प्रमुख क्षेत्रों का पूर्ण समर्थन किया और इनपुट, प्रौद्योगिकीय अंतःक्षेपों तथा नीतिगत सुधारों के माध्यम से महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों को कार्यबल की रिपोर्ट में उपयुक्त स्थान पर शामिल किया गया है।

## 2. बजट घोषणाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन में योगदान

(i) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः ईएफसी और मंत्रिमंडल नोट में सुधार कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तीन घटकों के लिए मैट्रिक्स के आमेलन का सुझाव दिया। स्कीम के प्रचालनगत दिशानिर्देशों में सुधार किए गए।

(ii) मूल्य स्थिरीकरण कोषः मूल्य स्थिरीकरण कोष कार्यक्रम के निर्माण में योगदान किया। नीति आयोग के सुझाव पर पीएसएफ के अंतर्गत प्याज के अलावा दालों और अन्य वस्तुओं,जैसे– आलू और टमाटर को शामिल किया गया।

(iii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः नीति आयोग ने कम प्रीमियम पर फसल बीमा देने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गैर–ऋण प्राप्तकर्ता किसानों को शामिल करने और एकल कृषि बीमा कम्पनी के स्थान पर एक से अधिक बीमा एजेंसियों को शामिल करने की अभिकल्पना की। इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया।

(iv) कृषि अवसंरचना प्रौद्योगिकी कोष (एआईटीएफ)– राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम): नीति आयोग के इनपुट के आधार पर, इस स्कीम में सुधार किया गया और गैर–एपीएमसी राज्यों में एनएएम को 585 एपीएमसी मंडियों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं, जैसे – किसान मंडियों के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है।

(v) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जैविक कृषि मिशनः नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर, इस स्कीम को पुनर्व्यवस्थित किया गया और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय से कृषि मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया। सिक्किम पर विशेष बल देने और प्रमाणन एजेंसी की स्थापना करने तथा निर्यात संवर्द्धन का सुझाव दिया गया।

(vi) मात्स्यिकी विकास समरूपण के साथ पत्तन आधारित विकासः आयोग ने निर्यात संवर्द्धन हेतु अवसंरचना, कृषि विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, नई पहलें, मछली पकड़ने वालों के लिए सुरक्षा जाल, मछली पकड़ने को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, मछली पकड़ने से जुड़े पर्यटन का समुद्री मानदंडों के अनुरूप अनुपालन और आपदामोचन उपाय सुझाए तथा तटीय व गहरे समुद्री मात्स्यिकी के एकीकृत विकास हेतु सभी संबंधित पक्षों के साथ साझा किया।

(vii) नीली क्रांतिः समुद्र के चौतरफा विकास, सस्ते पशुजन्य प्रोटीन के लिए खारा और मीठा जल मात्स्यिकी के अलावा प्राकृतिक पारितंत्र सहित अत्यधिक उत्पादक क्षेत्रों के उदय के रूप में जलीयकृषि संसाधन के समग्र विकास हेतु सुझाव दिए गए।

## 3. कृषि विकास संबंधी कार्यबल का प्रासंगिक-लेख

कृषि विकास संबंधी कार्यबल के कार्यों के आधार पर "कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि आय को लाभकारी बनाना" विषयक एक प्रासंगिक लेख तैयार कर नीति आयोग की वेबसाइट (www.niti.gov.in) पर 16 दिसम्बर, 2016 को डाला गया ताकि उस पर लोगों की राय जानी जा सके। इस लेख की मीडिया में काफी चर्चा हुई। वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसकी काफी चर्चा की गई।

प्रासंगिक लेख में भारतीय कृषि के पाँच महत्वपूर्ण क्षेत्रों की चर्चा थीः

1. उत्पादकता में वृद्धि
2. किसानों को लाभकारी मूल्य
3. भूमि पट्टाकरण, भू–अभिलेख तथा भू–स्वामित्व
4. द्वितीय हरित क्रांति–पूर्वोत्तर राज्यों पर बल
5. किसानों की समस्याओं का समाधान

इस लेख में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के प्रयोजन से इन क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों के सुझाव दिए गए।

### 4. मूल्य न्यूनता भुगतान

सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली खरीद के विकल्प के तौर पर, नीति आयोग ने मूल्य न्यूनता भुगतान की अवधारणा प्रस्तुत की। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश राज्यों तथा केंद्रीय कृषि, वाणिज्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालयों के साथ परामर्श किया गया ताकि महाराष्ट्र राज्य में कपास के लिए और मध्यप्रदेश के चिन्हित जिलों में दालों के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन हो सके। इससे मूल्य व्यवहार के जोखिम को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी और किसानों की आय सुनिश्चित की जा सकेगी।

### 5. बांस विकास

बांस विकास और खासकर उद्योग क्षेत्र में इसके उपयोग को लेकर एक कार्ययोजना तैयार की गई है और उसे प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। नीति आयोग के अधिकारियों के एक दल के साथ सदस्य (कृषि) ने मिजोरम का दौरा किया ताकि पूर्वोत्तर में बांस विकास के संबंध में राज्य के साथ चर्चा की जा सके। चर्चाओं के आधार पर, मिजोरम ने पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के साथ आगे परामर्श जारी रखने के लिए एक अवधारणा–नोट तैयार किया है।

### 6. उत्पादक बीज उपलब्धता

उत्पादकता बढ़ाने में बीज का महत्व अत्यधिक है और यह सुझाव कार्यबल के प्रासंगिक लेख में भी है। पिछले 4 वर्षों की अवधि में उत्पादक बीजों की पैदावार काफी घटी है। इस समस्या के समाधान के लिए बीज निगमों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय बीज संघ, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, आईसीएआर के साथ–साथ निजी बीज एजेंसियों और राज्यों के साथ भी परामर्श किया गया और अधिक उपज वाले बीजों के उत्पादन तथा इनके विभिन्न प्रकार के स्थानापन्न लाने की रूपरेखा विकसित करने संबंधी सुझाव दिए गए।

### 7. बिहार में दालों की प्रायोगिक परियोजना

इस वर्टिकल ने बिहार में दालों के संबंध में प्रायोगिक परियोजना पर अमल के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ सहयोगात्मक परियोजना संबंधी समझौता किया ताकि प्रत्येक घर में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक संयुक्त बैठक 20 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और एक अवधारणा–पत्र तैयार किया गया। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में फरवरी, 2016 में एक बैठक हुई जिसकी सह–अध्यक्षता बीएमजीएफ ने की। प्रायोगिक परियोजना के लिए जिन फसलों की पहचान हुई, वे हैं– अरहर, काबुली चना, मसूर और मूंग। गांवों के सर्वेक्षण और आधार–रेखा के विकास का शुरुआती कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

## स्वास्थ्य और पोषण

पिछले दशक में, भारत ने स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से तीव्र प्रगति की है, किंतु इसका परिणाम इसी अवधि में हुए आर्थिक विकास की गति के अनुरूप नहीं रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, हमने आईएमआर, एमएमआर और टीएफआर के मोर्चो पर तो काफी प्रगति की है किंतु यह उपलब्धि भिन्न–भिन्न राज्यों में एक समान नहीं रही है। पोषण के मामले में, हमने कम वजन वाले बच्चों का समानुपात कम करने में सफलता पाई है किंतु फुफ्फुस रोगों और रक्ताल्पता के मामलों को कम करने की दृष्टि से हमारी सफलता उल्लेखनीय नहीं रही है तथा कुपोषण अब भी काफी अधिक बना हुआ है।

### उत्तरदायित्व

यह वर्टिकल भारत में दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों– स्वास्थ्य और पोषण में कार्रवाई में तेजी लाने के महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ा है। यह वर्टिकल इन दोनों मुद्दों को प्रमुखता देता है, नीति निर्माताओं और सभी संबद्ध पक्षों का सहयोग लेता है और इनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान में तेजी लाता है, जिसकी सख्त आवश्यकता है और जिसके अभाव में इन क्षेत्रों की प्रगति बाधित रही है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा पोषण के क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रकों और कार्यनीतियों के प्रति साझा दृष्टिकोण विकसित करना और राष्ट्रीय लक्ष्यों को देखते हुए इस कार्य में राज्यों की सक्रिय भागीदारी लेना।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा पोषण के क्षेत्र में मुख्य पक्षों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान विचार वालों और शैक्षिक तथा नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच साझीदारी पर सलाह देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा पोषण के क्षेत्र में अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का रखरखाव, संधारणीय और समानता–आधारित विकास संबंधी सुशासन और सर्वोत्तम कार्यशैलियों से जुड़े अनुसंधान का भंडार बनाना।

यह वर्टिकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न समितियों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है। यह वर्टिकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय से संबद्ध ईएफसी/एसएफसी से भी जुड़ा है। यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, भारतीय लोक स्वास्थ्य फाउंडेशन आदि की वैज्ञानिक सलाहकार समूहों में भी नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है।

**पहलें**

**1. स्वास्थ्य सूचना प्रणाली - बच्चों के अभिलेखों को आधार से जोड़ना**

स्वास्थ्य प्रभाग ने 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के नामांकन हेतु एक प्रायोगिक परियोजना का समन्वय और कार्यान्वयन किया जिसके लिए जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन किया गया। प्रत्येक बच्चे को जन्म प्रमाणपत्र जारी किया गया जो ईआईडी से भी जुड़ा हुआ था। इसे आगे भी जोड़ने के लिए डेटाबेस का मिलान मातृ और शिशु ट्रैकिंग प्रणाली (एमसीटीएस) से भी किया गया। यह कार्य हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित तिगांव में किया गया। यूनीसेफ से अनुरोध किया गया कि वह प्रायोगिक परियोजना से प्राप्त अनुभवों पर रिपोर्ट तैयार करे और उसे हरियाणा राज्य सरकार के साथ साझा किया गया। हमारा मानना है कि यह प्रायोगिक परियोजना सफल रही और अब इसे राज्य स्तर पर शुरु किया जाएगा। यह स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों तथा सूचना प्रणाली प्रबंधन के समेकन के लिए तकनीकी मंच प्रदान करेगा जो केवल सुविधा स्तरीय डेटा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि परिवार स्तरीय डेटा का काम भी करेगा।

2. **केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में सुधार और पूर्ण स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के लिए एक प्रारूप का प्रस्ताव**

सीजीएचएस में सुधार और पूर्ण स्वास्थ्य कवरेज के लिए इसके विस्तार की एक रूपरेखा तैयार की गई तथा उसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सचिवों की समिति से साझा किया गया ताकि वे उस पर विचार कर सकें।

अनुशंसित सुधार में स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढीकरण, शासन और वित्तपोषण, व्यापक प्राथमिक देखभाल और ग्राहक सहभागिता के मुद्दों पर विशेष बल दिया गया। परिणामस्वरूप, सीजीएचएस में निरन्तर सुधार संबंधी एक स्थायी समिति का गठन किया गया जिसमें नीति आयोग के सलाहकार (स्वास्थ्य) भी एक सदस्य हैं। पत्र का एक पाठ इंटरनेट[1] पर उपलब्ध है।

3. **नागरिक सहभागिता और सहभागितापूर्ण विकास - मौजूदा निष्पादन और भारत में स्वास्थ्य प्रणाली की संभाव्यता के बीच की कमियों को पूरा करने के लिए**

नीति आयोग ने "भारत में स्वास्थ्य प्रणालीः मौजूदा निष्पादन और संभाव्यता के बीच की कमियों की पूर्ति" विषयक कई चर्चाएं MyGov पोर्टल पर आयोजित कीं। स्वास्थ्य के लिए संसाधन बढ़ाने और मौजूदा संसाधनों के उपयोग की कुशलता बढ़ाने के प्रश्न पर नागरिकों, शिक्षाविदों, विचारकों, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों, डाक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों से विचार लिए गए। अधिकतर टिप्पणियों (96 प्रतिशत) में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और संभाव्यता के बीच की कमियों को पूरा करने के लिए प्रमुख रोगवार निदान का दृष्टिकोण अपनाने की बजाए स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर बल देने की आवश्यकता है। समग्र मुद्दे पर हुई चर्चा और विषय–वस्तु का सार ऑनलाइन[2,3] उपलब्ध है और नीति आयोग ईएफसी/मंत्रिमंडल से मूल्यांकन/अनुमोदन चाहने वाले प्रस्तावों सहित विभिन्न मुद्दों पर नीतिगत पहलों के संबंध में सुझाव देने के लिए इनका अक्सर उपयोग करता है।

4. **प्रधानमंत्री को प्रस्तुत स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा तथा चल रहे कार्य**

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की पूर्ण समीक्षा माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। समीक्षा में जिन विषयों को शामिल किया गया, वे हैं– प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य, गैर–संचारी और संचारी रोगों के परिणाम तथा स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन, अवसंरचना और वित्तपोषण संबंधी इनपुट। समीक्षा के दौरान अल्पकालिक और मध्यकालिक कार्यान्वयन हेतु सुझाव दिए गए जिनके परिणाम दूरगामी रहे जिनसे इस क्षेत्र का पुनर्निर्माण होगा।

**पाद टिप्पणीः**

1. सरवल आर, रिफॉर्मिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इन्टू अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉडल। http://niti.gov.in/content/reforming-central-government-health-scheme-%E2%98universal-health-coverage %E2%80%99-model पर उपलब्ध।
2. www.mygov.in/home/8101/discuss/ पर उपलब्ध
3. http://blog.mygov.in/summary-of-ideas-posted-in-response-to-health-system-in-india-bridging-the-gap-between-current-performance-an-potential/ पर उपलब्ध

स्वास्थ्य आधारित परिणाम की प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा के बाद लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, नीति आयोग फिलहालः

- चिकित्सकों की कम उपलब्धता की समस्या के समाधान के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद में सुधार कर रहा है।
- समुचित परिणाम सूचकों के माध्यम से जिला अस्पतालों के निष्पादन का पता लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रहा है ताकि सरकारी अस्पतालों के कामकाज की कुशलता को बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क का काम कर सके।
- अवसंरचना और सेवा गुणवत्ता को सुधारकर सेवा उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त सार्वजनिक–निजी सहभागिता तंत्र का विकास कर रहा है।
- स्वास्थ्य संरक्षण स्कीम (फिलहाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) का पुनर्गठन और इसके दायरे का विस्तार कर रहा है।

5. बजट भाषण में किए गए वायदे के मुताबिक, कुपोषण–मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया ताकि राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने अंतर–मंत्रालय समूह की प्रायोगिक परियोजना का नेतृत्व किया ताकि अत्यधिक कुपोषण ग्रस्त 200 जिलों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय पोषण कार्यनीति तैयार की जा सके। इस कार्यनीति को तैयार करने में, नीति आयोग ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि पोषण परिणामों के अधिकतम अनुकूल प्रभाव वाले मुख्य मंत्रालयों के कार्य में समरूपता बनी रहे। साथ ही, हमने राज्य सरकारों और क्षेत्रक विशेषज्ञों से उनके अनुभव और सर्वोत्तम कार्यशैलियों की जानकारी मांगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय कार्यनीति में सभी पक्षों के संचित ज्ञान को ध्यान में रखा जा सके। नीति आयोग ने यूनीसेफ के साथ मिलकर बच्चों के लिए नकद अंतरणः भारत में राज्यों के अनुभव विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया ताकि सेवा उपलब्धता और उनकी प्रभावशीलता के प्रति वैकल्पिक दृष्टिकोणों का पता लगाया जा सके। इस वर्टिकल ने प्रसूति प्रसुविधा स्कीम को सर्वत्र लागू करने संबंधी नीतिगत चर्चा का भी सफल आयोजन किया है और हमें प्रचालनाधीन प्रायोगिक परियोजनाओं के फील्ड मूल्यांकन का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

   नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मसौदा तैयार करने में भी प्रभावी भूमिका निभाई और इसमें हिस्सा लिया। जहां तक इसकी नीतिगत भूमिका का प्रश्न है, प्रभाग के सदस्यों ने पत्रिकाओं और अखबारों और नीति आयोग की वेबसाइट के ब्लॉगों में रचनाएं प्रकाशित कीं।[4-7]

**पाद टिप्पणीः**

4. देबरॉय बी, कुमार ए, द रोड टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया, लैंसेट 2015, 12;386 (10011): ई56-7
5. कुमार ए, जैन एन, नन्दराज एस, फर्टाडो के एम एनएसएसओ का 71वां दौरःसमान डेटा, विविध व्याख्याएं। इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 2015; 50(46-47): 84-87
6. ए. कुमार, केएम फर्टाडो। भारत में स्वास्थ्य व्ययः दक्षता संवर्द्धन। फरवरी, 2016 । योजना का स्वास्थ्य विषयक विशेष संस्करण।
7. स्वास्थ्य प्रभाग, नीति आयोग। भारत में स्वास्थ्य प्रणालीः वर्तमान निष्पादन और संभाव्यता के बीच की कमियों की पूर्ति। कार्यपत्र संख्या 1/2015। http://www.mygov.in/sites/default/files/master_image/Health_System_in_India.pdf

# शिक्षा

मानव संसाधन प्रभाग (एचआरडी), जिसे नीति आयोग के टीम इंडिया हब में शिक्षा वर्टिकल के रूप में पुनर्गठित किया गया है, शिक्षा, खेल और युवा मामले, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विकासात्मक आयोजना के समस्त पहलुओं से संबंधित है। किंतु कृषि और संबद्ध क्षेत्र, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा एचआरडी प्रभाग के विषय–क्षेत्र नहीं हैं।

एचआरडी प्रभाग (क) प्राथमिक–पूर्व, प्रारम्भिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, उच्च, तकनीकी तथा शिक्षक शिक्षा, (ख) प्रौढ साक्षरता सहित औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, तथा (ग) विशेष ध्यानाकर्षण वाले क्षेत्र, जैसे– बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के मामले देखता है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, शिक्षा वर्टिकल ने 12वीं योजना स्कीमों को जारी रखने संबंधी कार्यों में सक्रिय भागीदारी की। इस वर्टिकल ने विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, खेल विभाग और युवा मामले विभाग तथा संस्कृति मंत्रालय की स्कीमों से जुड़े प्रस्तावों की पड़ताल की।

| **वर्टिकल के प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमें** | | | |
|---|---|---|---|
| **विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता** | **उच्च और तकनीकी शिक्षा** | **खेल और युवा कार्य** | **कला और संस्कृति** |
| • सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)<br>• विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (एमडीएमएस)<br>• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)<br>• माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण<br>• शिक्षक शिक्षा<br>• आईसीटी@ विद्यालय<br>• साक्षर भारत<br>• राष्ट्रीय बाल भवन | • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)<br>• तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संवर्द्धन कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी)<br>• पीएमएमएम राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (पीएमएम एमएनएमटीटी)<br>• छात्रवृत्तियां<br>• आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमई आईसीटी)<br>• पुस्तक संवर्द्धन<br>• भाषा विकास | • राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए)<br>• शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस)<br>• राष्ट्रीय खेल<br>• नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)<br>• राष्ट्रीय सेवा स्कीम<br>• युवा छात्रावास | • भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)<br>• क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी)<br>• सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी)<br>• राष्ट्रीय संग्रहालय<br>• अकादमी<br>• सार्वजनिक पुस्तकालय<br>• स्मृति–स्थल |

**प्रमुख समीक्षित प्रस्ताव**

**उच्च शिक्षा:**

1. उच्च शिक्षा ई–संसाधन कंजोर्टियम की स्थापना संबंधी प्रस्ताव का मूल्यांकन किया। प्रस्ताव में सभी तीन कंजोर्टियम पहलों, यथा– (i) आईएनडीईएसटी–एआईसीटीई कंजोर्टियम (तकनीकी शिक्षा ब्यूरो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय), (ii) यूजीसी–इन्फोनेट डिजिटल पुस्तकालय कंजोर्टियम (यूजीसी), (iii) एन–लिस्ट (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन) को समेकित करने का लक्ष्य है। नीति आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन इस टिप्पणी के साथ किया कि भौतिक, वित्तीय और जनशक्ति की दृष्टि से ऐसी अवसंरचना का वैकल्पिक उपयोग हो जो इन तीनों कंजोर्टियम में पहले ही से मौजूद हैं।

2. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरुपति की स्थापना और अकादमिक वर्ष 2015-16 से अस्थायी परिसर को चालू करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। सभी आईआईएसईआर की स्थापना सर्वश्रेष्ठ क्षमता वाले अनुसंधान केंद्रों के सृजन को ध्यान में रखकर की गई है जिनमें आधारभूत विज्ञानों में शिक्षण और शिक्षा पूरी तरह से अत्याधुनिक अनुसंधान से जुड़ी होगी। ये संस्थान विज्ञानों में अंतर–स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा देने और आधारभूत विज्ञानों में शिक्षा तथा करिअर को आकर्षक बनाने के लिए विज्ञान में समेकित शिक्षण और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के प्रति समर्पित हैं। यह बीएस–एमएस दोहरे उपाधि पाठ्यक्रम, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रमों के लिए 600 से ज्यादा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

3. XIIवीं और XIIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्रप्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) की स्थापना के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया। अनुमान है कि ये एनआईटी राष्ट्रीय स्तर के अन्य तकनीकी संस्थानों के समतुल्य होंगे और अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में उच्चस्तरीय अंतर–स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा की मांग को पूरा कर सकेंगे। यह 1400 से ज्यादा विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा।

4. नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए त्वरित शिक्षा का अध्ययन वेब सृजित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया जो व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का भारतीय अध्याय है। इसने सुझाव दिया कि इसके कैटलॉग बनाने का काम विद्यालय शिक्षा के लिए एनसीईआरटी, एनयूईपीए और सीबीएसई द्वारा और उच्च शिक्षा के लिए ईएमपीसी–इग्नू सहित विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि ई–सामग्री सृजन में दुहराव से बचा जा सके और संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके।

**खेलकूदः**

1. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर की स्थापना का प्रस्तावः एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का उद्देश्य विभिन्न व्यावसायिक खेल शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय हित की पूर्ति करना और शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान तथा उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग में अनुसंधान हेतु एक विश्वस्तरीय केंद्र के रूप में कार्य करना है ताकि खेलकूद में भारत का प्रदर्शन बेहतर हो। पूरी तरह प्रचालित हो जाने पर कुल विद्यार्थी क्षमता 2481 होगी।

2. आरजीकेए, यूएसआईएस और एनएसटीएसएस को आमेलित कर राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम (खेलो इंडिया)**:** यह प्रस्ताव राजीव गांधी खेल अभियान में निर्धारित अनुसार प्रतियोगिताएं आयोजित कराने, यूएसआईएस के अंतर्गत खेल सुविधाओं के लिए अवसंरचना की संस्वीकृति और एनएसटीएसएस के अंतर्गत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए है।

**संस्कृतिः**

1. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर के पुनर्विकास के प्रस्ताव का कुछेक टिप्पणियों के साथ समर्थन किया गया। संस्कृति मंत्रालय के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पुनर्विकास परियोजना के लिए स्रोत निधि जुटाने हेतु वैकल्पिक अवसर तलाशे। 160 अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने और 8 नए विषयों में 2 वर्षीय सघन पाठ्यक्रम शुरु करने को देखते हुए, संस्कृति मंत्रालय को संस्थान को चलाने के लिए आवर्ती लागतों का अनुमान लगाने की आवश्यकता भी है।

2. साहित्य अकादमी के माध्यम से ई–भाषा (साहित्य) परियोजना के प्रथम चरण का कार्यान्वयनः इस प्रस्ताव का उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में भारतीय शास्त्रीय साहित्य की सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। इस प्रस्ताव का समर्थन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया कि भारत में साहित्य का विपुल भंडार है और इसे डिजिटल रूप में विश्व को उपलब्ध कराने तथा हमारी मौजूदा और भावी पीढ़ी के लिए डिजिटल धरोहर सृजित करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इस परियोजना से भारतीय साहित्य का संरक्षण और परिरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

**विविधः**

1. आईआईटी, मद्रास के लिए अनुसंधान उद्यान की स्थापनाः यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि लागत काफी अधिक थी और इसमें परियोजना के ऋण और ब्याज को चुकाने के लिए अनुदान–सहायता का प्रावधान किया गया था।

2. उच्चतर आविष्कार योजना (नवप्रवर्तन, अनुसंधान और उद्योग की भागीदारी से अनुसंधान तथा विकास संबंधी): मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सलाह दी गई कि मंत्रालय की अन्य स्कीमों के साथ दुहराव को देखते हुए वह इसमें सुधार करे।

3. बेरोजगार युवाओं के लिए तकनीकी कौशल – एचईआई में कौशल विकासः इस प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि बेरोजगार युवाओं को कुशल बनाने के प्रयोजन से एक ऐसा ही प्रस्ताव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय) का भी था।

4. पंजाब में सात नए सरकारी पोलिटेक्निक भवनों का कार्य पूरा करने के लिए ब्रिक्स नया विकास बैंक से बाह्य सहायताः यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा पीपीआर सीधे आर्थिक कार्य विभाग को सौंपा गया और संबंधित क्षेत्रकीय मंत्रालय की अनदेखी की गई जो आर्थिक कार्य विभाग के 2005 के दिशानिर्देशों के पैरा–4 का उल्लंघन है जिसमें अन्य के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि राज्य परियोजनाओं के लिए पीपीआर केंद्रीय क्षेत्रकीय मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से ही भेजे जाने चाहिए।

5. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रस्ताव के संबंध में विभाग से कहा गया है कि वह संशोधित प्रस्ताव पेश करे जिसमें परियोजना की प्रगति रिपोर्ट दी गई हो और आकलन संबंधी कमियों को दूर कर दिया गया हो।

**अन्य पहलें**

शिक्षा वर्टिकल ने विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर पहलें कीं जिनमें प्रमुख अग्रणी कार्यक्रमों (यथा– एसएसए, एमडीएमएस, आरएमएसए) की प्रगति का विश्लेषण और विद्यालय शिक्षा से जुड़े बकाया मुद्दों पर चर्चा शामिल है ताकि प्रधानमंत्री के घरेलू दौरों के लिए फोल्डर तैयार किया जा सके। इसने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी केंद्र प्रायोजित स्कीमों और खासकर सर्वशिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन स्कीम के दिशानिर्देशों में बदलाव की रूपरेखा तैयार की और ये प्रस्तावित सुझाव विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ परामर्श पर आधारित थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संशोधित दिशानिर्देश भेजे गए। इसके अलावा, नीति आयोग के 60 अधिकारियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरु किए गए स्वच्छ विद्यालय अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए 60 जिलों का दौरा किया। इस वर्टिकल ने प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के अनुसार, भारत में विदेशी शिक्षा संस्थानों की स्थापना संबंधी अवधारणा–पत्र/रूपरेखा तैयार करने संबंधी रिपोर्टों और विधायी विधेयक का विश्लेषण किया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा शिक्षा क्षेत्रकी परिणाम–आधारित समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष की जाने वाली प्रस्तुति में सहयोग प्रदान किया।

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)

मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएमएस)

नीति आयोग के पास संधारणीय विकास लक्ष्यों के प्रभावी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व होने के कारण, शिक्षा वर्टिकल ने एसडीजी के लक्ष्य–4: समावेशी तथा समानतापूर्ण स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करने और सबके लिए आजीवन सीखने के अवसर उपलब्ध कराने को प्राप्त करने के लिए सक्रियतापूर्वक कार्रवाई बिंदु तैयार किए।

| लक्ष्यवार सिफारिशें निम्नवत हैं: | |
|---|---|
| 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़के–लड़कियों को निःशुल्क, समान और स्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा मिले। | (क) शिक्षा परिणाम का लक्ष्य<br>(ख) लक्षित शिक्षा मानकों के कार्यान्वयन की समय–सीमा निर्धारित करना<br>(ग) विद्यालयों के आकलन के लिए कार्यान्वयन प्रणाली<br>(घ) शिक्षा परिणामों के अनुवीक्षण हेतु आईसीटी का वृहत्तर उपयोग, नामांकन बढ़ाने और विद्यालय में बनाए रखने के लिए राज्यों की सर्वोत्तम कार्यशैलियों की साझेदारी। |
| 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़के–लड़कियों को शुरुआती विकास, स्वास्थ्य–सेवा और प्राथमिक–पूर्व शिक्षा स्तरीय ढंग की मिले। | क) प्राथमिक विद्यालयों के साथ एक वर्षीय प्राथमिक–पूर्व शिक्षा को जोड़ना। |
| 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी महिलाओं और पुरुषों को सस्ती और स्तरीय तकनीकी, व्यावसायिक व तृतीयक शिक्षा मिले जिसमें विश्वविद्यालयी शिक्षा भी शामिल है | (क) राज्यों की आवश्यकता के अनुरूप प्रासंगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाना<br>(ख) मौजूदा व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम का विस्तार<br>(ग) उच्च शिक्षा/वैश्वीकरण में निजी निवेश को प्रोत्साहन<br>(घ) जीईआर में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना।<br>(ङ) मान्यता तंत्रों को सुदृढ़ करना और गुणवत्ता की निगरानी करना।<br>(च) एचईआई में अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना |
| 2030 तक शिक्षा में लैंगिक असमानता समाप्त करना और अशक्तों सहित कमजोर वर्ग के लोगों सहित आम नागरिकों और कमजोर परिस्थिति वाले बच्चों के लिए हर स्तर की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की समान रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करना। | (क) ईबीबी में आवीसीय विद्यालयों, मौसमी छात्रावासों, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधाएं बढ़ाना<br>(ख) विद्यालय से बाहर के सभी सीडब्ल्यूएसएन का नामांकन<br>(ग) स्थानीय भाषाओं में ई–सामग्री का वृहत्तर उपयोग<br>(घ) विद्यालयी अवसंरचना के लिए अग्रणी कार्यक्रमों के साथ आमेलन |
| 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी युवा और अच्छी संख्या में वयस्क साक्षर हो जाएं जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों हों | (क) साक्षर भारत मिशन में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्यों/जिलों को प्रोत्साहन<br>(ख) युवा वयस्कों, विद्यालय न जाने वाले किशोरों और खॅासकर लड़कियों पर विशेष बल |
| 2030 तक योग्य शिक्षकों की आपूर्ति बढ़ाना जिनमें विकासशील देशों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल है | (क) विद्यालय शिक्षकों का युक्तिकरण/तैनाती<br>(ख) रिक्तियां भरना<br>(ग) शिक्षकों की गैर–हाजिरी की समस्या के समाधान के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति व्यवस्था शुरु करना<br>(घ) व्यावसायिक शिक्षा के लिए अनुदेशक उपलब्ध कराने हेतु उद्योग का सहयोग लेना |
| 2030 तक उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए विकासशील देशों के लिए वैश्विक रूप से उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाना | (क) छात्रवृत्तियों/शैक्षिक ऋणों आदि को जारी रखना और बेहतर बनाना |
| 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी सीखने वालों को अन्य के साथ–साथ संधारणीय विकास और संधारणीय जीवन शैली के लिए शिक्षा के माध्यम से, संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल मिले। | (क) विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सशक्त बनाना जिससे मौजूदा वैश्विक मुद्दों की समझ बढ़े<br>(ख) आईसीटी समर्थित बहुप्रयोजनीय वयस्क शिक्षा और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना ताकि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा सके। |

**मूल्यांकन, मंत्रिमंडल नोट का मसौदा और समझौता ज्ञापनः**

- अकादमिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल (जीआईएएन) के कार्यान्वयन हेतु संशोधित फ्रेमवर्क–उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मद्देनजर प्रस्ताव का समर्थन।
- 5 राज्यों– आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू और केरल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की स्थापना– नीति आयोग द्वारा समर्थित प्रस्ताव क्योंकि यह 4600 से अधिक छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा।
- 12वीं योजना के अनुसार, पेशेवर शिक्षा के विस्तार के लिए 6 नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना।
- आंध्रप्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना और एनआईटी, आंध्रप्रदेश को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) में संशोधन के लिए अनुमोदन।
- तिरुपति में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना और इसे अकादमिक वर्ष 2015-16 से अस्थायी परिसर से प्रचालित करना।
- उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों की रैंकिंग के लिए राष्ट्रीय रैंकिंग और रेटिंग एजेंसी (एनआरआरए) की स्थापना। इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया क्योंकि इससे आकलन और मान्यता के माध्यम से स्तरीयता का आश्वासन मिल सकेगा।
- ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ब्रिक्स देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य और आस्ट्रेलिया सरकार के बीच समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

इस वर्टिकल ने (i) गैर–सरकारी संगठनों और न्यासों द्वारा अनुसंधान अध्ययनों/मूल्यांकन अध्ययनों के लिए भेजे गए प्रस्तावों, (ii) विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एसईआर प्रभाग को भेजी गई शिक्षा संबंधी अनुसंधान रिपोर्टों, और (iii) अनुदान सहायता समितियों के मूल्यांकन नोटों की पड़ताल की। युवा कार्यों से संबंधित समीक्षित प्रस्ताव हैं– (1) मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, (2) युवा छात्रवास स्कीम, (3) राष्ट्रीय सेवा स्कीम का पुनरीक्षण और इसे सीएसएस की स्थिति से केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम में तब्दील करना, (4) राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम और (5) राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम नामक अम्ब्रेला स्कीम शुरु करने के लिए, युवाओं से संबद्ध 8 स्कीमों का आमेलन।

इसने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए (1) साहित्य अकादमी के माध्यम से ई–भाषा (साहित्य) के प्रथम चरण के कार्यान्वयन, (2) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर की पुनर्विकास परियोजना, (3) राज्य सरकारों, संस्थानों और संगठनों को मानवशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान परिणामों के दस्तावेजीकरण और प्रसार के लिए सहायता, (4) मौजूदा योजनाओं को XIवीं से XIIवीं योजना में जारी रखे जाने संबंधी स्थायी वित्त समिति के प्रस्तावों की समीक्षा भी की।

# कौशल विकास और रोजगार एकक

**उत्तरदायित्व**

कौशल विकास और रोजगार एकक कौशल विकास, रोजगार सृजन, श्रम सुधार और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के मामले देखता है। यह एकक विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के समन्वयन, निर्माण, प्रसंस्करण, मूल्यांकन, विश्लेषण और अनुवीक्षण के लिए कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है जिसमें भारत को विश्व का कौशल केंद्र बनाने और नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों दोनों के लिए श्रम बाजार की परिस्थितियों को बेहतर बनाने पर बल दिया जाता है। यह एकक अंतरराष्ट्रीय निकायों और विशेषज्ञों के साथ तालमेल बनाए रखता है ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की जा सके और पहलों में आवश्यक मध्यावधिक सुधार किए जा सकें तथा सुझाव दिए जा सकें। ये इस प्रभाग के अनुसंधान कार्य से भी परिलक्षित होते हैं।

**पहलें**

**1. कौशल विकास पारितंत्र का सुदृढीकरणः**

जनांकिकीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने कौशल भारत मिशन की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना है। इसमें राज्यों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारों– दोनों ने इन चुनौतियों के समाधान के लिए कदम उठाए हैं। किंतु राज्य–दर–राज्य प्रगति की स्थिति में भिन्नता है। त्वरित, वृहद, मानक और संधारणीय कुशल जनशक्ति का पूल सृजित करने के उद्देश्य से, नीति आयोग ने कौशल विकास संबंधी मुख्यमंत्रियों के एक उप–समूह का गठन किया जिसमें असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पुड्डुचेरी, त्रिपुरा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में और पंजाब के मुख्यमंत्री संयोजक के रूप में हैं तथा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस समूह के समन्वयक हैं।

इस उप–समूह ने अन्य के साथ–साथ राज्य कौशल विकास मिशनों के सुदृढीकरण, कौशल विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन, समुदायों, पंचायती राज संस्थाओं, नागरिक समाजों आदि को शामिल कर कौशल कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने आदि के मुद्दों पर बल दिया है। इस उप–समूह ने प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मुख्य सिफारिशें रंगीन भाग में हैं।

एकक ने बैठकें आयोजित करने, कार्यवृत्त तैयार करने, बैठकों के लिए पृष्ठभूमि नोट तैयार करने और अन्य संबद्ध कार्य की दृष्टि से नीति आयोग में मुख्यमंत्रियों के उप–समूह की चर्चाओं के लिए संभारतंत्रीय सहयोग प्रदान किया। रिपोर्ट का मसौदा भी एकक ने तैयार किया।

**वृहद, त्वरित और मानक कौशल विकास**

- एकीकृत डिलीवरी के लिए राज्य कौशल विकास मिशनों के सुदृढीकरण के लिए संबद्ध विभागों/निजी एजेंसियों/स्वयंसेवी संगठनों आदि में कौशल संवर्धन प्रयास
- राज्य स्तर पर क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं का निर्धारण ताकि क्षेत्रक के लिए कौशल उपलब्धता में मात्रात्मक और गुणात्मक–दोनों तरह की वृद्धि हो
- निजी क्षेत्र को प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, सरकारी आईटीआई/पोलिटेक्निक को गोद लेने, विषय–वस्तु पुनरीक्षण और प्रशिक्षकों के रूप में कुशल कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन
- व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर लागू करना ताकि बच्चे प्रेरित हों
- ग्राम स्तर पर उद्‌भवन, परामर्शी तथा ट्रैकिंग केंद्रों की शुरुआत
- महिला सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित परिवहन, महिला अनुदेशक, शिशु देखभाल सुविधाओं, बाजार तथा वित्तपोषण उपलब्ध कराना
- प्रशिक्षुओं की समस्याओं के समाधान के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की भागीदारी लेना

- कौशल मापने और स्थानीय स्तर पर डेटाबेस सृजित करने के लिए स्थानीय निकायों का उपयोग करना
- संबंधित पक्षों के साथ सफल पहलुओं और सूचना को साझा करने के लिए एलएमआईएस/राष्ट्रीय करिअर सेवा केंद्रों का उपयोग
- सीएसआर, एमपीलैड/एमएलएलैड, भवन और अन्य निर्माण कामगार उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उपकर प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों का आधार विस्तार
- स्रोत:कौशल विकास संबंधी मुख्यमंत्रियों के उप–समूह की रिपोर्ट

नीति आयोग कौशल संबंधी सभी क्रियाकलापों को नवसृजित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत समेकित करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ समन्वय कर रहा है। नीति आयोग कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंडों के कार्यान्वयन और व्यावसायिक शिक्षा के साथ द्वितीयक विद्यालय शिक्षा के समेकन हेतु केंद्रीय मंत्रालयों के साथ–साथ चल रहा है।

नीति आयोग को प्रधानमंत्री कार्यालय ने कौशल विकास मंत्रालय का सहयोग लेकर यह पता करने को कहा था कि मुख्य अवसंरचना क्षेत्रकों में कौशल आवश्यकताएं कितनी हैं ताकि एक तरफ तो कौशल विकास के लिए उपलब्ध क्षमता का उपयोग किया जा सके और दूसरी तरफ कुशल जनशक्ति को उपलब्ध कराया जा सके। तदनुसार, नीति आयोग ने परिवहन, बिजली और ऊर्जा तथा दूरसंचार संबधी तीन उप–समूहों का गठन किया ताकि संबंधित मंत्रलयों और उनकी क्षेत्रकीय कौशल परिषदों के साथ मिलक कर यह पता लगाया जा सके कि कुशल जनशक्ति की मांग कितनी है और उपलब्धता कितनी है। इन तीनों उप–समूहों ने अपनी अंतरिम रिपोर्टें पेश कर दी हैं।

**2. मंत्रिमंडल नोट, एसएफसी और ईएफसी का निर्माण और मूल्यांकन**

औपचारिक नियोजन को प्रोत्साहन और खाली पड़े रोजगार अवसरों तक पहुंच बढ़ाना

अधिक रोजगार सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा बेरोजगारों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक पोर्टल बनाने के उद्देश्य से नीति आयोग ने मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ दो नोट रखे–"बेरोजगारों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु भर्ती परीक्षाओं के अंकों और रैंकिंग को पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक करना" और "भारत सरकार द्वारा ईपीएफओ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत ईपीएस अंशदान का भुगतान"। मंत्रिमंडल ने क्रमशः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन हेतु नोटों में उल्लिखित प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ईपीएफओ में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए शुरुआती तीन वर्ष तक कर्मचारी पेंशन स्कीम में 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान करेगी। इससे नियोक्ता बेरोजगारों की भर्ती करने और अनौपचारिक कर्मचारियों को महत्व देने के प्रति प्रोत्साहित होंगे। अर्ध–कुशल और अकुशल कामगारों के लक्षित समूह के लिए अंतःक्षेपों को चौनलाइज करने के लिए, इस स्कीम को ऐसे लोगों पर लागू किया जाएगा जिनका वेतन 15,000 रूपए प्रतिमाह से अधिक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस बारे में स्कीम तैयार कर रहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग वेब पोर्टल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

**3. मंत्रिमंडल नोट, एसएफसी और ईएफसी का मूल्यांकन**

इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय से नियोजनीयता, आजीविका के अवसरों, श्रम बाजार नम्यता, सामाजिक सुरक्षा, कार्य दशाओं आदि से संबंधित विभिन्न पहलों के लिए मंत्रिमंडल नोटों/ईएफसी/एसएफसी के रूप में प्रस्ताव मिले। इनका मूल्यांकन किया गया और उन्हें टिप्पणियों के साथ अनुमोदनार्थ प्रशासनिक मंत्रलयों के सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा गया।

जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया,उनमें से कुछ हैं:

**स्कीम/कार्यक्रम**

- पीएमकेवीवाई के अंतर्गत "कौशल विकास संघटन" के रूप में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016–20

- भारत सरकार की कौशल विकास स्कीमों के लिए साझा मानदंड
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
- नियोजनीयता संवर्द्धन सार्वजनिक–निजी भागीदारी हेतु कौशल प्रशिक्षण (एसटीईपीपीपी)
- उद्यमिता–उद्यमिता और प्रशिक्षण स्कीम
- देश भर में राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना
- भारत में प्रशिक्षुता पारितंत्र का सुदृढीकरण
- कौशल विकास योजनांतर्गत अनारक्षित प्रखंडों और इलाकों में पीपीपी मोड में 1500 आईटीआई की स्थापना
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु सांस्थानिक क्षमता संवर्द्धन ताकि प्रशिक्षकों को पीपीपी मोड में प्रशिक्षित करने के विशेष प्रयोजन से संस्थान स्थापित किए जा सकें

**श्रम कानून**

- बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशनरों को न्यूनतम 1000/– रूपए प्रतिमाह पेंशन देना
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन
- कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन
- प्रस्तावित प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनाः रोजगार सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहन की योजना

## .4. अनुसंधान

- वर्ष के दौरान एसडीएंडई एकक ने कई नीति पत्रों पर काम किया जो विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए
- मेक इन इंडिया और रोजगार सृजन की संभावना
- भारत में ग्रामीण महिला श्रमबल की सहभागिता में कमी
- भारत में उद्यमिता विकासः स्टार्ट–अप पर बल
- सड़क परिवहन क्षेत्र की रोजगार संभाव्यता
- वंचितों के लिए कौशल विकासःयोजना
- महिलाओं के लिए कौशल विकासःयूनेस्को प्रायोजित कार्यक्रम
- श्रमबल का कौशल विकास और उत्पादकता

## 5. विविध गतिविधियां

उक्त क्रियाकलापों के अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कार्यालय ने विश्व बैंक के अध्ययन के आधार पर, कौशल विकास स्कीमों के गुणवत्तापरक आकलन के संबंध में एक विस्तृत नोट तैयार किया। श्रम बाजार में सुधारों, कौशल विकास तथा उत्पादकता संवर्द्धन, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कौशल मूल्यांकन आयोजित करने के मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञों के साथ लगातार चर्चा होती रही है। सलाहकार (श्रम) ने न्यूयार्क में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन–संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अनौपचारिक से औपचारिक रोजगार की ओर बढ़ने के संबंध में आयोजित पैनल चर्चा में हिस्सा लिया।

# शहरीकरण प्रबंधन

**"शहरीकरण" विकास का आधार**

भारत में शहरीकरण तेजी से हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी क्षेत्रें में 377 मिलियन लोग रहते हैं जो देश की आबादी का लगभग 31 प्रतिशत है। देश के जीडीपी में शहरी क्षेत्र का योगदान 63 प्रतिशत है। 2050 तक यह शहरीकरण बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो जाने की संभावना है जब हर दूसरा भारतीय नगरों में रह रहा होगा। भारत के त्वरित समावेशी विकास के लिहाज से शहरीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि संकुलित अर्थव्यवस्था, उत्पादकता में वृद्धि, नवप्रवर्तन और उद्यमिता के कारण उद्योगों और सेवाओं की वृद्धि होती है। किंतु शहरीकरण से अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां भी पैदा होती हैं जिन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता है ताकि इसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। बढ़ती शहरी जनसंख्या के कारण जल, स्वच्छता, आवास, अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन जैसी आधारिक अवसंरचना पर काफी दबाव है, जल–थल तथा वायु प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य तथा संधारणीय मुद्दों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और शहरी गरीबों के एक बड़े हिस्से को झुग्गियों में रहना पड़ रहा है और वे नगर के औपचारिक क्षेत्र से बाहर समझे जाते हैं। शहरीकरण की ओर बढ़ते कदमों को प्रबंधित करने की आवश्यकता है ताकि नगरों में निवेश हो सके और वे विकास, प्रतिभा सृजन तथा नवप्रवर्तन के केंद्र बन सकें जिससे लाखों नागरिकों के लिए सशक्त पर्यावास का सृजन किया जा सके जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो बेहतर जीवन दशाओं और स्तरीय जीवन की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।

**उत्तरदायित्व**

केंद्र, राज्य और नगरपालिका स्तरों पर शहरी परिवर्तन का साझा दृष्टिकोण विकसित करने में शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह वर्टिकल शहरी पुनरुज्जीवन और परिवर्तन को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए सभी मुख्य पक्षों, थिंक टैंक और संस्थानों तथा नीति निर्माताओं का सहयोग लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का प्रयास करता है ताकि उपयुक्त नीति और कार्यक्रमजनित अंतःक्षेपों की रूपरेखा तैयार की जा सके। यह वर्टिकल शहरी विकास मंत्रालय की विभिन्न समितियों और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है। यह वर्टिकल केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न शहरी क्षेत्रक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और अनुवीक्षण में नियमित रूप से भागीदारी करता है।

**पहलें**

**1. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण**

शहरी परिवर्तन के स्वप्न को प्रभावी तौर पर साकार करने के लिए एक प्रभावी उपाय यह है कि शहरी प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों में पर्याप्त क्षमता निर्माण किया जाए और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय तथा कार्यात्मक स्वायत्तता दी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग ने सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज (एससीई) के साथ नवम्बर, 2015 में एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण के लिए शहरी क्षेत्र में सिंगापुर की विशेषज्ञता का लाभ लिया जा सके। इस समझौता–ज्ञापन के तहत, नीति आयोग और एससीई ने शहरी परिवर्तन के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रें–(i) शहरी आयोजना और शासन, (ii) जल, जलसंभर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा (iii) लोक वित्त (पीपीपी) में "शहरी प्रबंधन कार्यक्रम" नामक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरु किया है। नीति आयोग की यह अनूठी पहल राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों को इन प्रमुख क्षेत्रों में शहरी परिवर्तन के समक्ष आ रही चुनौतियों को साझा करने और सिंगापुर के शहरी क्षेत्रक विशेषज्ञों की भागीदारी से इनमें से कुछ चुनौतियों के प्रभावी समाधान की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में सात राज्यों – तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और असम के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत भारत और सिंगापुर में कई कार्यशालाएं आयोजित की जानी हैं। इस कार्यक्रम के अंत में, सहभागी कोई कार्यनीतिक आधाररेखा तैयार करेंगे ताकि शहरी क्षेत्र की प्रमुख चिन्हित चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

2. "भारत में संधारणीय और समावेशी शहरी विकास" संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

इस वर्टिकल ने 1–3 अगस्त, 2015 के दौरान मानव विकास संस्थान और शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजना विभाग, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर "भारत में संधारणीय और समावेशी शहरी विकास" विषयक तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस में शामिल दुनिया भर के विशेषज्ञों ने तीन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया– शहरीकरण के अंतरराष्ट्रीय अनुभव और भारत के लिए सबक, रोजगार और कौशल की चुनौतियां, गतिशीलता के लिए आयोजना और अवसंरचना आवश्यकता, ग्रामीण–शहरी लिंकेज और छोटे तथा मंझोले शहरों की वृद्धि, संधारणीयता, भूमि उपयोग, झुग्गी संवर्द्धन, सस्ते आवास आदि।

3. शहरी भारत परिवर्तनः "स्मार्ट और संधारणीय नगरों का सृजन" पर राष्ट्रीय कार्यशाला

इस वर्टिकल ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति अध्ययन केंद्र (सीएसटीईपी), बेंगलुरू के साथ मिलकर 2 सितम्बर, 2015 को "शहरी भारत परिवर्तनः स्मार्ट और संधारणीय नगरों का सृजन" विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्मार्ट और संधारणीय नगरों के विकास से जुड़े मुद्दों पर सभी प्रमुख पक्षों के साथ विचारों और जानकारियों को साझा किया। राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, केंद्रीय मंत्रालयों, शिक्षा संस्थानों, उद्योग और अन्य पक्षों के 250 प्रतिनिधियों ने उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार रखे जिनसे किसी नगर में जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है और कोई नगर संधारणीय हो सकता है जिसके आधार पर वह स्मार्ट कहलाए।

4. छोटे और मंझोले नगरों के लिए संधारणीय शहरी परिवहन समाधान

स्मार्ट और संधारणीय शहरी परिवहन समाधान की आयोजना तथा कार्यान्वयन हेतु छोटे तथा मंझोले नगरों में क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, नीति आयोग ने परिवहन और विकास नीति संस्थान (आईटीडीपी) के साथ मिलकर एक पहल शुरू की है ताकि संधारणीय गतिशीलता समाधानों की आयोजना और कार्यान्वयन हेतु टूलकिट विकसित किया जा सके। महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु ने इस पहल के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी की।

5. मंत्रिमंडल नोट/पीआईएस ज्ञापन/ईएफसी/एसफसी/मेट्रो रेल डीपीआर का मूल्यांकन

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल नोट/ ईएफसी /एसएफसी /पीआईबी ज्ञापन के रूप में, शहरी विकास मंत्रालय की विभिन्न पहलों के लिए प्रस्तावों की जांच की गई और उनका मूल्यांकन किया गया तथा टिप्पणियां भेजी गईं। इस वर्टिकल ने दिल्ली, चेन्नई, विजयवाड़ा, लखनऊ, विशाखापटनम, कोच्चि और पुणे के लिए मेट्रो रेल आधारित शहरी त्वरित परिवहन प्रणाली संबंधी प्रस्तावों की विस्तार से पड़ताल की और परियोजना की संरचना, मल्टीमोडल एकीकरण और पीपीपी सक्षमता को बेहतर बनाने संबंधी टिप्पणियां और सुझाव दिए।

6. शहरी नवीकरण मिशन

भारत सरकार ने जून 2015 में शहरी परिवर्तन मिशन की शुरुआत की जिसमें स्मार्ट शहर मिशन, अटल शहरी नवीकरण और परिवर्तन मिशन (अमृत) और सबके लिए आवास शामिल हैं। स्मार्ट शहर मिशन के तहत 100 स्मार्ट शहर बनाए जाने हैं जिनका उद्देश्य बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देना और नागरिकों को स्तरीय जीवन, संधारणीय पर्यावरण और "स्मार्ट" समाधान अनुप्रयोग मुहैया कराना है। मुख्य जोर संधारणीय और समावेशी विकास पर है और विचार यह है कि एक निश्चित क्षेत्रफल को ध्यान में रखा जाए, प्रतिकृति योग्य मॉडल सृजित किया जाए जो अन्य महत्वाकांक्षी नगरों के लिए उदाहरण के तौर पर हो। अमृत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 500 नगरों के हर घर में नल हो और पानी की सुनिश्चित आपूर्ति हो तथा जलनिकास कनेक्शन हो, हरित क्षेत्र का विकास कर और खुले स्थानों का रखरखाव कर नगर के सुविधा मूल्य को बढ़ाया जाए, बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए त्वरित जलनिकासी व्यवस्था हो और पैदल चलने तथा साइकिल चलाने जैसे गैर–मोटर परिवहन को बढ़ावा देकर प्रदूषण को कम किया जाए। यह वर्टिकल स्मार्ट शहर मिशन और अमृत की रूपरेखा बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। साथ ही, इस वर्टिकल ने 2015-16 की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) की जांच और उनके अनुमोदन के लिए अमृत की एपेक्स समिति की बैठकों में सक्रिय भागीदारी की है।

इस वर्टिकल ने परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए, जैसे–पीईआरटी और जीआरएएनटीटी चार्टों के माध्यम से सुधार कार्यान्वयन का व्यवस्थित अनुवीक्षण, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण/पुनरूपयोग तथा गैर–राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) की कमी, अपशिष्ट जल परियोजनाओं आदि में पीपीपी की शुरुआत।

# ग्रामीण विकास प्रभाग

**पहलें**

**1. सबके लिए आवासः प्रधानमंत्री आवास योजना**

भारत सरकार ने सबके लिए आवास को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया है। 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 7 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3 करोड़ मकान और शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 करोड़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

इस स्वप्न को साकार करने के लिए नीति आयोग ने बढ़इयों को अधिक कुशल बनाने, कम लागत वाले स्थानीय तथा आपदाओं को झेल सकने वाली भवन सामग्री को बढ़ावा देने और मकानों के निर्माण पर नजर रखने के लिए भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाली तस्वीरें शामिल करने का खाका तैयार करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टाइप–डिजाइन भंडार को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य किया है।साथ ही, ग्रामीण विकास मंत्रालय को सलाह दी गई है कि वह विद्युत मंत्रालय के गर्व मॉडल की ही तरह अपने आवासीय एमआईएस को सुदृढ करे।

इसी प्रकार, नीति आयोग ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह वार्षिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करे तथा राज्यों के लिए निधि जारी करने के मुद्दे को मार्च 2017 तक सुधारों के कार्यान्वयन से जोड़ दे। नीति आयोग किराए वाले मकानों की योजना पर अमल का भी पक्षधर रहा है क्योंकि क्षमता और बजट की सीमाओं के कारण सबके लिए अपने मालिकाना हक वाले मकान उपलब्ध कराना व्यवहारिक नहीं हो सकता। साथ ही, सर्वोत्तम कार्यशैलियों को नियमित रूप से साझा करने से भी आवास क्षेत्र में तेजी आ सकती है।

**2. दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुगरुआत जून, 2011 में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन के उपरान्त हुई थी। मई, 2013 में स्कीम के पुनः पुनर्गठन के पश्चात, प्रथम दो वर्षों में मिशन के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर, इसे आजीविका के रूप में पुनर्नामित किया गया। आज इस मिशन को दीनदयाल अन्त्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों को संगठित करना और उन्हें तब तक नियमित रूप से सहायता उपलब्ध कराना है जब तक वे चरम गरीबी से बाहर न निकल आएँ। दीनदयाल अन्त्योदय योजना का उद्देश्य 8 से 10 करोड़ ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंचना और प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को 2024–25 तक चरणबद्ध रूप में स्व–सहायता समूहों और परिसंघों या उच्चतर स्तरों से जोड़ना है।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति की समीक्षा बैठक 21.3.2016 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई जिसमें नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्कीम की प्रगति, इसकी मुख्य चुनौतियों और अपेक्षित अंतःक्षेपों को दर्शाने वाली एक प्रस्तुति दी।

**नीति आयोग की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है कि निम्नांकित अंतःक्षेपों को कार्यान्वित किया जाएगाः**

- स्व–सहायता समूहों की पारिवारिक बचतों, आय, परिसम्पत्ति सृजन, ऋण कमी, उत्पादकता का नियमित मापन
- विभिन्न संवर्गों में राज्यवार प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों और ग्राम संगठनों में स्व–सहायता समूहों के परिसंघ के लिए संवर्गों में प्रति ब्लॉक 15–20 मास्टर प्रशिक्षकों का डेटाबेस बनाना
- प्रति पंचायत 1 या 2 बैंक संवाददाता और प्रति शाखा 1 बैंक मित्र की नियुक्ति करना ताकि बैंक का जुड़ाव बढ़े
- विभिन्न राज्य मिशनों में सफल कारोबारी मॉडलों को संकलित करना, साझा करना, वस्तु मूल्य श्रृंखलाएं विकसित करने के लिए योग्य राष्ट्रीय फोकस टीम बनाना, आजीविका विस्तार के लिए बाजार संपर्क बढ़ाना
- धारिता, करिअर प्रगति, वैश्विक प्लेसमेंट मॉनीटर को प्रोत्साहित करना, डीडीयू–जीकेवाई आदि के अंतर्गत धारिता बढ़ाने के लिए प्लेसमेंट की गुणवत्ता को बढ़ाना

**3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): जिला स्तर पर मजदूरी और वस्तु के अनुपात की गणना**

मनरेगा के तहत ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन के मजदूरीयुक्त रोजगार की गारंटी दी जाती है जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहें। स्कीम का मूल उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों के निर्धन परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। आजीविका सुरक्षा के अलावा, प्राकृतिक संसाधन आधार को मजबूत करना, उत्पादक ग्रामीण परिसम्पत्ति आधार तैयार करना, ग्रामीण निर्धनों को सुरक्षा के दायरे में लाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और सबसे नीचे के स्तर के लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना भी मनरेगा के लक्ष्यों में शामिल हैं।

प्रायः देखा गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी और वस्तु के बीच 60:40 के अनुपात से कुछेक अच्छी टिकाऊ परिसम्पत्तियों के निर्माण में बाधा आती है,जैसे– विद्यालय या अस्पताल भवन आदि। मनरेगा के तहत टिकाऊ और स्तरीय परिसम्पत्ति के सृजन को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने सिफारिश की थी कि जीपी या अन्य एजेंसी द्वारा किए गए समग्र कार्यों के लिए श्रम और सामग्री संघटन के अनुपात की गणना जिला स्तर पर की जाएगी, न कि पंचायत स्तर पर। इससे दीर्घकालिक स्तर पर मनरेगा के तहत कुछ अच्छी टिकाऊ और स्तरीय परिसम्पत्तियां सृजित हो सकेंगी।

## ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

### उत्तरदायित्व

ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग वर्टिकल ऊर्जा क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला के सभी पहलुओं को देखता है। जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाता है, उन्हें बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, गैस, प्राकृतिक और पेट्रोलियम में विभाजित किया गया है। ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में विदेश के साथ सामंजस्य बिठाना भी इस वर्टिकल के कार्यों में शामिल है।

### मुख्य पहलें

1. नीति आयोग को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। पहले कदम के तौर पर, नीति आयोग ने अपने मुख्य क्षेत्रों के संबंध में विचार जानने के लिए अपने ज्ञान भागीदारों की सहायता से केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग जगत, शिक्षाविदों, विनियामक निकायों और संस्थानों के साथ कई परामर्श किए। तदुपरान्त, इन विचारों को नीति दस्तावेज में शामिल किया गया जिसके मसौदे को सभी संबंधित मंत्रालयों को मार्च, 2016 में परिचालित किया गया।

2. विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक भारत के संभावित ऊर्जा मिश्रण को अंतिम रूप देने के लिए नीति आयोग के सलाहकार (ऊर्जा) के नेतृत्व में एक उप–समिति का गठन किया ताकि भारत के लक्षित राष्ट्रीय योगदानों को तैयार करने के लिए इनपुट उपलब्ध कराया जा सके। आईईएसएस, 2047 से प्रस्तावित अन्य मानदंडों के साथवर्ष 2030 में बिजली की मांग को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आईएनडीसी को अंतिम रूप देते समय प्रमुखता से शामिल किया।

3. नीति आयोग ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और टेरी के साथ मिलकर "भारतीय ऊर्जा परिदृश्य" विषयक एक कार्यशाला का आयोजन 13 अप्रैल, 2015 को किया। यह कार्यशाला अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के वर्ष 2015 के विश्व ऊर्जा परिदृश्य के अंग के तौर पर था जिसमें भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था।

4. भारतीय और अमरीकी अनुसंधान समुदायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने की भावना से, संधारणीय विकास कार्यसमूह (भारत–अमरीका ऊर्जा वार्ता फ्रेमवर्क के अंतर्गत गठित) के अंग के तौर पर नीति आयोग ने ऊर्जा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विषय–शीर्षकों की पहचान की है। आवंटित किए गए कुछेक अध्ययन हैंरू (i)ऊर्जा–जल–खाद्य संबंध, (ii) ऊर्जा क्षेत्र की जल आवश्यकताएं, तथा (iii) ऊर्जा डेटा–पोर्टल का विकास।

ऊर्जा–डेटा पोर्टल के विकास हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों, सरकारी विभागों और ज्ञान भागीदारों के साथ मिलकर ऊर्जा डेटा प्रबंधन विषयक कार्यशालाएं आयोजित की गईं ताकि भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक व्यापक डेटा पोर्टल तैयार कर देश के ऊर्जा क्षेत्र में मौजूदा डेटा अंतरों का पता लगाया जा सके और उसके समाधान के लिए खाका तैयार किया जा सके।

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा**

वित्त मंत्रालय के एक अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, नीति आयोग ने 175 गीगावाट के लक्ष्य को 2022 तक पूरा करने के लिए वित्तीय विकल्पों का प्रस्ताव करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। समूह ने साधारण सार्वजनिक निवेश और एक साहसिक आकलन किया और सशक्त गैर–आर्थिक अंतःक्षेपों की आवश्यकता पर बल दिया।

नीति आयोग ने "भारत की नवीकरणीय विद्युत मार्गदर्शिका संबंधी रिपोर्ट 2030" तैयार की जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के अवसरों और बाधाओं का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है तथा भारतीय विद्युत प्रणाली की अवधारणा में इसे अपनाए जाने के लाभ तथा उसकी लागत क्या होगी, इसका भी उल्लेख है। यह सभी पक्षों की राय से तैयार व्यापक मार्गदर्शिका पर आधारित थी। रिपोर्ट को फरवरी, 2015 में नवीकरणीय ऊर्जा–निवेश–2015 के दौरान जारी किया गया।

नीति आयोग ने भारत–अमरीका ऊर्जा वार्ता के तहत सहयोगी फ्रेमवर्क–संधारणीय वृद्धि कार्यसमूह (एसजीडब्ल्यूजी) के अंतर्गत सौर और पवन ऊर्जा के भू–स्थानिक विश्लेषण के लिए एक उपकरण के विकास में सहायता दी।

एसजीडब्ल्यूजी सौर तथा पवन एक वेब माध्यम और संसाधन है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति अध्ययन केंद्र और राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगशाला (एनआरईएल) का एक साझा प्रयास है जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रें की पहचान करना है जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की काफी संभावनाएं हैं। यह एक सॉफ्टवेयर समाधान भी है जो डेटा–संग्रहण, खोज और उसे साझा करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। नीति आयोग भू–स्थानिक केंद्र होने के कारण इस डेटा का भंडारण करेगा।

नीति आयोग को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से फरवरी, 2015 में पाँच सितारे वाली ऊर्जा दक्षता रेटिंग प्राप्त हुई और इस प्रकार यह भारत का ऐसा पहला भवन है जिसने ऊर्जा दक्षता पुनर्संयोजन के माध्यम से यह रेटिंग प्राप्त की है। नीति आयोग को इसके लिए दिसम्बर, 2015 में राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता पुरस्कार, 2015 प्राप्त हुआ।

एक सफल साक्ष्य आधार के सहारे नीति आयोग ने दिल्ली के सभी सरकारी भवनों में ईएससीओ मॉडल लागू करने के लिए नीतिगत बदलाव लाने में सफलता अर्जित की।

**विद्युत**

1. बिजली क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं और अन्य नीतिगत मुद्दों पर सीसीईए/पीआईबी/ईएफसी/एसएफसी के प्रस्तावों की पड़ताल तथा संबंधित मंत्रालय और विभागों को नीति आयोग के विचारों से अवगत कराना।
2. इस वर्टिकल ने 12वीं योजना के बिजली क्षेत्रक संबंधी मूल्यांकन दस्तावेज का विषय अध्याय तैयार किया।
3. देश में ग्रामीण विद्युतीकरण और स्वच्छ पाक व्यवस्था संबंधी विस्तृत स्थिति नोट तैयार किया गया है ताकि राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के लिए इनपुट दिया जा सके।
4. इस वर्टिकल ने राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करने के उद्देश्य से उप–समूहों के साथ करीबी तालमेल से काम किया।
5. वर्टिकल के अधिकारियों ने 19वें भारतीय विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण संबंधी कार्यशालाओं, सम्मेलनों और बैठकों में हिस्सा लिया।
6. कोटेश्वर एचईपी (480 मेगावाट)– टीएचडीसीआईएल, उरी–।। (240 मेगावाट) और सेवा–।। (120 मेगावाट) एनएचपीसी की एचईपी, रामपुर एचईपी (412 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा गैस आधारित बिजली परियोजना (101 मेगावाट), एनईईपीसीओ की मोनारचक संबंधी परियोजनाओं की जांच की गई और वर्टिकल के अधिकारियों ने समय और लागत अधिकता को नियंत्रित करने संबंधी स्थायी समिति की बैठकों में हिस्सा लिया ताकि उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके।
7. वर्टिकल ने स्तर–2 अवसंरचना के अंतर्गत बिजली क्षेत्र की स्कीमों (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत बिजली विकास स्कीम) के लक्ष्यों/उपलब्धियों के संबंध में इनपुट उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि प्रधानमंत्री उसकी समीक्षा कर सकें।
8. वामपंथी उग्रवाद पीड़ित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना हेतु बिजली क्षेत्रक मुद्दों पर टिप्पणियां उपलब्ध कराईं।
9. वर्टिकल के अधिकारियों ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की मांग पक्षीय प्रबंधन समिति की संचालन समिति और पारेषण प्रणाली संबंधी अधिकार–प्राप्त समिति की बैठकों में हिस्सा लिया और बैठक में योगदान किया।

10. वर्टिकल के अधिकारियों ने बिजली क्षेत्रक निष्पादन समीक्षा और समझौता–ज्ञापन बैठकों में हिस्सा लिया। एकीकृत विद्युत विकास स्कीम संबधी संचालन समिति/अनुवीक्षण समिति, विद्युत प्रणाली विकास निधि और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बैठकों में भी शिरकत की।

11. यूएमपीपी संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के संबंध में विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव की पड़ताल की गई और उन पर टिप्पणियां उपलब्ध कराई गईं।

**कोयला**

1. कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना 2015–16 के लिए कोयले की मांग के आकलन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए विभिन्न मानदंडों को ध्यान में रखा, जैसे– क्षेत्रकीय वृद्धि, बिजली क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट उपभोग मानदंड और कैप्टिव बिजली, सीमेंट तता स्पंज लौह के मामले में क्षेत्रकीय अनुमान।

   कोयला खनन परियोजनाओं तथा कोयला क्षेत्र से जुड़े अन्य नीतिगत मुद्दों से जुड़े सीसीईए/पीआईबी/आईएमजी प्रस्तावों की पड़ताल।

2. ई–नीलामी के माध्यम से गैर–विनियमित कोयला खंडों के आवंटन/लिंकेज के तौर–तरीके तय करने संबंधी बैठकों और अंतर–मंत्रालय समूह की बैठकों में भागीदारी की ताकि निवेश संबंधी फैसले लेने के मुद्दे पर नीति आयोग के विचारों से अवगत कराया जा सके।

3. कोयला और ऊर्जा क्षेत्रें से जुड़ी निष्पादन समीक्षा, समझौता–ज्ञापन बैठकों और विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठियों में भाग लिया और योगदान किया।

4. तापविद्युत संयंत्रों, सीमेंट संयंत्रों तथा स्पान्ज लौह आदि के लिए स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) की बैठकों में हिस्सा लिया और योगदान किया।

5. प्रधानमंत्री द्वारा ली जाने वाली स्तर–2 अवसंरचना बैठक के लिए कोयला क्षेत्र से संबंधित इनपुट दिए।

2014 में, नीति आयोग ने भारतीय ऊर्जा क्षेत्र, भारतीय ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य, 2047 के लिए भारत का पहला वेब–आधारित गतिशील और इंटरेक्टिव परिदृश्य निर्माण उपकरण विकसित किया। भारत के बदलते ऊर्जा परिदृश्य को देखते हुए, नीति आयोग ने आईईएसएस, 2047 का एक संशोधित स्वरूप विकसित किया जिसमें नए आउटपुट, नई प्रौद्योगिकियों और ऐसे क्षेत्रों का समावेश किया गया जो मौजूदा परिदृश्य में महत्वपूर्ण हो चले हैं। इस उपकरण को मौजूदा नीतिगत पहलों के लिए प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, आईईएसएस के वर्जन 2.2 में भारत सरकार के हाल के विकास लक्ष्यों को भी समाहित कर दिया गया है।

आईईएसएस टीम ने राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यशालाएं आयोजित कीं ताकि टियर–।। शहरों, शिक्षा संस्थानों आदि में इस उपकरण की प्रयोज्यता बढ़े।

आईईएसएस को अब तक 52000 लोगों ने देखा और इसका उपयोग राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के दृष्टिकोण को स्वरूप देने के लिए एक मंच के रूप में किया जा रहा है।

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस**

1. 5 जनवरी, 2016 को आयोजित "भारत के तेल और गैस क्षेत्र का संवर्द्धन" विषय पर माननीय प्रधानमंत्री और वैश्विक तेल तथा गैस विशेषज्ञों के बीच चर्चाओं का समन्वयन किया: यह चर्चा उपयोगी रही और इसमें तेल और गैस क्षेत्र में सुधार की जरूरतों पर बल दिया गया।
2. इस वर्टिकल ने 12वीं योजना के मूल्यांकन दस्तावेज का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र विषयक अध्याय में योगदान किया।
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व और योगदानः "गुड इंटरनेशनल पेट्रोलियम इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज" नामक एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया भी जा चुका है।
4. सलाहकार (ऊर्जा) ने उस समिति के सदस्य के तौर पर सेवा दी जिसके जिम्मे छोटे और मंझोले आकार के फील्ड को निजी संयुक्त उद्यम को देने के लिए सरकार द्वारा हस्ताक्षरित पीएससी अनुबंधों को विस्तार देने संबंधी नीतियों को देखने का काम था।

1. नीति आयोग ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ मार्च, 2016 में एक आशय–पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस आशय–पत्र में संगत प्रौद्योगिकियों पर मौजूदा साझा अनुसंधान के आदान–प्रदान और मूल्य निर्धारण तथा ऊर्जा आपूर्ति में वैश्विक प्रवृत्तियों के विश्लेषण के अलावा ऊर्जा क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास कार्यनीतियों के विकास की बात कही गई है।

2. नीति आयोग ने ऊर्जा आर्थिकी संस्थान, जापान के साथ एक आशय–पत्र पर हस्ताक्षर किए ताकि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करने के प्रयोजन से सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

3. नीति आयोग ने विकास अनुसंधान केंद्र (चीन लोक गणराज्य) और पेमांडू (मलेशिया) के साथ सहयोग सबंधी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया।
4. सलाहकार (ऊर्जा) ने तुर्की में 2015 में आयोजित जी–20 ऊर्जा सुरक्षा कार्य समूह के नेतृत्व वाली चर्चा की सह–अध्यक्षता की।
5. इस वर्टिकल का प्रतिनिधित्व सितम्बर, 2015 में वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित संधारणीय वृद्धि संबंधी संयुक्त कार्यसमूह की बैठक में भी रहा।
6. नीति आयोग और चीन जनवादी गणराज्य के विकास अनुसंधान केंद्र (डीआरसी) के बीच सहयोग हेतु फ्रेमवर्क के अंतिम रूप पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप, पेईचिंग में नवम्बर, 2015 में एक वार्ता आयोजित की गई थी। चीन के शेंजेन शहर के उप–मेयर के साथ भी एक चर्चा हुई।

7. वर्टिकल के एक शिष्टमंडल ने ब्रिटेन के ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन विभाग का दौरा किया ताकि ब्रिटेन सरकार के डीईसीसी और नीति आयोग के बीच हुए सैद्धांतिक सहमति के समझौते के अंग के रूप में, डीईसीसी के साथ ज्ञान का आदान–प्रदान किया जा सके। इस दौरे का उद्देश्य ऊर्जा मॉडलिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, राज्यों/क्षेत्रों के लिए ऊर्जा आयोजना को बेहतर बनाने, ऊर्जा आर्थिकी संबंधी शिक्षा संस्थानों से जुड़ने और प्रभावी नीति निर्माण तथा इसके कार्यान्वयन में मार्ग परिगणक के सर्वोत्तम उपयोग के तौर–तरीकों के संबंध में ब्रिटेन के नीति निर्माताओं के साथ मिलकर योजना बनाने और विचार साझा करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना था।

### ज्ञान भागीदारों के साथ नेटवर्किंग

ऊर्जा वर्टिकल उद्योग, शिक्षा संस्थान, थिंक–टैंक आदि सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का सक्रिय सहयोग लेता है ताकि ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुसंधान इनपुट प्राप्त किये जा सकें। भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य, 2047 और वर्ष 2015–16 में अन्य परियोजनाओं के लिए वर्टिकल के साथ सहयोग करने वाली अन्य के अलावा कुछेक एजेंसियां हैं: प्रयास एनर्जी ग्रुप, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंटल पॉलिसी (ई–स्टेप), आईआरएडीई, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, टेरी, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, फिक्की, सीआईआई, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, लॉरेंस बर्कले नेशनल लैबोरेटरी, यूएएसए, पेट्रोफेड।

### प्रमुख उर्जा मुद्दों की उत्पत्ति-नीति ब्लॉग पर योगदान

ऊर्जा प्रभाग ने ऊर्जा विषयक बौद्धिक चर्चाओं में योगदान के लिए नीति आयोग के ब्लॉग पर हिस्सेदारी की। "आवर राइजिंग एनर्जी इम्पोर्ट्स– व्हाट डज इट मीन? "इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया", "नीति आयोग कॉलेबोरेट्स विद टॉप ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक्स" और "नीति का एनर्जी सेक्टर प्लानिंग टूल" नामक ब्लॉगों पर योगदान के माध्यम से भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की गई है।

# अवसंरचना

### उत्तरदायित्व

नीति आयोग के अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल के जिम्मे दक्ष, संधारणीय, पर्यावरण–अनुकूल तथा क्षेत्रीय रूप से संतुलित परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देकर परिवहन क्षेत्र के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण बनाए रखने का काम है।

### पहलें

### 1. मुम्बई-अहमदाबाद उच्चगति रेल गलियारा परियोजना

भारत सरकार और जापान सरकार ने मुम्बई–अहमदाबाद उच्चगति रेल गलियारा परियोजना में सहयोग और सहायता के लिए 12 दिसम्बर, 2015 को एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविन्द पानगड़िया के नेतृत्व वाली अधिकारप्राप्त नवप्रवर्तन सहयोग समिति की सिफारिश पर आधारित है, जिसने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीय विनिर्माण के अलावा कम लागत वाले वित्तपोषण के कारण इस परियोजना की सिफारिश की। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए शिंकासेन प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

जनवरी, 2016 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुम्बई–अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य सेएक उच्चस्तरीय संयुक्त समिति का गठन किया जिसका नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष कर रहे हैं। इस समिति के सदस्यों में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, विदेश सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन सचिव तथा आर्थिक कार्य सचिव शामिल हैं।

## 2. क्षेत्रीय परिवहन मुद्दे

यह वर्टिकल खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के परिवहन मुद्दों को देखता है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रूपए का बड़ा निवेश हो रहा है ताकि रेल और सड़क सुविधा बेहतर हो। इस मुद्दे पर इस वर्टिकल ने 2015 में "ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स" नाम से एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र की मौजूदा परिवहन परियोजनाओं और उनकी गति बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में एक विस्तृत विश्लेषण है।

अगस्त, 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग से कहा कि वह सभी पक्षों का सहयोग ले और तीन परियोजनाओं, नामतः रुझापेमा एयरपोर्ट दीमापुर–कोहिमा रेल परियोजना (दोनों नागालैंड में) और मणिपुर में तुपुल–इम्फाल रेल परियोजना। सलाहकार (अवसंरचना कनेक्टिविटी) ने सभी पक्षों के साथ बैठकें कीं और इन सभी परयोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

प्रभाग ने प्रधानमंत्री के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के लिए प्रस्तुति तैयार की। बैठक जुलाई, 2015 को आयोजित की गई।

## 3. मौजूदा परियोजनाओं की बाधाओं को हटाना

वर्ष के दौरान, अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल ने परिवहन परियोजनाओं संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बाधाओं को हटाने में सहयोग किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी– सिक्किम में गंगटोक के निकट पाक्योंग हवाईअड्डा परियोजना जिसका काम जनविरोध के कारण रोक देना पड़ा था क्योंकि इस परियोजना के कारण निर्माण–स्थल के आसपास के मकानों को नुकसान हो रहा था। सलाहकार (अवसंरचना कनेक्टिविटी) और संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय ने अप्रैल, 2015 में स्थल दौरा किया जिसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय, सिक्किम सरकार और नीति आयोग के बीच समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता–ज्ञापन के कारण विवादों का निपटारा हुआ और निर्माण कार्य अक्तूबर, 2015 में दोबारा शुरु हुआ।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिशें**

- रूझाफेमा हवाईअड्डाः

  रेल मंत्रालय को सलाह दी गई कि वह दीमापुर–कोहिमा रेल लाइन की समरूपता पर नजर रखे ताकि इसे रूझाफेमा में प्रस्तावित हवाईअड्डे के करीब लाया जा सके जिससे यह इलाका बहुप्रयोजनीय परिवहन केंद्र के रूप में विकसित हो सके।

- दीमापुर–कोहिमा रेल परियोजनाः

  नीति आयोग ने सिफारिश की कि दीमापुर–कोहिमा रेल लाइन को आगे भी जारी रखा जाना चाहिए और परियोजना को 2020 तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को हरसंभव प्रयास करने चाहिए।

- तुपुल–इम्फाल रेल लाइन परियोजनाः

  नीति आयोग ने परियोजना को जारी रखने की सिफारिश की और इसे शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। लागत कम रखने के लिए, इसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुरोध के अनुसार, इस खंड पर सड़क नगर को नियोजित रेल नगर के साथ जोड़ने का सुझाव दिया।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के संबंध में पाकयोंग विमानपत्तन पर सलाहकार (परिवहन) और अन्य अधिकारी

अन्य परियोजनाएं जिनमें नीति आयोग के हस्तक्षेप की वजह से तेजी आई, में बिहार में गंगा नदी पर दो रेल–सह–सड़क पुल और त्रिपुरा में अगरतला तथा बंगलादेश में अखौरा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेल संपर्क परियोजना शामिल हैं। परियोजना स्तर पर सतत अनुवीक्षण के परिणाम के रूप में पटना और मुंगेर में 2015–16 में रेल–सह–सड़क पुलों की शुरुआत की गई है।

**4. माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य-निष्पादन संबंधी समीक्षा बैठकें:**

इनफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वर्टिकल ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित अवसंरचना कार्य–निष्पादन संबंधी समीक्षा बैठकों का संचालन किया है, क्योंकि इन बैठकों की शुरुआत जुलाई, 2014 में हुई थी। इन बैठकों ने देश में अवसंरचना विकास के लिए प्राथमिकता तय करने हेतु एक फोरम तथा अवसंरचना क्षेत्रक के लिए व्यापक निर्णय लेने हेतु एक मंच के रूप में कार्य किया है। 2015–16 में छह बैठकें आयोजित की गईं। मई, 2015 में

**नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य-निष्पादन संबंधी समीक्षा करते हुए**

विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रकों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। क्रमशः दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाहियों में चार और बैठकों के माध्यम से इन पर आगे कार्रवाई की गई। यह वर्टिकल संबंधित मंत्रालयों से डेटा संग्रह करने, नीति आयोग में अन्य संबंधित प्रभागों की सहायता से उनका विश्लेषण करने तथा माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष किए जाने वाले प्रस्तुतीकरण को अंतिम रूप देने में सीईओ की सहायता करने हेतु उत्तरदायी है।

## 5. निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन

वर्ष के दौरान रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन और नागर विमानन मंत्रालयों से प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी), सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) तथा विस्तारित रेलवे बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार करने से पहले परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी) के सहयोग से इनकी जांच की गई।

इस वर्ष रेल निवेशों में वृद्धि हुई है और परिवहन तथा पीएएमडी प्रभागों द्वारा 26 विद्युत परियोजनाओं एवं 39 डबलिंग परियोजनाओं की जांच और मूल्यांकन किया गया है। 31 मार्च, 2016 तक 50 परियोजनाओं में 48,226.13 करोड़ रु. के निवेश प्रस्तावों की जांच की गई और वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय से प्राप्त 62 परियोजनाओं में 77,504.66 करोड़ रु. के कुल प्रस्तावित निवेश में मदद की गई। इससे संकुलित खंडों की डबलिंग और ट्रिपलिंग जैसे रेलवे में अधिक आवश्यक क्षमता वर्धन परियोजनाओं की निष्पादन प्रक्रिया में वृद्धि हुई। इस प्रक्रिया के दौरान, नीति आयोग ने नए संरेखणों के लिए समर्पित मालभाड़ा गलियारों में तेजी लाने की आवश्यकता सहित वैकल्पिक निवेश कार्यनीतियों का सुझाव देने के संबंध में रेल मंत्रालय के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य किया।

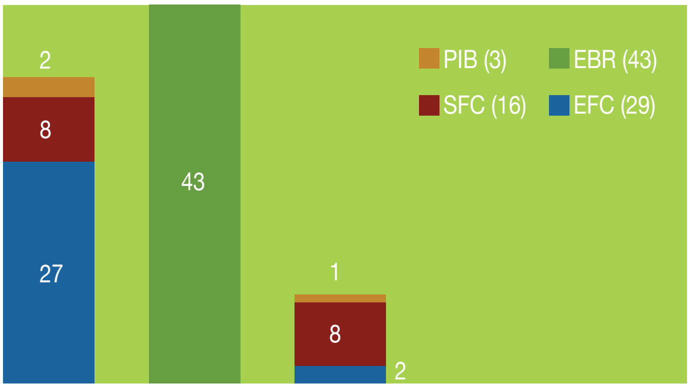


## 6. कौशल विकास संबंधी अंतरिम रिपोर्ट

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अधिक पूंजी लगने वाले अवसंरचनात्मक क्षेत्रकों में कौशल की कमी की पहचान करने की आवश्यकता बताने तथा यदि ऐसी कोई कमी हो तो इसकी पहचान करके उसे दूर करने हेतु एक कार्य–योजना तैयार करने का निदेश देने के पश्चात, नीति आयोग से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई) तथा सभी अवसंरचनात्मक मंत्रालयों के बीच होने वाली बैठक का समन्वय करने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात, इनफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वर्टिकल द्वारा अत्याधुनिक स्तर पर कौशल आवश्यकता की पहचान करने के लिए पणधारकों के साथ परिवहन संबंधी एक उप–समूह का संयोजन किया गया।

उप–समूह ने आगे कार्रवाई करने के उद्देश्य से 17 मार्च, 2016 को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट ने परिवहन क्षेत्रक में जनशक्ति की आवश्यकता और कौशल की कमी के संबंध में मौजूदा स्थिति को प्रदर्शित किया। इसने परिवहन क्षेत्रक की कुशल जनशक्ति में वद्धि करने के लिए एक कार्य–योजना भी प्रस्तुत की। अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

## 7. नीति संबंधी योगदान

### मंत्रिमंडल नोट

इनफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वर्टिकल ने परामर्श पत्र, मंत्रिमंडल नोट और सीओएस नोट के माध्यम से अंतर–मंत्रालयी निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु अपने इनपुट के माध्यम से परिवहन क्षेत्रक में नीति तैयार करने में मुख्य भूमिका अदा की। वर्ष के दौरान परीक्षित मंत्रिमंडल नोट नीचे प्रस्तुत हैं:

| क्षेत्रक | सड़क | नागर विमानन | रेलवे | पोत परिवहन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| मंत्रिमंडल नोट | 06 | 05 | 07 | 12 | 30 |

वर्ष के दौरान मंत्रालयों के द्वारा इनफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वर्टिकल के परामर्श से लिए गए कुछ प्रमुख नीतिगत निर्णय निम्नानुसार हैं:

**क. रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए)**

इनफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वर्टिकल ने आरडीए की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव की जांच की और कारगर विनियम सिद्धांतों को अपनाने का सुझाव दिया है।

**ख. सड़क परिवहन और राजमार्ग**

वर्ष 2015–16 में, नीति आयोग राजमार्ग क्षेत्रक में परियोजना संबंधी प्रदेय वस्तुओं में सुधार करने हेतु नीतिगत चर्चा करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सतत संपर्क में रहा। ऐसी चर्चाओं में अगले 10 वर्ष की अवधि के लिए राजमार्ग क्षेत्रक में और अधिक निवेश को प्राथमिकता प्रदान करनाय एनएच शुल्क में संशोधन; अधूरी बीओटी परियोजनाओं के लिए एक–बारगी निधि उपलब्ध कराने संबंधी नीति और आदर्श रियायत समझौते में संशोधन करना शामिल है।

**ग. सड़क सुरक्षा**

नीति आयोग ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के गठन संबंधी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्तावों का समर्थन किया एवं उपयोगी सिफारिशें की जिस पर विचार किया जा रहा है। यह निकाय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के लिए एक स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) के तहत सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य करने के लिए सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

**घ. राष्ट्रीय सागरमाला संबंधी शीर्ष समिति**

नीति आयोग के उपाध्यक्ष को 13 मई, 2015 को गठित राष्ट्रीय सागरमाला संबंधी शीर्ष समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। अक्तूबर, 2015 को आयोजित अपनी पहली बैठक में उपाध्यक्ष ने सागरमाला कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पत्तन–आधारित विकास पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अंतर्क्षेत्र में पत्तनों को उत्पादन केंद्रों से जोड़ने के महत्व तथा कार्गो संभार–तंत्र लागत में कमी को रेखांकित किया। उन्होंने निवेश को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित व्यापार संबंधी नीति तथा शुल्क संरचना में बदलाव करने एवं व्यवसाय करने में सुगमता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने वस्त्र, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रकों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि इनमें व्यापक रोजगार संभावना है। उन्होंने विनिर्माण और निर्यात में तेजी लाने के लिए कुछ वृहत तटीय आर्थिक जोन में निवेश का सुझाव भी दिया है।

नीति आयोग के दृष्टिकोण को सागरमाला पहल के हिस्से के रूप में पत्तन संबंधी राष्ट्रीय भावी योजना में शामिल किया गया है।

### ङ. मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण III (एमयूटीपी III)

इनफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वर्टिकलको एमयूटीपी चरण III संबंधी एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इस परियोजना से मुंबई में मौजूदा उप–शहरी रेल अवसंरचना में वृद्धि होगी। इसकी कुल परियोजना लागत 10,085 करोड़ रु. है जिसका मुख्य रूप से वित्तपोषण विश्व बैंक से ऋण लेकर किया जाएगा। एमयूटीपी III भारी भीड़ वाले मौजूदा गलियारों में भीड़ को कम करने, सेवाओं की संख्या और वाहन किमी. में वृद्धि करने, ऊर्जा और यात्रा समय में बचत करने आदि में सहायक होगी। नीति आयोग ने इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया और रेल मंत्रालय में सुधार के क्षेत्रों के बारे में सूचित किया जिनमें मोटे तौर पर वित्तीय संधारणीयता, निवेशों के वास्तविक परिणाम, वातानुकूलित कोचों की शुरुआत, स्वचालित रेल संरक्षण प्रणाली, पूर्वी–पश्चिमी गलियारा, पारगमन–उन्मुखी विकास और सूचना–आधारित रेल नियंत्रण प्रौद्योगिकी शामिल थे। इन नीतिगत अंतःक्षेपों के समर्थन में कुछ अनुसंधान पत्रों के साथ मुंबई उप–नगरीय प्रणाली की वित्तीय और तकनीकी संधारणीयता का उल्लेख भी किया गया।

### च. बारहवीं योजना संबंधी मूल्यांकन दस्तावेजः

परिवहन प्रभाग ने अवसंरचना अध्याय के हिस्से के रूप में परिवहन संबंधी खंड का लेखकीय कार्य करके 12वीं योजना का मूल्यांकन दस्तावेज तैयार करने में योगदान दिया। इसमें 12वीं योजना में तय किए गए वास्तविक और निवेश संबंधी लक्ष्यों के मामले में पहले तीन वर्षों में परिवहन क्षेत्रकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने तथा भविष्य के लिए प्राथमिकताएं पेश करने का प्रावधान है।

## 8. क्षेत्रक विशिष्ट कार्य

### रेलवे

- समर्पित मालभाड़ा गलियारा (डीएफसी) के कार्यान्वयन की निगरानी, रोलिंग स्टॉक के लिए विनिर्माण सुविधाएं, कंटेनराइजेशन में प्रगति, अंतर–प्रतिरूप केंद्रों आदि की स्थापना।
- हाई स्पीड रेल, विश्व–स्तरीय रेलवे स्टेशन, संभार–तंत्र पार्क, लंबी दूरी तक ढुलाई करने वाली रेल आदि में निवेश संबंधी मामले।
- व्यवसाय की तर्ज पर भारतीय रेलवे का पुनर्गठन, लेखा सुधार, एसपीवी आदि की स्थापना।
- राष्ट्रीय रेल परियोजनाएं और रणनीतिक महत्व की परियोजनाएं।
- पीपीपी सहित वित्त के वैकल्पिक साधनों को प्रोत्साहन, रोलिंग स्टॉक और कनेक्टिविटी में रेलवे की स्कीमों में निजी क्षेत्रक की भागीदारी।
- नई लाइनों की डबलिंग, गैज परिवर्तन और विद्युतीकरण जैसे क्षमता विस्तार से संबंधित रेल परियोजनाएं।

### सड़क

- पीएमजीएसवाई–I का कार्यान्वयन और संशोधित वित्तपोषण पद्धति तैयार करना।
- एडीबी द्वारा दूसरे ग्रामीण संपर्क निवेश कार्यक्रम को अनुमोदन।
- एसएआरडीपी–एनई का कार्यान्वयन और एलडब्ल्यूई जिलों के लिए सड़क संपर्क।
- एनएचडीपी एवं गैर–एनएचडीपी परियोजनाएं।
- एनएच नेटवर्क का विस्तार।
- बीओटी (टोल) एनएच परियोजनाओं के लिए आदर्श रियायत समझौते में संशोधन।

### पत्तन और पोत परिवहन

- भारतीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अनुतट यात्रा रियायत नीति।
- पोत निर्माण और पोत मरम्मत को अवसंरचना का दर्जा।

- पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्षेत्रक को 10 वर्षों तक वित्तीय सहायता।
- नौ–परिवहन में सुधार करने तथा कार्गो यातायात को एनडब्ल्यू–1 में लाने के लिए जल मार्ग विकास परियोजना संबंधी कार्यान्वयन को जारी रखना।
- प्रमुख पत्तनों का निगमीकरण।
- टीएएमपी को समाप्त करना।
- भारत–बंगलादेश तटीय पोत–परिवहन समझौता और यात्री तथा क्रूज वेसल्स के लिए समझौता ज्ञापन।
- ईरान के छाबाहार प्रत्तन का कार्यान्वयन।
- सागरमाला परियोजना।
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह हेतु द्वीप–मुख्यभूमि और अंतर्द्वीपों के लिए पोतों की व्यवस्था करना।
- कोचीन शिपयार्ड के आईपीओ को अनुमोदन प्रदान करना।

**नागर विमानन**

- राय बरेली, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना।
- विमानन क्षेत्रक में एफडीआई से संबंधित नीतिगत मामले।
- श्रेणी–II और श्रेणी–III शहरों में विमानपत्तनों का विकास।
- दुर्गम क्षेत्रों के लिए सेवाओं में सुधार करने हेतु मार्ग विस्तार संबंधी दिशा–निर्देशों से संबंधित संशोधित नीति।
- हवाई मालभाड़ा और संभार–तंत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- विमान केंद्रों के विकास से संबंधित मामले।

**9. कार्य संबंधी अन्य मद**

- रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित ईएफसी/एसएफसी प्रस्ताव।
- उपर्युक्त मंत्रालयों (निजी निवेश में शामिल मंत्रालयों को छोड़कर) से संबंधित मंत्रिमंडल नोट।
- परिवहन क्षेत्रक में राज्य विशिष्ट मुद्दों से संबंधित सभी मामले।
- अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच से संबंधित सभी मामले।
- निर्माण क्षेत्रक से संबंधित सभी मामले।
- राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति संबंधी समिति (एनटीडीपीसी) की रिपोर्ट सौंप दी गई है और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उसके कार्यान्वयन की जांच की जा रही है।

**परिवहन प्रभाग द्वारा वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:**

**10. परिवहन क्षेत्रक के निवेश प्रस्तावों की जांच और संबंधित मंत्रालयों की बैठकों में भागीदारी**

केंद्रीय रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन एवं नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी), सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) और रेलवे के विस्तारित बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार करने से पूर्व इन प्रस्तावों का परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग द्वारा जांच की गई। इस वर्ष रेल निवेशों में वृद्धि हुई है–परिवहन और पीएएमडी प्रभागों द्वारा बहुत ही कम समय सीमा में 26 विद्युत परियोजनाओं एवं 39 दोहरीकरण परियोजनाओं की जांच और मूल्यांकन किया गया है।

नीति आयोग मुंबई में हाई स्पीड रेलवे और उत्थित उप–नगरीय गलियारे से संबंधित परियोजना संचालन समूह का सदस्य है।

परिवहन प्रभाग में परीक्षित ईएफसी, एसएफसी और पीआईबी नोट (क्षेत्रक–वार) की संख्या

| क्षेत्रक | ईएफसी नोट | एसएफसी नोट | पीआईबी नोट |
|---|---|---|---|
| सड़क | 27 | 08 | 02 |
| नागर विमानन | - | - | - |
| रेलवे | - | - | - |
| पोत परिवहन | 02 | 08 | 01 |
| **कुल** | **29** | **16** | **03** |

**11. परिवहन प्रभाग के परामर्श और/या अनुरोध पर परिवहन क्षेत्रक से संबंधित मंत्रालयों द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख नीतिगत निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:**

**(क) रेल मंत्रालय**

1. स्वतंत्र रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना।
2. रेल परिवहन से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी नीति की समीक्षा।
3. डीएफसी परियोजना का संशोधित लागत मूल्यांकन।
4. राज्यों में विभिन्न रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर कार्य करने हेतु संसाधन जुटाने केलिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ 29 विशिष्ट प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का निर्माण।
5. रेल मंत्रालय से संबंधित सरकारी वित्तपोषित परियोजनाओं/स्कीमों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए संशोधित प्रत्यायोजन शक्तियां।
6. विदेशी रेल निकाय/देश के माध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी संचालित रेल अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
7. झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला निकास से संबंधित महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

**(ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग**

1. संसद में सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2015 पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव।
२. सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा विधेयक, 2014 के पारित होने तक एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड का गठन।
3. भारत–माला परियोजना के तहत तटीय/सीमा क्षेत्रों के किनारे लगभग 7000 किमी. राज्य सड़कों का निर्माण/विकास।
4. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 में संशोधन।
5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मूल्यांकन संबंधी प्रत्यायोजन शक्तियों का पुनः प्रवर्तन।
6. राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता को दो लेन से बढ़ाकर चार लेन करने के लिए यातायात प्राधिकारी का अनुमोदन।
7. मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं (एनएच) की पूंजीगत लागत से सिविल निर्माण लागत को अलग करना।
8. अधूरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की बहाली और वास्तविक रूप से पूरा करने के लिए एक–बारगी निधि उपलब्ध कराना–बीओटी (टोल) परियोजनाओं के लिए उपलब्ध प्रावधान का बीओटी (वार्षिकी) परियोजनाओं के रूप में विस्तार।
9. पूर्वोत्तर में विशिष्ट त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी–एनई)–चालू चरण–क के लिए संशोधित निवेश अनुमोदन और चरण–ख के कार्यान्वयन हेतु निवेश अनुमोदन।
10. सड़कों और राजमार्गों के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज।

सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्रक में हम राजमार्ग क्षेत्रक में परियोजना प्रदेय वस्तुओं में सुधार करने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ लगातार नीतिगत चर्चा कर रहे हैं जिनमें अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए राजमार्ग क्षेत्रक में और अधिक निवेश को प्राथमिकता प्रदान करनाय एनएच शुल्क में संशोधनय अधूरी बीओटी परियोजनाओं के लिए एक–बारगी निधि उपलब्ध कराने संबंधी नीति और आदर्श रियायत समझौता में संशोधन करना शामिल है। हमने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिवहन प्राधिकरण के गठन हेतु भरपूर योगदान दिया है जिससे देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार होने की संभावना है।

**(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)-पीएमजीएसवाई**

1. ग्रामीण सड़कों में एडीबी के वित्तपोषण के तहत मंत्रालय का दूसरा ग्रामीण संपर्क निवेश कार्यक्रम।

**(घ) पोत परिवहन मंत्रलय**

1. समुद्री परिवहन के संबंध में भारत गणराज्य सरकार और हासेमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन के बीच करार पर हस्ताक्षर करने हेतु अनुमोदन।
2. प्रमुख पत्तनों के अवसंरचनात्मक ढांचे का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन।
3. अरब मिस्र गणराज्य के साथ समुद्री करार करने हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन।
4. नौवहन को हासिल करने तथा जल परिवहन सुविधाओं का विकास करने के लिए यमुना नदी का संयुक्त और एकीकृत विकास।
5. इरानों हिंद शिपिंग कंपनी (आईएचएससी) में भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड (एससीआई), एससीआई और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इरान शिपिंग लाइन्स (आईआरआईएसएल) का एक संयुक्त उद्यम के शेयरों का आईआरआईएसएल में अंतरण।
6. दो देशों के बीच तटीय पोत परिवहन करने के लिए भारत और बंगलादेश के बीच तटीय पोत परिवहन संबंधी करार।
7. रेल/सड़क से जलमार्ग परिवहन में आम बदलाव को प्रोत्साहित करने संबंधी स्कीम।
8. भारतीय पोत–निर्माण और पोत–मरम्मत उद्योग–'मेक इन इंडिया' पहल को प्रोत्साहित करने की एक कार्यनीति।
9. पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) और विशाखापटनम पत्तन न्यास (वीपीटी) को समय–समय पर दिए गए सरकारी ऋण पर दंडनीय ब्याज को माफ करना।
10. नामांकन आधार पर सेतुसमुद्रम शिप चौनल प्रोजेक्ट (एसएससीपी) में निकर्षण कार्य करने के संबंध में ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति।
11. आदर्श समुद्री बोर्ड विधेयक।
12. फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रलय की 14.86 हेक्टेयर भूमि का पोत परिवहन मंत्रालय को अंतरण करते हुए फरक्का में मौजूदा नौवहन लॉक के समानांतर एक नए नौवहन लॉक का निर्माण करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएवाई) को इसका संरक्षण देना।
13. प्रमुख पत्तनों के लिए शुल्क प्राधिकरण–पत्तन कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 को समाप्त करना।
14. चिन्हित अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने तथा केंद्र सरकार को किसी भी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का अधिकार देने के लिए एक केंद्रीय विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव।
15. पत्तन संबंधी मामलों में सहयोग करने हेतु भारत और स्पेन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन।
16. अनुतट यात्रा संबंधी प्रतिबंधों में छूट।

    पत्तनों और पोत परिवहन में–प्रमुख पत्तनों के संस्थागत ढांचे का आधुनिकीकरण; टीएएमपी के 2005 से 2013 तक के दिशा–निर्देशों के पीपीपी प्रचालनों का स्थानांतरण; प्रमुख पत्तनों के लिए बाजार निर्धारित शुल्क ढांचे को अपनाना; पोत निर्माण और मरम्मत उद्योग को अवसंरचना का दर्जा देना और अंतर्देशी; जलमार्ग क्षेत्रक के लिए निवेश संबंधी कार्यनीति।

(ङ) **नागर विमानन मंत्रालय**

1. नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना करना।
2. राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
3. भारत में विमानन केंद्रों का विकास करना।
4. राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2015।
5. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, विजयवाड़ा विमानपत्तन का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विस्तार करने तथा विजयवाड़ा विमानपत्तन को एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 700 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

# उद्योग

उद्योग वर्टिकल में कार्यकलापों की प्रकृति विनिर्माण क्षेत्रक से संबंधित है। अंतर–मंत्रालयी नीतिगत परामर्शों के संबंध में नीति आयोग का दृष्टिकोण रखने तथा महत्वपूर्ण समितियों एवं विकास परिषदों की बैठकों में भाग लेने के अतिरिक्त, उद्योग वर्टिकल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित पहलें भी करता है। विभिन्न उद्योग खंडों में राज्य सरकारों, उद्योग संघों और अन्य पणधारकों के साथ बढ़ते हुए विचार–विनिमय तथा संपर्क ने कार्य क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ा है।

यह वर्टिकल इस्पात, वस्त्र, कारपोरेट कार्य तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालयों, उर्वरक, लोक उद्यम, भारी उद्योग, औद्योगिक नीति और संवर्धन, रसायन और पेट्रोरसायन विभागों से संबंधित कार्य करता है। जैव–प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान, पेट्रोलियम और प्रोंतिक गैस विभागों की योजना स्कीमें भी इसके क्षेत्राधिकार में आती हैं।

**पहलें**

1. **नीति आयोग**–भारत में व्यवसाय विनियामक पर्यावरण संबंधी आईडीएफसी उद्यम सर्वेक्षण नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। इस दिशा में, नीति आयोग आईएफडीसी न्यास के सहयोग से सभी राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों में स्टार्ट–अप सहित विनिर्माण फर्मों का उद्यम सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक राज्य और संघ राज्य–क्षेत्र में व्यवसाय विनियामक वातावरण को सुसाध्य बनाना तथा राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में व्यवसायों में सामने आ रहीं नीतिगत और विनियामक अड़चनों की पहचान करना है। सर्वेक्षण राज्य–स्तरीय निष्पादन के संबंध में एक व्यापक विश्लेषण और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह सर्वेक्षण सामने आने वाले मुद्दों का जायजा लेते हुए और राज्य–स्तरीय सुधारों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हुए सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल को पूरा करेगा जिससे प्रतियोगी और सहकारितापूर्ण संघवाद का पोषण करते हुए भारत में व्यवसाय करने में आसानी होगी।

   उद्यम सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए, जून, 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया गया। निर्धारित कार्यप्रणाली की तर्ज पर, लगभग 3000 इकाईयों (500 स्टार्ट अप और सेवा क्षेत्रक की इकाईयों सहित) तथा 150 संघों का सर्वेक्षण करने की योजना तैयार की गई है। इसके अलावा, मेसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल जो कि मार्च, 2016 से जून, 2016 के दौरान राज्यों में सर्वेक्षण करेगा, को यह कार्य सौंपा गया है।

2. **भारतीय इस्पात उद्योग के लिए भावी राह:** ओडिशा में इस्पात उद्योग में प्रगति और समस्याओं की मौजूदा स्थिति के संबंध में 07.01.2016 को भुवनेश्वर में नीति आयोग के सदस्य की ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। इसके अलावा, एक अंतर–मंत्रालयी बैठक में भारतीय इस्पात उद्योग में 'निःशक्तता कारक' और भावी राह पर चर्चा की गई थी जिसमें तीन

राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार साझा किए।

3. सीईओ, नीति आयोग ने भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड (एचएफसीएल) की बंद पड़ी इकाईयों के बहाली तंत्र की जांच करने के लिए अधिकारिता प्राप्त समिति की अध्यक्षता की। उर्वरक विभाग द्वारा उठाए गए पीएंडके उर्वरक और अन्य सब्सिडी संबंधी मुद्दों के संबंध में पोषक आधारित सब्सिडी नीति (एनबीएस) से संबंधित अंतर–मंत्रालयी समितियों (आईएमसी) में सलाहकार (उद्योग) नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है। समिति के विचारार्थ रखे गए पीएंडके संबंधी मुद्दे सब्सिडी, एपीएम गैस आबंटन/कीमत आदि से संबंधित थे। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) तथा ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के पुनर्सरचना प्रस्ताव की जांच करने के अलावा, सब्सिडी संवितरण में सुधार, उत्पादन, उर्वरकों का वितरण, संतुलित उपयोग आदि से संबंधित नीतिगत मुद्दों की भी जांच की गई।

4. 'भारत में वहनीय दवाइयों की उपलब्धता–औषध उद्योग के लिए चुनौतियां और कीमत तथा पेटेंट उपलब्धता नीति पर सर्वसम्मति बनाने' संबंधी एक अध्ययन रिपोर्ट को जून, 2015 में अंतिम रूप दिया गया। इस रिपोर्ट में कीमत तथा पेटेंट उपलब्धता नीति फ्रेमवर्क की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिससे सर्वव्यापक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के संदर्भ में प्रभावी, उपयुक्त और संधारणीय उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 29 अक्तूबर, 2015 को नीति आयोग में प्रभाग द्वारा आयोजित एक बैठक में निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा की गई। अध्ययन रिपोर्ट में की गईं सिफारिशों को एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में ध्यान में रखते हुए वहनीय दवाईयों की उपलब्धता हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने के लिए नीति आयोग, औषध विभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिलकर कार्य कर सकते हैं।

5. वर्टिकल ने ईएफसी/पीआईबी/एसएफसी नोट के लिए निवेश प्रस्तावों/स्कीमों के संबंध में तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से तकनीकी सलाह भी दी। प्रभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित विकास परिषदों में सक्रिय रूप से लेता है।

6. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (सीपीएसयू) की बहाली और पुनर्सरचना संबंधी प्रस्तावों की संवीक्षा/जांच की गई और प्रारूप सीसीईए नोट के संबंध में टिप्पणियां दी गईं। उद्योग वर्टिकल द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग से संबद्ध सीपीएसयू संबंधी मुद्दों और महारत्न/नवरत्न दर्जा प्रदान करने के लिए शीर्ष समिति में प्रतिनिधित्व संबंधी मामलों को भी देखा जाता है। सीपीएसई के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के संबंध में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए मुद्दों की जांच की गई।

प्रभाग के अधिकारी पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) और औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस) जैसी विभिन्न स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अंतर–मंत्रालयी समिति/अधिकार प्राप्त समिति/शीर्ष समिति में भी शामिल थे। एफडीआई नीति संबंधी विभिन्न मुद्दों की जांच की गई और सुधार हेतु उपाय सुझाए गए। प्रभाग नीति आयोग से डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास के न्यासी बोर्ड संबंधी न्यासी को सहायता प्रदान भी करता है।

7. वस्त्र क्षेत्रक में 'मेक इन इंडिया'पहल वस्त्र उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए पर्यावरण के संबंध में कौशल, पैमाना और गति, 'शून्य त्रुटि और शून्य प्रभाव' पर बल देता है। वस्त्र उद्योग में प्रमुख पहलें एक संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (एटीयूएफएस) की शुरुआत करना था। दिसंबर, 2015 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (एटीयूएफएस) से वस्त्र उद्योग के परिधान और पोशाक खंड को प्रोत्साहन मिलेगा जो कि न सिर्फ वस्त्र उद्योग में कीमत श्रृंखला के शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि प्रति इकाई निवेश में अधिकतम रोजगार का सृजन भी करता है। पर्यावरण संबंधी मानकों के अनुपालन को सुसाध्य बनाने के लिए एकीकृत प्रसंस्करण विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत तीन ब्राउनफील्ड और दो ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। कौशल विकास वस्त्र

क्षेत्रक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकीकृत कौशल विकास स्कीम (आईएसडीसी) के तहत 2015–16 में कौशल प्रदान करने के लिए 4 लाख व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित है। उद्योग वर्टिकल के अधिकारी वस्त्र उद्योग की इन पहलों के मूल्यांकन में गहन रूप से लगे रहे।

8. देश में यूरेनियम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के निवेश प्रस्ताव और अन्य प्रस्तावों की जांच की गई। प्लास्टिक पार्कों के कार्यान्वयन के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा गठित संचालन समिति में सलाहकार (उद्योग) नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है।

9. ग्राम और लघु उद्यम (वीएसई) क्षेत्रक में प्रमुख कार्यक्रम उद्योग वर्टिकल के क्षेत्राधिकार में आते हैं। वीएसई क्षेत्रक से संबंधित मुद्दे तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की आवश्यकता में और भी पैमाने हैं जो कि भारी उद्योग से अलग हैं। उद्योग वर्टिकल द्वारा एमएसएमई से संबद्ध मुद्दे और एमएसएमई मंत्रालय से जुड़े हुए खादी तथा नारियल–जटा (कोइर) क्षेत्रक एवं वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, हस्तशिल्प, ऊन, रेशम और पावरलूम क्षेत्रक से संबंधित मामले देखे जाते हैं। इस वर्टिकल के अधिकारियों ने मंत्रालय द्वारा समय–समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में भाग लिया। वीएसई क्षेत्रक के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले प्रमुख कार्यक्रम में निम्न शामिल हैं:

    i. एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम
    ii. ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम
    iii. एमएसई के लिए ऋण गारंटी निधि स्कीम
    iv. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
    v. खादी सुधार और विकास कार्यक्रम
    vi. पारंपरिक उद्योग के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (एसएफयूआरटीआई)
    vii. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम
    viii. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
    ix. हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम
    x. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
    xi. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण
    xii. रेशम उत्पादन में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)
    xiii. वृहत क्लस्टर स्कीम
    xiv. नारियल–जटा (कोइर) उद्योग में पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन

20.02.2015 को नीति आयोग द्वारा सुश्री किरण धिंगरा, भूतपूर्व सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में परामर्श दस्तावेज पर चर्चा करने के लिए हथकरघा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। तत्पश्चात, सीईओ, नीति आयोग ने ऐसे राज्यों के मुख्य सचिवों की सलाह मांगी जिन्होंने विशिष्ट कार्यनीति और निष्पादन योजना का विकास करने में नीति आयोग को सहायता देने के लिए राज्यों में हथकरघा क्लस्टरों में प्रमुख चुनौतियों का निर्धारण करने संबंधी कार्यशाला में भाग लिया था। राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया को विकास आयुक्त के कार्यालय (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय के साथ साझा किया गया जिससे कि उसके द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

# वित्तीय संसाधन

वित्त वर्ष 2015–16 में देश में वित्तीय परिदृश्य में व्यापक ढांचागत बदलाव देखा गया। केंद्र सरकार ने राज्यों के केंद्रीय कर के हिस्से को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिश को स्वीकार किया है जो केंद्रीय बजट 2015–16 से अब तक हिस्सेदारी में सबसे अधिक वृद्धि है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि करने की वजह से राज्यों के लिए असंबद्ध अनुदान में वृद्धि हुई है, जबकि सामान्य केंद्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता जैसे विवेकाधीन अनुदान में कमी हुई है।

इन बदलावों के मद्देनजर नीति आयोग ने सार्वजनिक व्यय का अनुवीक्षण और मूल्यांकन करने के मुख्य अधिदेश के साथ सहकारितापूर्ण संघवाद का पोषण करने की अपनी नई भूमिका अदा की है।

**पहलें**

**राज्यों के लिए आबंटन:** पूर्ववर्ती योजना आयोग की राज्यों को योजना अनुदान का आबंटन करने की भूमिका से हटकर 2015–16 में नीति आयोग द्वारा केंद्रीय व्यय बजट 2015–16 की मांग संख्या 37 के तहत 20,000 करोड़ रु. की विशेष सहायता के एक–बारगी आबंटन के माध्यम से राज्यों को बीआरजीएफ, बुंदेलखंड, पीएमआरपी, एलडब्ल्यूई जिलों, छठवीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों जैसी विभिन्न प्रतिबद्ध देयताओं, आर्सेनिक और फ्लूराइड प्रभावित क्षेत्रों हेतु जल स्रोतों का विकास करने के लिए सहायता तथा चौदहवें वित्त आयोग के बाद के मुद्दों से निपटने के लिए केवल एक बार वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

**राज्य वित्त का विश्लेषण और अध्ययन:** नीति आयोग राज्य वित्त संबंधी एक डेटाबेस रखता है और इसका तकनीकी विश्लेषण करता है। इस प्रभाग ने डेटाबेस के अनुरक्षण और विश्लेषण के प्रयोजन से सामाजिक सेवाओं पर होने वाले व्यय संबंधी सूचना सहित सभी राज्य सरकारों से राज्य वित्त से संबंधित सूचना का मिलान करने का उत्तरदायित्व निभाया।

राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन करके पांच राज्यों को चिन्हित किया गया और उनके उपलब्ध राजकोषीय स्थान में से प्रत्येक स्थान का इष्टतम उपयोग करने हेतु आवश्यक समाधान प्राप्त करने तथा वृहत–आर्थिक/लोक वित्त के बेहतर प्रबंधन के लिए इन राज्यों के संबंध में एक अध्ययन प्रारंभ किया गया है।

2014–15 और 2015–16 के लिए वास्तविक निर्मुक्ति के आधार पर, मात्र की दृष्टि से कुल अंतरण के मामले में 26 राज्यों ने लाभ अर्जित किया है, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे अधिक लाभ प्राप्तकर्ता हैं।

**2014-15 की तुलना में 2015-16 में राज्यों के लिए कुल अंतरण का राज्य-**वार विश्लेषण: राज्य के लिए कुल अंतरण में केंद्रीय करों का अंतरण, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता (सीएएसपी) और वित्त आयोग का अनुदान शामिल है। विश्लेषण ने इस तथ्य को मजबूती प्रदान की है कि तीन राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने वित्त वर्ष 2014–15 की तुलना में 2015–16 में अधिक अंतरण प्राप्त किया है।

वित्त वर्ष 2014–15 की तुलना में 2015–16 में राज्यों के सामाजिक क्षेत्रक व्यय के अध्ययन से यह पता चला कि पंद्रह में से बारह राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि हुई है। शिक्षा में व्यय पद्धति समान है। दर्शाए गए पंद्रह राज्यों में से बारह राज्यों में इसमें वृद्धि हुई है।

चार राज्यों जिनमें इसमें कमी हुई है, में बदलाव 0.5 प्रतिशत अंक से कम है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जहां जीएसडीपी के अनुपात के रूप में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय में कमी हुई है।

अनंतिम रूप से यह कहना उचित है कि उपलब्ध डेटा से इस चिंता का कोई कारण पता नहीं चलता कि राज्यों ने व्यय के मामले में दी गई अधिक स्वतंत्रता के मद्देनजर गैर–जिम्मेदाराना ढंग से कार्य किया होगा।

**लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)** जिसे पहले केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली के नाम से जाना जाता था, नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) की एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम रही है जिसकी शुरूआत अप्रैल, 2008 में की गई थी। इसका लक्ष्य भारत सरकार की स्कीमों के निधि प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त ऑन–लाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) की स्थापना करना है। इस प्रणाली के तहत, स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार से निधियों के संवितरण पर नजर रखने और तत्क्षण आधार पर राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर इन स्कीमों के तहत उपयोग की अंततः सूचना दी जाती है।

पीएफएमएस बैंकिंग नेटवर्कों के साथ अपने इंटरफेस के माध्यम से आद्योपांत लाभार्थी प्रबंधन तथा लाभार्थियों के बैंक खातों/आधार से जुड़े हुए बैंक खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को सुसाध्य बनाती है और विभिन्न पणधारकों के लिए ऑन–लाइन/तत्क्षण एमआईएस उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, अब पीएफएमएस के कार्यक्षेत्र का विस्तार उसकी अधिदेशित भूमिका से अधिक हो चुका है। 2014 में, व्यय विभाग (डीईए) ने योजना और गैर–योजना सहित सभी भुगतानों तथा प्राप्तियों को शामिल करने के साथ मौजूदा लेखा प्रणालियों को भी शामिल करने के लिए लेखाओं के कंप्यूटरीकरण हेतु पीएफएमएस प्लेटफार्म पर बड़े अंतःक्षेप किए हैं। तथापि, सीजीए कार्यालय द्वारा संचालित पीएफएमएस के माध्यम से किए जा रहे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन के फलस्वरूप स्कीम को 01.07.2015 से व्यय विभाग को अंतरित कर दिया गया है।

**विभिन्न मंत्रिमंडल नोट/समितियों/आयोगों/प्रस्तावों/परियोजनाओं की रिपोर्ट के संबंध में तकनीकी टिप्पणियां:**

वर्टिकल ने केंद्र प्रायोजित स्कीमों, गैर–सांविधिक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) की स्थापना और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भुगतानों के संवर्धन जैसे विभिन्न मंत्रिमंडल नोट के संबंध में तकनीकी सूचनाएं प्रदान की हैं।

इसने केंद्र–राज्य संबंधों पर पंछी आयोग की रिपोर्ट, आयोजना प्रक्रिया की समीक्षा संबंधी स्थायी वित्त समिति, वित्त मंत्रालय, योजना मंत्रालय आदि की अनुदान मांगों के संबंध में भी टिप्पणियां की है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), वित्तीय क्षेत्रक की पर्यवेक्षण पद्धतियों और क्षमता में वृद्धि करने तथा जलवायु परिवर्तन के संबंध में पुडुचेरी राज्य की कार्य योजना (एसएपीसीसी) के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक की तकनीकी सहायता (टीए) के संबंध में भी टिप्पणियां की गईं हैं। वर्टिकल ने विशेष रूप से योजना और गैर–योजना के भेद को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय के प्रभावी प्रबंधन संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के संबंध में भी योगदान दिया है।

**बाह्य भागीदारी**

विज्ञान भवन में 30 नवम्बर, 2015 को 'नीति आयोग की भूमिका–राज्यों के साथ परामर्श' विषय पर राज्य योजना और वित्त सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसने राज्यों को अपने बजट और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

# प्राकृतिक संसाधन

## जल संसाधन

जल संसाधन प्रभाग देश में जल संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन के लिए नीतियों के निर्माण, कार्यनीतियो के विकास तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन संबंधी कार्य में शामिल है।

**पहलें**

1. **केंद्र सरकार द्वारा 'प्रति बूंद अधिक फसल'** उत्पादन करने हेतु देश में सभी कृषिजन्य खेती के लिए रक्षात्मक सिंचाई (हर खेत को पानी) के कुछ साधनों की सुसाध्यता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की परिकल्पना की गई है जिससे अधिक वांछित ग्रामीण संपन्नता प्राप्त हो रही है। पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रु. के निर्देशात्मक परिव्यय के साथ देश में कार्यान्वयन के लिए इस कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया है। इसके चार घटक नामतः (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), (ख) हर खेत को पानी, (ग) प्रति बूंद अधिक फसल, और (घ) जलसंभर विकास हैं।

   कार्यक्रम कार्यान्वयन, संसाधनों के आबंटन, अंतर–मंत्रालयी समन्वय आदि का निरीक्षण करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) का गठन किया गया है। नीति आयोग में 29 सितंबर, 2015 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) की पहली बैठक में कार्यक्रम कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों की सिफारिश की गई। एनईसी द्वारा यथासंस्तुत पीएमकेएसवाई के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने हेतु नीति आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। पीएमकेएसवाई के लिए रोडमैप का प्रारूप तैयार कर लिया गया है जिसे राज्यों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य पणधारकों के परामर्श से समिति द्वारा शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा। रोडमैप के प्रारूप में एआईबीपी के तहत वरीयता प्राप्त प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अलावा, अंतिम छोर तक संपर्क वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि पहले से युक्त सिचाई संभावना का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

   एनईसी की दूसरी बैठक 19 फरवरी, 2016 को नीति आयोग में आयोजित की गई। दूसरी बैठक में निधियां जारी करने के लिए दिशा–निर्देशों और प्रक्रियाओं को सरलीकरण की सिफारिश की गई ताकि पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा, पहले से सृजित सिंचाई संभावना का पूर्ण उपयोग करने के लिए कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीएंडडब्ल्यूएम) के तहत परियोजनाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

2. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)** के तहत, कार्यान्वयन हेतु जितनी जल्दी हो सके, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र को शामिल करने के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने का अधिदेशित लक्ष्य रखा गया है। मार्च, 2017 तक कुल 23 चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु प्राथमिकता दी गई है। इन प्राथमिकता–प्राप्त परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद लगभग 4.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाने की संभावना है। नीति आयोग और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने 22 परियोजनाओं का दौरा किया और उनकी वास्तविक प्रगति का आकलन किया। राज्यों के परामर्श से परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची और लक्ष्यों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। यह इन परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने में उपयुक्त अनुवीक्षण को सुसाध्य बनाएगा।

3 **भारत में जल संसाधनों के विकास और संधारणीय प्रबंधन** हेतु ढांचा तैयार करने के लिए नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 'भारत के लिए जल ढांचा' विषय पर एक अध्ययन प्रारंभ किया गया है। इस अध्ययन से विभिन्न राज्यों और अन्य देशों से भी उत्तम पद्धतियों से संबंधित सूचना हासिल की जाएगी। उत्तम पद्धतियों से प्राप्त ज्ञान जल क्षेत्रक को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करने में उपयोगी होगा।

4. **अंतर-राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों** के जल संबंधी विवादों के अधिनिर्णय हेतु अंतर–राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन का अधिनियमन किया गया था। अंतर–राज्यीय नदी जल विवादों के निपटान/अधिनिर्णय प्रक्रिया को और कारगर बनाने की दृष्टि से इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित संशोधन से जल विवादों के समय पर निपटान हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में सुसाध्यता होगी। नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में राज्यों और अन्य पणधारकों से परामर्श किया गया और प्रस्तावित संशोधनों में उचित तरीके से शामिल करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को अग्रेषित किया गया।

5. **नदी ग्रिड के लिए रूपरेखा तैयार करना**: नीति आयोग के जल संसाधन प्रभाग ने नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की पहल की है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में मंत्रालय द्वारा गठित कार्य–दल के सहयोग से रूपरेखा तैयार की जाएगी। सदस्य (कृषि), नीति आयोग की अध्यक्षता में 18.03.2016 को नीति आयोग में हुई बैठक में नदी ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने में तेजी लाने के लिए स्थिति की समीक्षा की गई तथा आगे और उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार की गईं। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) संबंधी परियोजनाओं के संबंध में उनके द्वारा किए गए कार्य का विवरण नीति आयोग के साथ साझा करेगा। विवरण में अगले तीन से चार वर्षों के लिए आईएलआर परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजनाओं के संबंध में वर्तमान स्थिति और कार्य–योजना शामिल होगी। यह विवरण नदियों को आपस मे जोड़ने के लिए प्रभावी रूपरेखा तैयार करने को सुसाध्य बनाएगा।

6. **परियोजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन**

(i) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना चरण III" के संबंध में तैयार किए गए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) संबंधी ज्ञापन का नीति आयोग में मूल्यांकन किया गया और वित्त मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गईं। विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वयन के लिए 3,640 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन से अपेक्षा की जाती है कि जल संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन हेतु उन्नत डेटा उपलब्धता में सुसाध्यता होगी।

(ii) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 6,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "भू–जल प्रबंधन का रूपांतरण" पर तैयार किए गए प्रस्ताव की जांच की गई और आर्थिक कार्य विभाग को हमारी टिप्पणियां संसूचित की गईं। इस परियोजना की परिकल्पना संधारणीय भू–जल विकास संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में की गई है और विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा गया है। परियोजना प्रस्ताव में भू–जल संसाधनों के संधारणीय विकास हेतु राज्यों तथा स्थानीय संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण को भी शामिल किया गया है।

(iii) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 39.77 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "राष्ट्रीय जल सूचना–विज्ञान केंद्र" (एनडब्ल्यूआईसी) की स्थापना करने हेतु तैयार किए गए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) संबंधी ज्ञापन का नीति आयोग में मूल्यांकन किया गया और वित्त मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गईं। यह प्रस्ताव रखा गया है कि जल संसाधन संबंधी एक व्यापक सूचना प्रणाली के विकास, अनुरक्षण तथा उसे नियमित रूप से अद्यतित करने के उद्देश्य से एनडब्ल्यूआईसी की स्थापना की जाए।

(iv) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सहायता से 17,697 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से केन–बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजना का नीति आयोग में मूल्यांकन किया गया और वित्त मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गईं। केन–बेतवा अतिरिक्त जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में अंतरित करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी पहली परियोजना होगी। इस परियोजना से सिंचाई के अंतर्गत लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने, लगभग 78 मेगावाट विद्युत सृजित होने और लगभग 14 लाख व्यक्तियों को पेयजल सुविधा मिलने की संभावना है।

**पर्यावरण और वन**

पर्यावरण और वन प्रभाग, वनों के संधारणीय प्रबंधन; वन्यजीव एवं उनके पर्यावास के संरक्षण और एक स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर पर्यावरण के अनुरक्षण हेतु नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित है। यह पर्यावरणीय संधारणीयता हासिल करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ–सीसी) के साथ कार्यकलापों का समन्वय करता है।

**पहलें**

**1. परियोजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकनः**

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा "जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन निधि" संबंधी केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के संबंध में स्थायी वित्त समिति के लिए तैयार किए गए ज्ञापन के प्रारूप की नीति आयोग में जांच की गई और मंत्रालय को टिप्पणियां संसूचित की गईं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर कार्यकलापों के अनुकूलन हेतु समग्र निधि के रूप में एक कोष स्थापित करने का प्रस्ताव था। मूर्त अनुकूलन कार्यकलाप जो असुरक्षित समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करने हेतु राज्य और केंद्र सरकार की स्कीमों के माध्यम से चालू कार्यकलापों के तहत शामिल नहीं किए गए थे, के समर्थन के लिए इस स्कीम का प्रस्ताव किया गया था।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन निधि" (एनएमएचएस) संबंधी केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के संबंध में स्थायी वित्त समिति के लिए तैयार किए गए ज्ञापन के प्रारूप की नीति आयोग में जांच की गई और मंत्रलय को टिप्पणियां भेजी गईं। स्कीम के माध्यम से यह परिकल्पना की गई है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण के साथ उन्नयन और संधारणीय प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों को हल करने पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

(ग) मेघालय सरकार द्वारा प्रस्तावित दो परियोजनाओं नामतः 1,200 करोड़ रु. की लागत से "समुदाय आधारित पारितंत्र प्रबंधन परियोजना" और 1,000 करोड़ रु. की लागत से "मेघालय समुदाय वानिकी और जैव–विविधता संरक्षण परियोजना" की जांच की गई और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गईं। विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वयन हेतु "समुदाय आधारित पारितंत्र प्रबंधन परियोजना" और जापान इंटरनेशनल को आपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की सहायता से कार्यान्वयन हेतु "मेघालय समुदाय वानिकी और जैव–विविधता संरक्षण परियोजना" का प्रस्ताव रखा गया है।

(घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा "पुणे में मुला–मुथा नदी के प्रदूषण उपशमन" परियोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति के लिए तैयार किए गए ज्ञापन के प्रारूप का मूल्यांकन किया गया। जापान इंटरनेशनल को आपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की सहायता से राष्ट्रीय नदी संरक्षण के अंतर्गत 990.26 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से कार्यान्वयन हेतु इस परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित परियोजना का संभावित निष्कर्ष "मुला–मुथा नदी में पुणे से प्रवेश करने वाले नगर निगम के जल निकास/प्रदूषण भार में कमी करने के साथ नदी की जल गुणवत्ता, जैव–विविधता तथा पारितंत्र में सुधार करना" है।

(ङ) इसके अलावा, निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की गई और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को टिप्पणियां प्रस्तुत की गईः

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "जैव–विविधता संरक्षण और समुदाय विकास परियोजना" (अनुमानित लागत 980.56 करोड़ रु.) प्रस्तुत की गई;

- त्रिपुरा सरकार द्वारा "उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाते हुए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैव–विविधता का संरक्षण तथा संधारणीय आजीविका के लिए त्रिपुरा में नदी जलग्रहण का विकास" नामक परियोजना (अनुमानित लागत 1,150 करोड़ रु.) प्रस्तुत की गई;
- मणिपुर सरकार द्वारा "मणिपुर में आजीविका पद्धतियों तथा जैव–विविधता संरक्षण के लिए संधारणीय वन विकास" नामक परियोजना (अनुमानित लागत 749.57 करोड़ रु.) प्रस्तुत की गई;
- कोयंबटूर स्थित सलीम अली पक्षीविज्ञान और प्रोंतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन) को पूर्णतः स्वायत्त दर्जा देने के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव की जांच की गई।

**2. मंत्रिमंडल द्वारा विचारार्थ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रलय द्वारा प्रस्तावित विधानों का मूल्यांकन:**

(क) प्रतिकर वनीकरण निधि विधेयक, 2015 के प्रारूप संबंधी मंत्रिमंडल नोट और उपर्युक्त विधेयक को संसद में पुनः स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव की जांच की गई और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को टिप्पणियां दी गईं। प्रस्तावित विधान में गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु अंतरित वन भूमि के बदले में वसूली गई राशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य–क्षेत्र, दोनों में उपयुक्त संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने की मांग की गई है। प्रस्तावित विधान में प्रभावी और पारदर्शी तरीके से इन धनराशियों का उपयोग सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इन धनराशियों के उपयोग से गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु ऐसे वन भूमि के अंतरण के प्रभाव में कमी आएगी।

(ख) एक नए विधान नामतः पर्यावरण संबंधी कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 से संबंधित मंत्रिमंडल नोट की जांच की गई। प्रस्तावित संशोधन से पर्यावरण संबंधी कानून के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार होने तथा प्रदूषण को रोकने में सहायता मिलने एवं पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के गैर–वानिकी प्रयोजन के लिए अंतरित भूमि के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव की नीति आयोग में जांच की गई और मंत्रालय (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को टिप्पणियां भेजी गईं।

## खनिज

नीति आयोग का खनिज प्रभाग खनिज संसाधनों के संधारणीय निष्कर्षण हेतु कार्य नीतियों के विकास संबंधी कार्य करता है।

### पहलें

**1. रेअर अर्थ के महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन में आत्म निर्भरता**

1. रेअर अर्थ (आरई) रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, तेल, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे विभिन्न कार्यनीतिक क्षेत्रकों में उच्च तकनीकीयुक्त अनुप्रयोगों में प्रयोग हेतु महत्वपूर्ण संसाधन हैं। देश में रेअर अर्थ के अन्वेषण और खनन तथा आरई आधारित अंत्य–उत्पादों के विनिर्माण के लिए भी एक व्यावसायिक योजना या एक रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।

२. डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में 21 जुलाई, 2015 को आयोजित बैठक में विशेषज्ञों के साथ रेअर अर्थ जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधनो में आत्मनिर्भरता हासिल करने संबंधी कार्य नीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अंत्य–उत्पादों के विनिर्माण हेतु खनिज अन्वेषण से प्राप्त अलग–अलग रेअर अर्थ धातुओं के लिए एक केंद्रित कार्यनीति का विकास करने हेतु डॉ. बलदेव राज, निदेशक, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान, बंगलोर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

विशेषज्ञ समिति के लिए विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(i) भारत की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं (2050) तथा अलग–अलग रेअर अर्थ धातुओं हेतु क्षमता विकास के संबंध में स्थिति दस्तावेज तैयार करना;

(ii) रेअर अर्थ संसाधनों के वर्गीकरण, अन्वेषण और संस्करण से संबंधित नीति तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करना;

(iii) रेअर अर्थ आधारित अंत्य–उत्पादों के अन्वेषण, खनन, निष्कर्षण और विनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी की समीक्षा करना;

(iv) तटीय और परिक्षेत्र दोनों क्षेत्रें में रेअर अर्थ संसाधनों के अन्वेषण संबंधी सलाह देनाय

(v) आत्मनिर्भरता हेतु आरएंडडी केंद्रों और किफायती रूप से व्यवहार्य अंतर्देशीय प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु कार्यनीति सुझाना;

(vi) अंत्य–उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से रेअर अर्थ संसाधनों के प्रापण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी कार्यनीति की समीक्षा करना और सलाह देना;

(vii) रेअर अर्थ आधारित अंत्य–उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मानव संसाधन आवश्यकताओं का आकलन करना तथा मांग को पूरा करने हेतु अपेक्षित संस्थागत ढांचा तैयार करने संबंधी सलाह देना;

(viii) खनन, निष्कर्षण और रेअर अर्थ आधारित अंत्य–उत्पादों के विनिर्माण में निजी क्षेत्रक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय संस्तुत करना।

विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक नीति आयोग में 5 अक्तूबर, 2015 को आयोजित की गई। विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, नीति आयोग द्वारा संसाधनों की पहचान, मांग/अनुप्रयोगों की पहचान, प्रौद्योगिकी प्रक्रिया की पहचान, अवैध खनन के लिए विनियामक तंत्र और विदेशी तथा निजी क्षेत्रक निवेश जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित पांच कार्यकारी समूहों का गठन किया गया। इन कार्यकारी समूहों की बैठकें नवंबर और दिसंबर, 2015 में आयोजित की गईं। ये कार्यकारी समूह न केवल रेअर अर्थ जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने, बल्कि विश्व में आरई आधारित अंत्य–उत्पादों के अग्रणी विनिर्माता बनने के लिए भी उपयुक्त कार्यनीति तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति को बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं। विशेषज्ञ समिति द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की संभावना है।

**2. वर्ष 2020 में दिल्ली-एनसीआर में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस (आईजीसी)** का आयोजन करने हेतु एक सोसाइटी की स्थापना करने तथा भारतीय उपमहाद्वीप में भू–विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए खान मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मंत्रिमंडल नोट की जांच की गई और मंत्रालय को टिप्पणियां संसूचित की गईं। 36वां आईजीसी वैश्विक बदलावों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने तथा प्राकृतिक संसाधनों की निरंतर बढ़ती खोज को पूरा करने के लिए भारत में भू–विज्ञान एवं भू–वैज्ञानिक अनुसंधान का उन्नयन के अवसर प्रदान करेगा। इससे भू–वैज्ञानिक मापन, खनिज अन्वेषण, भू–तकनीकी जांच आदि में लगे हुए भारतीय उपमहाद्वीप के भू–वैज्ञानिकों को लाभ होगा।

# विज्ञान और प्रौद्योगिकी

**पहलें**

**1. अटल नवोन्मेष मिशन**

देश में नवोन्मेष और औद्योगिक पारितंत्र का निर्माण करने और उसमे तेजी लाने के लिए, नीति आयोग ने स्व–रोजगार और प्रतिभा का उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) की स्थापना की है।

इस मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में विश्व–स्तरीय नवोन्मेष केंद्रों, महाचुनौती, स्टार्ट–अप व्यवसाय और अन्य स्व–रोजगार कार्यकलापों हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना है। तदनुसार, मिशन के कार्यकलाप में निम्न शामिल होंगे:

(क) उद्यमिता संवर्धन–उद्यमियों और स्टार्ट–अप के सफलतापूर्वक संवर्धन के लिए, और
(ख) नवोन्मेष संवर्धन–सृजित नवप्रवर्तन संबंधी विचारों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।

अटल नवोन्मेष मिशन की रूपरेखा की संकल्पना करने हेतु मिशन की कार्यपद्धति तैयार करने, प्रचालन और प्रक्रिया के लिए, नीति आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने नवोन्मेष और उद्यम संबंधी पक्षों, दोनों को शामिल करते हुए सिफारिशें की हैं।

**महत्वपूर्ण सिफारिशें**

- विखंडनकारी नवोन्मेषों के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत करना
- गतिशील उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करके भारत में युवा मनोवृत्ति को प्रेरित करना
- इन्क्युबेटरों की क्षमता बढ़ाना
- अनुसंधान और विकास हेतु निधि उपलब्ध कराने हेतु कारपोरेट निधियों का सदुपयोग करना
- शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम और शैक्षिक विधियों में सुधार करना
- सामाजिक स्तर पर असफलताओं को स्वीकार करते हुए नवोन्मेष की उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में पहचान करना
- करों, पूंजी, श्रम बाजारों, आईपीआर आदि में सुधारों के माध्यम से व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाना
- और अधिक महिलाओं, ग्रामीण जनसंख्या आदि को शामिल करके सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करना
- राष्ट्रीय स्तर पर नवोन्मेष और उद्यमिता उत्सव मनाना

मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु और उल्लिखित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सतत आधार पर मार्गदर्शन करने हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मिशन समिति (एमएचएलसी) का गठन भी किया गया।

**एआईएम के तहत निम्नलिखित चिन्हित पहलें करने हेतु एक मिशन निदेशालय की स्थापना भी की गई:**

क) भारत की सर्वाधिक ज्वलंत समस्याओं का अत्यंत किफायती समाधान प्राप्त करने हेतु महाचुनौती
ख) 500 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना करना
ग) 100 अटल इन्क्युबेशन केंद्रों की स्थापना करना
घ) 10 स्थापित इनक्युबेशन केंद्रों की स्थापना करना

पणधारकों के साथ कई बार गहन चर्चा करने के पश्चात उपर्युक्त कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश तैयार किए गए और इन्हें एमएचएलसी के अनुमोदन हेतु भेजा गया। इन्हें नीति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विद्यालयों, उच्चतर शैक्षिक संस्थानों/विश्व विद्यालयों, वैयक्तिक एवं निजी संगठनों को इन कार्यक्रमों का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

2. मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रकों के लिए रक्षा कवच का निर्माण करने और संबंधित सुविधाओं हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए पहलें की गईं हैं। युद्ध सामग्री में उन्नयन के साथ ज्ञात सुरक्षा जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं। अतः, रक्षा कवच और संबंधित कार्यकलापों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

   उद्योगों, शैक्षणिक संस्थाओं, आरएंडडी संगठनों, मंत्रालयों, सुरक्षा एजेंसियों, पैरा–मिलिटरी बलों और रक्षा कार्मिकों से सभी पणधारकों के साथ कच्ची सामग्री के विनिर्माण, समाप्त उत्पादों, आरएंडडी और परीक्षण तथा विकास सुविधाओं जैसे पक्षों पर चर्चा करने के लिए नीति आयोग के सदस्य वी.के. सारस्वत की अध्यक्षता में एक कोर समूह का गठन किया गया। इस कार्य का उद्देश्य स्वदेशीय कच्ची सामग्रियों सहित रक्षा कवच के व्यापक स्तर पर विनिर्माण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था।

बैठकों में चर्चा के आधार पर निम्नलिखित अंतरिम सिफारिशें की गईं:

- देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों/अवसंरचना की स्थिति की पहचान करना।
- प्रयोक्ताओं से मांग के मामले में मौजूदा प्रौद्योगिकियों/अवसंरचना की क्षमता का मूल्यांकन करना और प्रचालन बढ़ाने हेतु एक कार्यक्रम तैयार करना।
- देश में उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन/सिरैमिक पावर के एरामिड/केवलर के आयात में कमी करने के लिए कच्ची सामग्री संबंधी नई विनिर्माण सुविधाओं/अवसंरचना स्थापित करने के साथ उसका पैमाना बढ़ाना।
- कार्मिकों के लिए कवच के संबंध में भारतीय सामर्थ्य और क्षमताओं को शामिल करते हुए एक रोडमैप तैयार करना।
- इस क्षेत्र में नैनो–प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का अध्ययन।

3. ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माताओंकी चिंताओं का समाधान कर रहे हैं। विश्वव्यापी, वैकल्पिक ऊर्जा साधनों की पहचान की जा रही है और ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए इनका संवर्धन किया जा रहा है। इस संबंध में, एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में मेथनॉल विश्व भर के अनुसंधानकर्ताओं को आकर्षित कर रहा है।

   भारत में मेथनॉल इकानमी को समझने और उसकी रूपरेखा का मूल्यांकन करने हेतु, मेथनॉल इकानमी के उत्पादन, परिवहन, भंडारण, उपयोग और आरएंडडी जैसे पक्षों पर कार्य करने के लिए डॉ. वी.के.सारस्वत, सदस्य की अध्यक्षता में नीति आयोग में एक प्रौद्योगिकी समूह का गठन किया गया है। इनकी बैठकों में निम्न पर बल दिया गया:

- मेथनॉल उत्पादन हेतु अधिक राख वाले कोयले के उपयोग का पता लगाना
- मेथनॉल के उत्पादन हेतु सीमेंट कंपनियों से जैव–भार और गैसों का उपयोग करना
- चीनी की खोई, देवदार के कांटे जैसे फीडस्टॉक से मेथनॉल के उत्पादन हेतु आरएंडडी
- परिवहन क्षेत्रक में मेथनॉल के उपयोग संबंधी सर्वेक्षण

4. नीति आयोग भी साहित्य, अनुसंधान निष्कर्षों के आदान–प्रदान संबंधी मेथनॉल संस्था और देश में मेथनॉल अर्थव्यवस्था के संवर्धन हेतु विशेषज्ञों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार मंचों (थिंक टैंक) के साथ कार्यकारी संबंध स्थापित कर रहा है।

5. डेटा पोर्टल पर अपलोड करने तथा मौजूदा डेटा सेटों के अद्यतनीकरण हेतु नीति आयोग के नए डेटा सेटों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग एवं उपलब्धता नीति के कार्यान्वयन संबंधी पर्यवेक्षण समिति की दो बैठकें हुईं। 29 राज्यों के प्रमुख सामाजिक–आर्थिक सूचकों/राज्य प्रोफाइलों को डेटा पोर्टल पर अपलोड किया गया। इन डेटा सेटों से आयोजकों और अनुसंधानकर्ताओं को मदद मिलेगी।

6. एसएफसी/ईएफसी/एसपीएसी से संबंधित प्रस्तावों और डीओएस, डीएई (आरएंडडी), डीएसटी, डीबीटी, डीएसआईआर/सीएसआईआर और एमओईएस जैसे केंद्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागोंके मंत्रिमंडल/सीसीईए नोट की जांच की गई और उन पर टिप्पणी की गई।

# सामाजिक न्याय

### उत्तरदायित्व

नीति आयोग का सामाजिक न्याय और अधिकारिता (एसजेएंडई) प्रभाग, समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी), घुमंतु, अर्ध–घुमंतु और अन–अधिसूचित जनजातियों (एनटी, एसएनटी और डीएनटी), सफाई कर्मचारियों, अल्पसंख्यकों व अन्य कमजोर वर्गों, जैसे कि निःशक्त/निस्सहाय व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, मादक औषधियों/ मादकलत के शिकार लोगों, भिखारियों तथा ट्रांसजेंडरों के हितों की रक्षा और संरक्षा करने के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने से संबंधित है। यह प्रभाग, अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के निर्माण और कार्यान्वयन, अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान और एससीएसपी एवं टीएसपी के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के संबंध में सलाह भी देता है। इस प्रक्रिया में यह प्रभाग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य सामाजिक रक्षा समूहों के कल्याण एवं विकास से संबंधित कार्य करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग), जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राज्य विभागों के लिए भी नीति आयोग में नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है।

### पहलें

1. इस अवधि के दौरान प्रभाग द्वारा किए गए प्रमुख कार्य वृहत संचित देयताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के निदेशों पर अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों (पीएमएस) के तहत प्रतिबद्ध देयताओं की समीक्षा करने से संबंधित हैं। तदनुसार, सलाहकार, सामाजिक न्याय की अगुवाई में नीति आयोग तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक संयुक्त दल ने तीन राज्यों नामतः महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना का दौरा किया।

2. संयुक्त दल की रिपोर्ट के आधार पर समग्र आधार पर इस मुद्दे की जांच करने के लिए श्री युद्धवीर सिंह मलिक, अपर सचिव, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने पीएमओ और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2016 में सौंपी। समिति ने इस स्कीम के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने सहित इन प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने हेतु कई उपायों की सिफारिश की। बाद में विशेष रूप से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पीएमएस स्कीम के तहत केंद्रीय बकाया के बैकलॉग संबंधी अनुमति के संबंध में व्यय विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ इस रिपोर्ट को वित्त सचिव (व्यय विभाग में) को भी भेजा गया। उल्लेखनीय है कि इस स्कीम के लिए आबंटन को बजट अनुमान 2015–16 में 1600 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2016–17 में 2700 करोड़ रु. कर दिया गया।

3. प्रभाग में कुल 22 प्रस्तावों पर विचार किया गया और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को नीति आयोग के विचारों से अवगत कराया गया। प्रारूप मंत्रिमंडल नोट/ईएफसी और एसएफसी ज्ञापन के रूप में प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर इस अवधि के दौरान नीति आयोग के विचार प्रस्तुत किए गए, में निम्नलिखित शामिल थेः (i) 'नशेड़ियों के मेडिकल उपचार और मनोवैज्ञानिक–सामाजिक पुनर्वास तथा सर्वांगीण स्वास्थ्यलाभ (डब्लूपीआर) प्रदान करने के लिए लिए प्रस्तावित औषध (ड्रग) की मांग में कमी लाने संबंधी राष्ट्रीय नीति; (ii) 'दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों के विनिर्माण और आपूर्ति में लगे हुए कृत्रिम

अंग विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) (कानपुर) का आधुनिकीकरण'; (iii)'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) की मौजूदा 1000 करोड रु. की प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर 1200 करोड़ रु. करना'; (iv) 'वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपी) के तहत स्कीमों का आमेलन' और (अ) 'एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए एक अंब्रेला स्कीम

**अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पीएमएस स्कीम के तहत प्रतिबद्ध देयताओं संबंधी रिपोर्ट**

**क. शामिल मुद्दे**

- छात्रवृत्ति का दावा करने वाले संस्थानों/छात्रों के बारे में स्पष्टता की कमी।
- निजी व्यावसायिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षा शुल्क की बहुत ऊंची दर।
- व्यावसायिक महाविद्यालय लगभग 20 प्रतिशत छात्रों को ही शिक्षा दे रहे हैं, जबकि इस स्कीम के तहत लगभग 80 प्रतिशत निधि का उपभोग कर रहे हैं।
- शासकीय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों में समान पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा शुल्क की दरों में भारी अंतर।
- आवेदनों की प्रस्तुति/सिफारिश हेतु समयबद्धता का अनुपालन न होने के कारण राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों द्वारा निधि का सही अनुमान लगाने के संबंध में स्पष्टता की कमी।
- अनुवीक्षण की कमी।

**ख. सिफारिशें**

- संस्थानों और पाठ्यक्रमों के मापन की आवश्यकता।
- ई–शासन पद्धतियों/समाधानों का उपयोग करते हुए स्कीम का कार्यान्वयन।
- एसएससी के रोल नं., उत्तीर्ण होने का माह और वर्ष, बोर्ड का नाम के माध्यम से और बैंक खाते से आधार को जोड़कर छात्रों की विशिष्टता निर्धारित करना।
- समान पाठ्यक्रमों के लिए शासकीय संस्थाओं की तुलना में निजी संस्थाओं में शिक्षा शुल्क को 1.5 गुना तक सीमित करना।
- कोई भी छात्र एक चरण में केवल एक पाठ्यक्रम के लिए ही छात्रवृत्ति का पात्र होगा और आवेदन प्रस्तुत करने/आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए सख्त समयबद्धता।
- अनुसूचित जाति की अधिक संख्या वाले गैर–सरकारी संस्थानों में वास्तविक आवधिक निरीक्षण।

4. इसी दौरान, नीति आयोग में विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के माध्यम से 'नई रोशनी–अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास स्कीम' नामक स्कीम का एक त्वरित प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शुरु किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ विचार–विमर्श करने के लिए ज्ञान, साधन और तकनीक उपलब्ध कराके अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सशक्त बनाना तथा उनमें विश्वास पैदा करना हैताकि वे अपने घर और समाज के दायरे से बाहर निकलकर नेतृत्व की भूमिका निभाने की संकल्पना कर सकें और अपने जीवन तथा आजीविका स्थितियों में सुधार करने के लिए सरकार के विकास संबंधी लाभों में अपने उचित हिस्से का दावा करने के अलावा सेवाएं, सुविधाएं, कौशल और अवसर प्राप्त करने में संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकार सुनिश्चित कर सकें। मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों से इसके बेहतर कार्यान्वयन हेतु स्कीम में भावी बदलाव यदि कोई हो तो लाने के लिए सुझाव प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है।

5. इसी प्रकार, सामाजिक न्याय प्रभाग जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के पुनरुद्धार के मुददे पर कार्य कर रहा है ताकि टीआरआई का शीर्ष स्तरीय अनुसंधान संस्थानों के रूप में उन्नयन किया जा सके। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) को टीआरआई के अध्ययन का कार्य भी सौंपा गया है। इस अध्ययन के संबंध में एनआईएलईआरडी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात टीआरआई के पुनरुद्धार संबंधी अंतिम रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

6. सामाजिक न्याय प्रभाग ने टीएसपी के लिए एससीए, अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान और वनबंधु कल्याण योजना आदि के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों के योजना प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के एक सदस्य के रूप में भाग भी लिया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जनजातीय उप–योजना के कार्यान्वयन हेतु एक समन्वय समिति का गठन भी किया है। प्रभाग ने समन्वय समिति की बैठकों में उसके एक सदस्य के रूप में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया। इसी प्रकार, इस प्रभाग ने अधिकारिता समिति (ईसी) जो बहु–क्षेत्रकीय विकास कार्यक्रमों (एमएसडीपी) के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देती है और सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रमों संबंधी समन्वय समिति में भी नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

7 नीति आयोग नोडल मंत्रालयों/विभागों अर्थात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में गठित निम्नलिखित समितियों में सदस्य है:

i. अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम।

ii. केंद्र प्रायोजित स्कीमों और केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें के लिए परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)।

iii. अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) तथा बहु–क्षेत्रकीय विकास कार्यक्रम के लिए समन्वय समितियां।

iv. अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी)।

v. लघु वनोत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी) और मूल्य श्रृंखला के विकास संबंधी समिति।

vi. एनजीओ के लिए सहायता अनुदान के तहत संस्थाओं और एजेंसियों के चयन संबंधी समिति।

vii. विश्व बैंक सहाय्यित 'जनजातीय क्षेत्रें में विकास कार्यक्रम में सुधार करने' संबंधित समिति।

viii. अनुसूचित जनजातियों के लिए मुफ्त कोचिंग स्कीम के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थाओं के चयन संबंधी समिति।

ix. विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कमजोर जनजातीय समूहों के लिए नीतियां तैयार करने संबंधी विशेषज्ञ समिति।

x. सीएस और सीएसएस स्कीमों से संबंधित स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)।

xi. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के लिए केंद्रीय संचालन–सह–अनुवीक्षण समिति (सीएसएमसी)।

xii. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग स्कीम के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए कोचिंग संस्थाओं की सिफारिश करने हेतु चयन समिति।

xiii. "बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना"की केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत संचालन समिति।

xiv. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद।

xv. ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित मुद्दों के संबंध में विशेषज्ञ समिति।

xvi. डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय अंबेडकर सामाजिक न्याय केंद्र की विकास योजना के

लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न घटकों के संबंध में की गईं सिफारिशों के लागू करने संबंधी समिति।

xvii. सिर पर मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार का निवारण और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत केंद्रीय अनुवीक्षण समिति।

xviii. भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (एएसआई) की राष्ट्रीय सलाहकार समिति।

# विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन

देश में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत से ही नीति निर्माताओं ने भारत में एक प्रभावी और स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता को स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा सरकारी कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए 1952 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना की गई थी।

सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का आमेलन करके नीति आयोग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) की स्थापना सितम्बर, 2015 में की गई थी। डीएमईओ का प्रमुख एक महानिदेशक होता है जो भारत सरकार में अपर सचिव के स्तर के समकक्ष होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीएमईओ कार्यात्मक स्वायत्तता को पूरा करने के अलावा स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ हो सके, इसे पृथक बजटीय आबंटन और जनशक्ति प्रदान की गई है।

**उत्तरदायित्व**

डीएमईओ को "अपेक्षित संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी एवं मूल्यांकन करने का अधिदेश दिया गया है ताकि सफलता की संभावना और प्रदायगी के अवसर को बढ़ाया जा सके"।

डीएमईओ अवसंरचनात्मक मंत्रालयों और सामाजिक क्षेत्रक मंत्रालयों के संबंध में सतत आधार पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी करता है। सरकार में सर्वोच्च स्तरों पर अनुवीक्षण समीक्षाएं की जाती हैं। इसी प्रकार, डीएमईओ को आठ विषयों पर सचिवों के समूहों की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की गई विकास संबंधी कार्य योजनाओं की निगरानी का कार्य भी सौंपा गया है। इसके प्रमुख

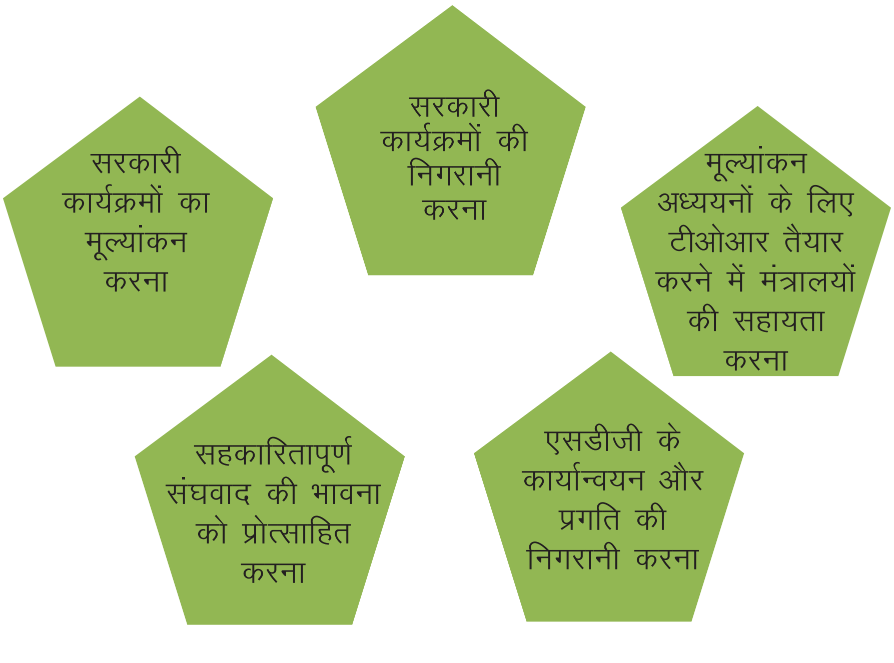

डीएमईओ स्वयं या भारत सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयो/विभागों के अनुरोध पर, कार्यान्वयन के तहत चयनित कार्यक्रमों/स्कीमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन कार्य के उद्देश्यों में विकास कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और प्रभावों का यथार्थपरक मूल्यांकन, कार्यक्रम के निष्पादन के विभिन्न चरणों में सफलता और असफलता के क्षेत्रें और कारणों की पहचान, जहां अपेक्षित हो वहां मध्यावधि संशोधन करने का सुझाव देना तथा भविष्य के लिए शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना आदि शामिल हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीएमईओ द्वारा किया गया कार्य कार्यक्रम कार्यान्वयन संगठनों के लिए प्रासंगिक और उपयोगी है, मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आयोजकों और कार्यान्वयन एजेंसियों को शामिल करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। डीएमईओ द्वारा प्रत्येक अध्ययन चाहे इन–हाउस या आउटसोर्स हो, के लिए एक मूल्यांकन अनुवीक्षण समिति गठित की जाती है। जहां अपेक्षित हो वहां बाहरी डोमेन विशेषज्ञों को भी समिति के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है।

समिति अध्ययन के उद्देश्यों, नमूना चयन और कार्यप्रणाली, प्रदेय वस्तुओं, घटनाक्रमों आदि सहित 'विचारार्थ विषय' को अंतिम रूप प्रदान करता है। मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों के संबंध में नीति आयोग और कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों में विषय मामला प्रभागों (एसएमडी) की टिप्पणियां प्राप्त की जाती हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्टों को अनुमोदित कर दिए जाने पर जहां अपेक्षित हो वहां उपचारात्मक उपाय करने के लिए इन्हें कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों को भेजा जाता है और इसकी प्रति पब्लिक डोमेन में नीति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

**पहलें**

2015-16 के दौरान डीएमईओ द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन निम्न हैं:

| रिपोर्ट | प्रमुख निष्कर्ष |
|---|---|
| गृह मंत्रालय को जुलाई, 2015 में जारी की गई सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट। | (क) यद्यपि, राज्य–दर–राज्य उत्तर अलग–अलग थे, तथापि, अध्ययन के तहत शामिल किए गए राज्यों के 80 प्रतिशत निवासी कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं थे।<br>(ख) सीमा क्षेत्र में रहने वाले मणिपुर के 50 प्रतिशत, त्रिपुरा का 82 प्रतिशत, नागालैंड के 14 प्रतिशत, सिक्किम के 78 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल के 65 प्रतिशत लोगों ने सुरक्षित महसूस नहीं किया, जबकि गुजरात के 100 लोगों ने कहा कि वे सुरक्षित महसूस करते हैं। |
| जल संसाधन मंत्रालय को 08 दिसंबर, 2015 को जारी की गई कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट। | (क) कृषि करने वाले परिवारों में से 97.63 प्रतिशत परिवारों को सीएडीडब्ल्यूएम से लाभ हुआ। इनमें से 25.51 प्रतिशत परिवारों को कृषि सुविधाओं में सुधार की वजह से, 24.06 प्रतिशत परिवारों को कृषि के लिए जलापूर्ति प्राप्त होने की वजह से और 23.73 प्रतिशत परिवारों को उनकी कृषि में उगाए गए फसलों की संख्या/किस्म में वृद्धि आदि की वजह से लाभहुआ।<br>(ख) 95.71 प्रतिशत किसानों ने सीएडीडब्ल्यूएम के तहत कृषि से विकास किया था। इनमें से 88.2 प्रतिशत किसानों ने फील्ड चौनलों का निर्माण, 13.74 प्रतिशत किसानों ने लिंक निकास का निर्माण, 2.57 प्रतिशत किसानों ने जलप्लावित क्षेत्रें/जलनिकास में सुधार और 3.38 प्रतिशत किसानों ने वाड़ाबंदी आदि की शुरुआत करने का कार्य किया था। |
| महिला और बाल विकास मंत्रालय को 19 जून, 2015 को जारी की गई एकीकृत बाल विकास सेवाओं संबंधी त्वरित मूल्यांकन रिपोर्ट । | (क) 99 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों ने माताओं को बच्चों की स्वास्थ्य सेवा के संबंध में सलाह दी और 68.6 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों ने बच्चों के कुपोषण संबंधी कार्य किया।<br>(ख) 74.6 प्रतिशत, 19.7 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत बच्चे स्वास्थ्य की दृष्टि से क्रमशः सामान्य, औसत रूप से कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित थे। |

| | | |
|---|---|---|
| विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जुलाई, 2015 में जारी की गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट। | (क) | सुरक्षा और संरक्षा के मुद्दे पर, 72.4 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास में चारदीवारी है और 68 प्रतिशत छात्राएं छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट थीं। |
| | (ख) | कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अधिकांश छात्राएं जो नामांकित नहीं थी/इस प्रक्रिया में शामिल नहीं थीं, के पास इन विद्यालयों में आवासीय/छात्रवास सुविधाएं नहीं थीं। |
| विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मार्च, 2015 में जारी की गई नवोदय विद्यालय समिति स्कीम संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट। | (क) | सभी छात्रों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में पुस्तकालय सुविधाएं हैं। 94.5 प्रतिशत छाओं ने बताया कि सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। तथापि, कई वरिष्ठ छात्रों ने यह महसूस किया कि कनिष्ठ छाओं की तुलना में उनके पास अपर्याप्त पुस्तकें थीं। |
| | (ख) | 90 प्रतिशत छात्रें ने बताया कि विद्यालय परिसरों में चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं और 34 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि विद्यालय में एक रेजिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। 99 प्रतिशत छात्रों ने दवाइयों की उपलब्धता की पुष्टि की और उनमें से 36 प्रतिशत छात्रें नें कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में साप्ताहिक औरध्या मासिक आधार पर स्वास्थ्य जांच की गई है। |
| पंचायती राज मंत्रालय को अक्तूबर, 2015 में जारी की गई पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट। | (क) | कोई भी राज्य जारी किए गए आबंटन के 80 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने के पात्र नहीं थे, जबकि 2006-07 से 2010-11 के दौरान जारी की गईं कुल निधियों का समग्र निधि उपयोग केवल 35.68 प्रतिशत था। |
| | (ख) | सर्वेक्षण से पता चलता है कि स्वीकृत में से 61.61 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुके थे, जबकि चालू कार्यों का प्रतिशत 23.42 प्रतिशत था। स्वीकृत कार्यों में से लगभग 10 प्रतिशत कार्य शुरु नहीं हुए थे। |
| विद्युत मंत्रालय को जुलाई, 2015 में जारी की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट। | (क) | परिवार विद्युतीकरण के संबंध में, आरजीजीवीवाई अपने लक्ष्य का 93.3 प्रतिशत हासिल करने में समर्थ थी। 15 प्रतिदर्श राज्यों में से 5 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया था। |
| | (ख) | विद्युतीकृत गांवों की गहनता के संबंध में समग्र उपलब्धि 53 प्रतिशत थी। |

सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के फोटो

आईसीडीएस कार्यक्रम के फोटो

**मूल्यांकन अध्ययन जो पूरे होने वाले हैं:**

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट के मसौदे की प्रति कृषि विभाग को दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 को उनकी टिप्पणी हेतु भेजी गई है।

(ii) एमजीएनआरईजीए संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

**मूल्यांकन अध्ययन जो प्रगति पर हैं:**

(i) परिवार और पोषण संबंधी सुरक्षा को मूर्तरूप देने में पीडीएस की भूमिका संबंधी अध्ययन को एनसीएईआर को आउटसोर्स किया गया है। इसकी अंतिम रिपोर्ट जनवरी, 2016 में प्राप्त होने की संभावना है।

(ii) पीडीएस सुधारों की प्रक्रिया संबंधी आकलन और प्रभाव मूल्यांकन संबंधी अध्ययन को जे–पीएएलएसए को जनहित में आउटसोर्स किया गया है। पहली मूल्यांकन रिपोर्ट अक्तूबर, 2016 में प्राप्त होने की संभावना है।

(iii) पीएमओ की सिफारिश पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने डीएमईओ से नई रोशनी, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का त्वरित कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया है। मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अध्ययन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

# शासन और अनुसंधान

नीति आयोग के प्रवर्तन से ही व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से गुणात्मक अनुसंधान करवाने के लिए तंत्र तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। यह दृष्टिकोणों का आदान–प्रदान करने तथा नवीन विचारों का पोषण करने के लिए एक मंच तैयार करने को सुसाध्य भी बनाएगा।

पूर्ववर्ती योजना आयोग अनुसंधान और अध्ययन स्कीम, 2013 का संचालन करता रहा था। तथापि, नीति आयोग की भूमिका के अनुरूप बनाने के लिए इन दिशा–निर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता थी। अतः, अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, प्रकाशनों और नीति आयोग की अध्येतावृत्तियों का वित्तपोषण करने के प्रावधान के साथ 2015-16 में दिशा–निर्देशों का एक नया सेट अर्थात् 'नीति आयोग की अनुसंधान स्कीम, 2015 तैयार की गई। (दिशा–निर्देशों का पूरा सेट नीति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि अनुसंधान और अध्ययन स्कीम, 2013 संबंधी दिशा–निर्देश पूर्ववर्ती योजना आयोग की आर्काइव्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है)

**इस स्कीम से अपेक्षा है कि यह भारत सरकार के एक प्रमुख विचार मंच (थिंक टैंक) और गुणवत्तायुक्त अनुसंधान कार्य के रूप में नीति आयोग के विकास को सुसाध्य बनाएगी।**

वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 57.14 लाख रु. का सहायता अनुदान जारी किया गया जिसमें अनुसंधान अध्ययन संबंधी 35.58 लाख रु. और संगोष्ठी/कार्यशालाओं संबंधी 21.56 लाख रु. शामिल हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान 4 नए अनुसंधान अध्ययनों (तालिका–1.1) और संगोष्ठियों (तालिका–1.2) के लिए सहायता अनुदान संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। इसके अलावा, पुराने दिशा–निर्देशों के अनुसार 7 चालू अनुसंधान अध्ययन पूरे हो चुके हैं।

पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा समर्थित अध्ययनों सहित कुल 223 अध्ययन रिपोर्ट सुगम उपलब्धता, विचारों के आदान–प्रदान और अनुसंधान के व्यापक सार्वजनिक उपयोग हेतु नीति आयोग की वेबसाइट और पूर्ववर्ती योजना आयोग की आर्काइव्ड वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं। इन रिपोर्टों और संगोष्ठी की कार्यवाहियों की प्रतियां नीति आयोग के संबद्ध वर्टिकलों/प्रभाग को भी भेजी जा चुकी हैं। नीति आयोग के संबंधित प्रभाग इन रिपोर्टों का अनुसरण करते हैं और इन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा करते हैं।

पूर्ववर्ती योजना आयोग ने संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में चेयर प्रोफेसरधनियोजन और विकास इकाईयों (पीडीयू) की स्थापना करने के लिए 14 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में सहायता अनुदान दिया था। नीति आयोग ने नए संगठनों के अधिदेश की दृष्टि से इन पीडीयू की समीक्षा करने और इस स्कीम का पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

**तालिका 1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन**

| क्रम सं. | अध्ययन का शीर्षक | संस्था |
|---|---|---|
| 1. | भारत के दीर्घकालिक परिदृश्यों के वाटर फुट प्रिंटो का मूल्यांकन अध्ययन | ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली |
| 2. | खाद्य सुरक्षा का विश्लेषण–भारत में जल–ऊर्जा संबंध | आरजी फाउंडेशन, नई दिल्ली |
| 3. | भारत के लिए ऊर्जा सूचना द्वारा (पोर्टल) का विकास | प्रयास (ऊर्जा समूह), पुर्ण |
| 4. | भारत में चुनिंदा संस्थाओं में विज्ञान में महिलाओं की स्थिति: नीतिगत प्रभाव | सोसाइटी फॉर सोशियो–इकोनॉमिक स्टडीज एंड सर्विसेस (एसएसईएसएस), कोलकाता |

2015–16 में किए गए कुछ अध्ययनों का सार

**शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण संबंधी आवश्यकताओं गुणात्मक मूल्यांकन करने संबंधी अध्ययन**

अध्ययन का उद्देश्य विशेष रूप से शहरी नवीकरण के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना था।

**प्रमुख निष्कर्ष**

- सूरत, इंदौर और नागपुर जैसे शहर अधिकांश शहरों से तुलना करने पर अधिकारियों और प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के मामले में अपेक्षांत बेहतर स्थिति में थे।
- क्षमता निर्माण के मामले में पटना के बाद मसूरी में न्यूनतम अंतःक्षेप हुआ।
- सभी शहरों में विद्यमान सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दे यूएलबी और राज्यों के बीच कार्यात्मक संबंधों में मतभेद, सभी स्तरों पर कर्मियों (तकनीकी और सामान्य) की भारी कमी, अधिकारियों का बारंबार स्थानांतरण, राज्य स्तरीय स्रोत संस्थाओं की कमी और समर्थित नगर निगम संवर्ग की अनुपस्थिति थे।
- भारत में यूएलबी को चरणबद्ध ढंग से ज्ञान प्रबंधन में निवेश करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह पूरी तरह से क्षमता निर्माण कार्यकलापों जो व्यक्तिगत क्षमता को लक्ष्य करता है, पर निर्भर करता है। यूएलबी को सृजित की जाने वाली क्षमताओं के संस्थानीकरण का अनुसरण करना चाहिए।
- क्षमता निर्माण को पूरा करने के लिए इन निकायों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

| तालिका 1.2 वर्ष 2015-16 के दौरान समर्थित राष्ट्रीय संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/सम्मेलन | | |
|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **अध्ययन का शीर्षक** | **संस्था** |
| 1. | 'रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग' संबंधी कार्यशाला | मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै |
| 2. | 'जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में कृषि के लिए ज्ञान बहुलीकरण और जनसंचार' संबंधी कार्यशाला | राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, संधारणीय विकास और लोक नेतृत्व परिषद (एनसीसीएसडी), अहमदाबाद |
| 3. | कृषि विपणन' संबंधी सम्मेलन | भारतीय`षि विपणन सोसाइटी, हैदराबाद |
| 4. | 'नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु शक्ति' संबंधी कार्यशाला | विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नीति अध्ययन केंद्र (सीएसटीईपी), बंगलोर |
| 5. | 'होरीजोन टेक्नाल जी एंड टेक्नाल जी पार्टनरशिप' संबंधी संगोष्ठी | ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू), नई दिल्ली |
| 6. | 'प्रस्तावित राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का ऊर्जा क्षमता घटक' संबंधी कार्यशाला | ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन, नई दिल्ली |
| 7. | 'राष्ट्रीय ऊर्जा नीति संबंधी सूचना हेतु पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन' संबंधी कार्यशाला | विकास हेतु एकींत अनुसंधान और कार्य (आईआरएडी), नई दिल्ली |
| 8. | 'ऊर्जा मांग और अवसंरचना संबंधी उच्च स्तरीय पणधारक परामर्श' कार्यशाला | ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली |
| 9. | 'महिलाओं और बच्चों की तस्करी–परिस्थितिजन्य विश्लेषण, विमोचन, पुनर्वास और पुनर्मिलन' संबंधी संगोष्ठी | स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज, नागरकाइल, तमिलनाडु |
| 10. | 'ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास' संबंधी कार्यशाला | उत्तारन, तेजपुर |
| 11. | 'कृषि तंत्र के माध्यम से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला सशक्तिकरण' संबंधी कार्यशाला | सी.एस. आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर |
| 12. | 'भारत में सामाजिक पारितंत्र और पर्यावरणीय संरक्षण:मुद्दे, चुनौतियां तथा कार्यनीतियां' संबंधी कार्यशाला | आंचलिक विकास परिषद, बालासोर |

| तालिका 1.3 वर्ष 2015-16 के दौरान पूरे हो चुके अध्ययन | | |
|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **अध्ययन का शीर्षक** | **संस्था** |
| 1. | गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में कक्षा IXवीं और XIवीं के छात्रें की उपलब्धि स्तर का मूल्यांकनः ओडिशा के जनजातीय गैर–जनजातीय जिलों का विस्तृत अध्ययन | आरजी प्रतिष्ठान, नई दिल्ली |
| 2. | मेघालय में कौशल विकासः एक मूल्यांकन | सेंट एंथोनी महाविद्यालय, शिलांग |
| 3. | हरियाणा में मेवात क्षेत्र में पिछड़ेपन की पहचानः एक ब्लाक स्तरीय विश्लेषण | एस.एम. सहगल प्रतिष्ठान, गुड़गांव |
| 4. | शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं के गुणात्मक मूल्यांकन संबंधी अध्ययन | राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली |
| 5. | स्वास्थ्य सेवा पद्धति में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की प्रभावशीलताः कर्नाटक राज्य में नए दृष्टिकोण में द्वैतवाद का प्रभाव और नौकरशाही की भूमिका | आईडीपीएमएस, बंगलोर |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में चुनिंदा नक्सल प्रभावित जिलों में आर्थिक पैकेज के तहत ग्रामीण आवास कार्यक्रम का मूल्यांकन | सुविधाप्रदाताओं का विकास, नई दिल्ली |
| 7. | ग्रामीण विकास के लिए संभावित रोजगार अवसरों का सृजन करने हेतु कौशल और विकास संबंधी कार्यकलापों की पहचान करना तथा प्रोफाइल तैयार करना | ग्रामीण विकास हेतु हरियाली केंद्र |

**शासन और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी**

यद्यपि, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्य को सुदृढ़ किया जा रहा है, तथापि, नीति आयोग ने दिसंबर, 2015 में एक वर्टिकल अर्थात् शासन और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी की स्थापना भी की है। इस वर्टिकल से अपेक्षा है कि यह लोक नीति प्रशासन में बेहतर प्रशासन को सुसाध्य बनाएगा और आयोग के भीतर अन्य वर्टिकलों, केंद्र/राज्य सरकारों के विभागों तथा इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठित संगठनों से संबंधित सेवा प्रदायगी संबंधी मामलों का समन्वय करेगा। इसका उद्देश्य शासन में सर्वोत्तम पद्धतियों का मिलान करना तथा उसका प्रचार करना और सभी पणधारकों के लिए सुशासन पद्धतियों के भंडार के रूप में कार्य करना भी होगा।

होरीजोनएनर्जी टेक्नाल जिज, टेक्नाल जी पार्टनरशिप्स एंड नेशनल एनर्जी पॉलिसी' पर उच्च–स्तरीय गोलमेज पणधारक की चर्चा में सहभागी (आरएसएनए, 2015 के तहत सीईईडब्ल्यू द्वारा आयोजित कार्यशाला)

आरएसएनए, 2015 के तहत टीईआरई द्वारा आयोजित 'ऊर्जा मांग और अवसंरचना संबंधी उच्च–स्तरीय पणधारक चर्चा' संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला

आरएसएनए, 2015 के तहत एनसीसीएसडी द्वारा आयोजित 'जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रें में कृषि के लिए ज्ञान बहुलीकरण और जनसंचार' संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला में सहभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. जे.पी.मिश्रा, सलाहकार (कृषि)

# राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अनुसंधान तथा विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी)

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), पूर्ववर्ती अनुप्रयुक्त जनसाधन अनुसंधान संस्थान, नीति आयोग, भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी संस्थान है। संस्थान के प्रारंभिक उद्देश्य हैं मानव संसाधन योजना और विकास, श्रम बाजार के ढांचे और बदलते स्वरूप संबंधी कार्यनीतिक और तकनीकी अनुसंधान पर ध्यान देना प्रशिक्षण, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का प्रचार–प्रसार, ऐसी पहलों का अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना जिनसे राष्ट्रीय विकास एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। नीति आयोग में एचआरडी प्रभाग इस संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण और दिशा–निर्देश के लिए नॉडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है।

### अनुसंधान अध्ययन

यह संस्थान मोटे तौर पर मानव संसाधनों की प्रकृति, विशेषताओं और उपयोग, श्रम बाजार में परिवर्तनों और अन्य क्षेत्रकों जैसे कृषि, उद्योग, कौशल विकास, सरकारी कार्यक्रमों का अनुवीक्षण और मूल्यांकन इत्यादि के संबंध में व्यापक अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करता है। इसकी बहुआयामी विशेषज्ञता व्यापक अनुसंधान कार्यो से परिलक्षित होती है जिसका अकादमिक क्षेत्र पर तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीति मंच पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। संस्थान द्वारा 2015–16 के दौरान शुरू किए गए अनुसंधान अध्ययनों में शामिल हैः भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाईयों के औपचारिक ऋण की उपलब्धता के निर्धारकों का अध्ययनय महापत्तनों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण संबंधी अध्ययन और बेहतर कार्यशैली तथा प्रौद्योगिकियों के प्रसार के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के प्रभाव आकलन का अध्ययन। वर्ष के दौरान, नए अध्ययन प्रारंभ किए गए, जैसे– ओडिशा सरकार, भारतीय पशुपालन परिषद् तथा नीति आयोग द्वारा प्रायोजित क्रमशः ओडिशा में जनशक्ति आयोजना, पशुपालन क्षेत्र के लिए मानव पूंजी अनुमान तथा जनजातीय अनुसंधान संस्थानों संबंधी अध्ययन।

### शिक्षा और प्रशिक्षण

यह संस्थान कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चलाता है, जैसे–मानव संसाधन आयोजना और विकास में मास्टर उपाधि जिसे गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्व विद्यालय (जीजीएसआईपी) (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित) से संबंद्धता प्राप्त हैय मानव संसाधन आयोजना और विकास में एडवांस्ड डिप्लोमाय अनुवीक्षण और मूल्यांकन (एमएंडई) में डिप्लोमा के अलावा मानव संसाधन आयोजनाय जनशक्ति अनुसंधान, जन शक्ति सूचना प्रणाली, वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन आदि के विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम। पिछले डेढ़ दशक में, 100 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रतिभागी जो मुख्यतः सिविल सेवा के अधिकारी, योजनाकार, शिक्षक तथा प्रशिक्षक हैं, संस्थान के शैक्षिक कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं। यह संस्थान अपने ए ग्रेड को बनाए हुए है जो इसे गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली ने 2012 में दिया था। ये कार्यक्रम मुख्यतः विदेश मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित हैं। सहकारितापूर्ण संघवाद पर नीति आयोग के अधिदेश के अनुरूप, यह संस्थान जम्मू और कश्मीर सरकार के अधिकारियों के लिए अनुवीक्षण और मूल्यांकन संबंधी विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता रहा है।

2015–16 के दौरान आयोजित एनआईएलईआरडी के मास्टर डिग्री कार्यक्रम का दीक्षान्त–समारोह

**अन्य पहलें**

अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन वर्ष, 2015 के आयोजन का समापन काठमांडू, नेपाल में नवम्बर, 2015 में एक विशिष्ट आयोजन–कम्युनिटी ऑफ इवैल्यूएटर्स–साउथ एशिया (सीओई–एसए) के साथ हुआ जिसमें भारत में हो रहे बदलावों और नीति निर्माण के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकनों के उपयोग पर प्रकाश डालने के लिए संस्थान के निदेशक डॉ. योगेश सूरी को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।

माननीय योजना राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन वर्ष (मूल्यांकन वर्ष) 2015 का उद्घाटन

सामाजिक अध्ययन न्यास संस्थान (आईएसएसटी) द्वारा नीति आयोग और एनआईएलईआरडी के साथ मिलकर अप्रैल, 2015 में 'समानता और साम्यता के साथ विकास के लिए मूल्यांकन' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का लक्ष्य मूल्यांक कों, वित्तपोषकों तथा नीति निर्माताओं के साथ मूल्यांकन पद्धतियों और निष्कर्षों को साझा करना था।

एनआईएलईआरडी ने भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) की स्वर्ण जयंती अक्तूबर, 2015 में मनाई जिसमें संस्थान के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और संकाय तथा कर्मचारियों ने 'विविधता में एकता' विषय पर व्याख्यान, सास्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि में हिस्सा लिया। मैनपावर जर्नल, संस्थान की प्रमुख पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1965 से किया जा रहा है। 2015–16 के दौरान पत्रिका के दो अंक प्रकाशित किए गए।

## कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन

पूर्ववर्ती योजना आयोग में शुरू किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं के मूल्यांकन से संबंधित है। मूल्यांकन कार्य आरंभ करने के लिए, पूर्ववर्ती योजना आयोग में दो प्रभागों नामतः परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी) और सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन इकाई (पीपीपीएयू) की स्थापना की गई। सरकार द्वारा वित्त–पोषित कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन आरंभ करने के लिए पीएएमडी की स्थापना 1972 में की गई जबकि अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए स्कीम के तहत व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए केन्द्रीय और राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए पीपीपीएयू की स्थापना 2006 में की गई। उपर्युक्त प्रभागों के माध्यम से पुनर्गठित नीति आयोग में मूल्यांकन कार्य जारी है।

**2015-16 के दौरान शुरू किए गए मूल्यांकन**

1. मूल्यांकन फॉरम की वर्तमान वित्तीय सीमाओं के अनुसार, पीएएमडी 500 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाले कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का समग्र मूल्यांकन करता है और नीति आयोग के विषय प्रभागों के परामर्श से मूल्यांकन टिप्पण तैयार करता है। पीएएमडी द्वारा मूल्यांकन से प्रस्तावों की प्रेंति और आकार के आधार पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा विचारित कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा होती है। यह प्रभाग रेल मंत्रालय के 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाले प्रस्तावों का भी मूल्यांकन करता है, जिन पर विस्तारित रेलवे बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किया जाता है। पीएएमडी द्वारा मूल्यांकन टिप्पण को जारी किए जाने के लिए निर्धारित समय–सीमा ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर ज्ञापन की तिथि से चार सप्ताह है।

2. 2015–16 के दौरान 6,67,635 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्तावों से संबंधित 144 मूल्यांकन टिप्पण, जारी किए गए हैं। 2015–16 के दौरान मूल्यांकित परियोजनाओं का क्षेत्रक–वार वितरण अनुलग्नक में दिया गया है। क्षेत्रकों के मुख्य समूहों से संबंधित सूचना का सार नीचे तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका 1: 2015–16 के दौरान क्षेत्रक समूह–वार मूल्यांकित परियोजनाएं

| क्र.सं. | क्षेत्रक समूह | परियोजनाओं की संख्या | लागत (करोड़ रू. में) | कुल लागत का % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कृषि | 2 | 71455.00 | 10.70 |
| 2. | ऊर्जा | 9 | 40737.47 | 6.10 |
| 3. | परिवहन | 8.5 | 100778.16 | 15.09 |
| 4. | उद्योग | 15 | 7333.18 | 10.98 |
| 5. | एसएडंटी | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | सामाजिक सेवाएं | 22 | 357149.83 | 53.49 |
| 7. | संचार | 2 | 1269.49 | 0.19 |
| 8. | अन्य | 9 | 22912.64 | 3.43 |
| | **कुल** | **144** | **667634.77** | **100.00** |

3. 2015–16 के दौरान, पीपीपीएयू द्वारा 67,233 करोड़ रुपये की कुल लागत की 51 पीपीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इसमें 73 केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाएं और 25 राज्य क्षेत्रक परियोजनाएं शामिल हैं। मूल्यांकित पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रक–वार वितरण तालिका 2 में दिया गया है और राज्य क्षेत्रक परियोजनाओं का राज्य–वार विवरण नीचे तालिका 3 में दिया गया है।

**तालिका 2: 2015-16 के दौरान मूल्यांकित क्षेत्रक-वार पीपीपी परियोजनाएं**

| क्र.स. | क्षेत्रक | परियोजनाओं की संख्या | कुल लागत (करोड़ रू. में) |
|---|---|---|---|
| **क.** | **केन्द्रीय क्षेत्रक** | | |
| 1. | रोड | 58 | 51348.74 |
| 2. | पत्तन (लाईटहाऊस सहित) | 15 | 7837.91 |
| | **कुल (क)** | **73** | **59186.65** |
| **ख** | **राज्य क्षेत्रक** | | |
| 1. | रोड | 15 | 357149.83 |
| 2. | खाद्य भंडारण (साइलोस) | 6 | 1269.49 |
| 3. | विद्युत पारेषण | 3 | 22912.64 |
| 4. | शहरी अवसंरचना | 1 | 187.71 |
| | **कुल (ख)** | **25** | **8046.37** |
| | **कुल (क+ख)** | **98** | **67233.02** |

**तालिका 3: 2015-16 के दौरान मूल्यांकित राज्य-वार पीपीपी परियोजनाएं**

| क्र.स. | क्षेत्रक | परियोजनाओं की संख्या | कुल लागत (करोड़ रू. में) |
|---|---|---|---|
| 1. | असम | 1 | 42.478 |
| 2. | बिहार | 1 | 44.625 |
| 3. | दिल्ली | 1 | 41.845 |
| 4. | गुजरात | 1 | 190.99 |
| 5. | कर्नाटक | 2 | 218.68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | मध्य प्रदेश | 1 | 267.3 |
| 7. | ओडिशा | 1 | 187.71 |
| 8. | पंजाब | 2 | 77.628 |
| 9. | राजस्थान | 9 | 1709.217 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | 6 | 5265.91 |
| | **कुल** | **25** | **8046.383** |

**'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश**

मंत्रलयों/विभागों के साथ पूर्ववर्ती योजना आयोग में वार्षिक योजना वार्ताएं रोकने और नीति आयोग के नये अधिदेश को ध्यान में रखते हुए नये कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान करने के लिए विद्यमान दिशा–निर्देशों की समीक्षा करने की आवश्यकता अनुभव की गई। तद्नुसार, पीएएमडी ने यू.ओ. सं.ओ–14015/2/2015–पीएएमडी दिनांक 29 जून, 2015 के माध्यम से संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए। संशोधित दिशा–निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क. नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें/कार्यक्रम जिन्हें संसाधनों के पूर्ण प्रावधान के साथ संबंधित मंत्रलयों/विभागों के बजट में शामिल किया गया है, के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, नई कोयला और विद्युत परियोजनाएं, राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व की नई रेल परियोजनाएं तथा नई परियोजनाएं जिन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बजट में शामिल किया गया है, के लिए भी सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) की आवश्यकता नहीं होगी।

ख. सभी नई रेल परियोजनाएं (राष्ट्रीय और रणनीतिक परियोजनाओं को छोड़कर) जिन्हें रेल मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है, के मामले में प्रत्येक श्रेणी जैसे विद्युतीकरण, दोहरीकरण आदि के प्रस्तावों पर कार्रवाई एकल बैच में की जाएगी ताकि परियोजना की समय सीमा और लागत अनुमान के बारे में एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके। सभी परियोजना प्रस्तावों की जांच पहले एक समूह जिसमें नीति आयोग के सलाहकार (परिवहन) और सलाहकार (एफआर) तथा रेलवे बोर्ड के ईडी (आयोजना)/ईडी (रेलवे विद्युतीकरण)/ ईडी (निर्माण), द्वारा की जाएगी जो सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) हेतु निधियों की उपलब्धता के लिए परियोजनाओं, अपनी प्राथमिकता तथा प्रतिबद्धता की लघुसूची तैयार करेंगे।

ग. नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें/कार्यक्रम जिनके लिए 2015–16 के बजट में केवल सांकेतिक प्रावधान किया गया है या कोई प्रावधान नहीं किया गया है, के लिए मंत्रालय/विभागों को अन्य बातों के साथ–साथ उपर्युक्त दिशा–निर्देशों में यथाअपेक्षित बयौरा दर्शाते हुए निर्धारित एसएफसी/ईएफसी प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

**वर्ष 2015-16 के दौरान क्षेत्रक-वार मूल्यांकित ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्तावों की लागत और संख्या**

| **क्र.स.** | **क्षेत्रक** | **परियोजनाओं की संख्या** | **कुल लागत (करोड़ रू. में)** |
|---|---|---|---|
| | **कृषि** | | |
| 1. | कृषि और संबंधित क्षेत्रक | 2 | 71455.00 |
| | **ऊर्जा** | | |
| 2. | विद्युत | 6 | 8511.20 |
| 3. | कोयला | 1 | 16029.32 |
| 4. | पेट्रोलियम एवं प्रोंतिक गैस | 1 | 616.95 |
| 5. | नई और नवीकरणीय ऊर्जा | 1 | 15580.00 |
| | **परिवहन** | | |
| 6. | रेलवे | 1 | 44369.56 |
| 7. | सतही परिवहन | 1 | 53519.60 |
| 8. | पोत परिवहन | 4 | 2889.00 |

| क्र.स. | क्षेत्रक | परियोजनाओं की संख्या | कुल लागत (करोड़ रू. में) |
|---|---|---|---|
| | **उद्योग** | | |
| 9. | उद्योग | 2 | 4327.30 |
| 10. | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | 3 | 26008.00 |
| 11. | इस्पात एवं खान | 1 | 92.00 |
| 12. | पैट्रो रासायनिक एवं उर्वरक | 3 | 16133.29 |
| 13. | वस्त्र | 3 | 9521.59 |
| 14. | खाद्य प्रसंस्करण | 3 | 17250.00 |
| | **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** | | |
| 15. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | - | - |
| 16. | पृथ्वी विज्ञान | - | - |
| | **सामाजिक सेवाएं** | | |
| 17. | एचआरडी | 7 | 34197.93 |
| 18. | संस्कृति | - | - |
| 19. | युवा कार्य एवं खेल | 1 | 524.00 |
| 20. | स्वास्थ्य | 3 | 10469.14 |
| 21. | महिला एवं बाल विकास | 1 | 18822.00 |
| 22. | श्रम | 1 | 1350.00 |
| 23. | सामाजिक न्याय | 2 | 2814.76 |
| 24. | शहरी विकास | 1 | 3770.00 |
| 25. | ग्रामीण विकास | 2 | 268972.00 |
| 26. | अल्पसंख्यक कार्य | 3 | 7230.00 |
| 27. | जनजाति कार्य | - | - |
| 28. | पेयजल आपूर्ति | 1 | 9000.00 |
| | **सामाजिक सेवाएं** | | |
| 29. | सूचना एवं प्रसारण | 1 | 969.49 |
| 30. | डाक | 1 | 300.00 |
| 31. | सूचना प्रौद्योगिकी | - | - |
| | **अन्य** | | |
| 32. | गृह | 2 | 3992.87 |
| 33. | पर्यावरण एवं वन | 1 | 990.00 |
| 34. | विधि और न्याय | - | - |
| 35. | जल संसाधन | 2 | 3679.77 |
| 36. | पूर्वोत्तर क्षेत्र | - | - |
| 37. | वित्त/कॉरपोरेट कार्य | 2 | 13000.00 |
| 38. | नीति आयोग | 2 | 1250.00 |
| 39. | विदेश | - | - |
| | **कुल** | **144** | **667634.77** |

# स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ

देश के विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका सुस्थापित है क्योंकि उनकी पहुंच सबसे निचले स्तर तक के लोगों तक होती है। गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को महज सरकारी स्कीमों की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी मानने की बजाए, अब विकास में भागीदार माना जाने लगा है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ ने स्वैच्छिक क्षेत्र से जुड़े कार्य किये तथा गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तथा केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों की समीक्षा की। स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ (वीएसी) द्वारा उक्त वर्ष के दौरान किए गए मुख्य कार्य निम्नवत् हैं:

**2.1 गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) तथा केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस) स्कीमों की समीक्षा**

(प) पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त एक पत्र में उन केंद्र प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा और उस पर एक रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया गया था जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तदनुसार, 8 केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) तथा उनके संघटकों और 62 केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों जिनके अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता दी जाती है, उनकी समीक्षा की गई तथा चयन प्रक्रियाओं अनुवीक्षण और मूल्यांकन, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता से संबंधित स्कीमों में चिह्नित सर्वोत्तम कार्यशैली पर प्रधानमंत्री कार्यालय को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई।

(ii) इस रिपोर्ट (स्कीम के विभिन्न पहलुओं के विस्तृत अध्ययन के आधार पर तैयार की गई थी जिसमें प्रयोजन, वित्तपोषण प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन, उत्तरदायित्व और कवर किए गए राज्य आदि शामिल थे) में पारदर्शिता, लक्षित तथा दक्ष डिलीवरी, अनुवीक्षण और मूल्यांकन को बेहतर बनाने संबंधी सिफारिशें भी थीं।

**2.2 गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु सामान्य दिशानिर्देश**

(i) मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्देश के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप, केंद्र प्रायोजित/केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों की समीक्षा के संबंध में, सचिव समिति (सीओएस) के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया। इस नोट पर सर्वप्रथम अधिकारी समूह की बैठक में विचार किया गया था।

**एनजीओ के माध्यम से स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु सामान्य दिशा-निर्देश**

दिशानिर्देशों की मुख्य बातें हैं–

- डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण अर्थात् एनजीओ–पीएस पोर्टल में एनजीओ के डेटाबेस का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखरखाव।
- चयन प्रक्रिया अर्थात् एनजीओ के चयन के मानदंड तथा परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए एनजीओ के चयन में राज्यों की सहभागिता।
- अनुवीक्षण और मूल्यांकन अर्थात् एनजीओ के निष्पादन/निधि उपयोग का अनुवीक्षण ताकि निधियों के दुरूपयोग को रोका जा सके और एनजीओ का तृतीय पक्ष मूल्यांकन ताकि परियोजना के मुख्य पहलुओं की दिशा में उनके फोकस और संवेदनशीलता का मूल्यांकन किया जा सके।
- उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता अर्थात् महालेखा नियंत्रक, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में जारी अनुदानों को दर्शाया जाना तथा उपयोग प्रमाणपत्र, प्रतिभूति बंधपत्रों को भरा जाना आदि दस्तावेजों की प्रस्तुति।

तदुपरांत, सीओएस की 24.07.2015 को आयोजित बैठक में संशोधित सीओएस नोट पर विचार किया गया। सीओएस ने नीति आयोग को एक न्यूनतम अर्हक मानदंड के आधार पर एक संशोधित सामान्य दिशानिर्देश तैयार करने तथा एनजीओ–पीएस पोर्टल पर गैर–सरकारी संगठनों की सूची डालने का निर्देश दिया। तदनुसार, सितंबर, 2015 में सामान्य दिशानिर्देश जारी किए गए। दिशा–निर्देश का मूल उद्देश्य एनजीओ के माध्यम से स्कीमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना है।

(ii) तथापि, ये दिशा–निर्देश केवल निदर्शनात्मक है, सर्वांगीण नहीं हैं। स्कीमों के कार्यान्वयन में एनजीओ की विश्वसनीय, पारदर्शिता और जवाबदेही संलग्नता के लिए मंत्रालयों/विभाग को अतिरिक्त प्रक्रियाएं/शर्तें जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है अतरू वे इन सामान्य दिशा–निर्देशों में अपने क्षेत्रक/स्कीम विशिष्ट–दिशा निर्देश तैयार कर सकते हैं।

(iii) यह प्रभाग नीति आयोग के एनजीओ–दर्पण (एनजीओ–पीएस) पोर्टल के पुनर्वैधीकरण की प्रक्रिया में भी संलग्न रहा है जैसा कि सचिवों की समिति ने अपनी जुलाई 2015 की बैठक में निर्णय लिया था। यह पोर्टल एक मंच है जहां देश के एक एनजीओ से संबंधित डाटा को इलेक्ट्र निक रूप से सुरक्षित किया जाता है जो कि विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के तहत अनुदान प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने का इरादा रखते है। पोर्टल पर साईन अप करने वाले एनजीओ से संबंधित सूचना के संबंध में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए वर्तमान एनजीओ–दर्पण (एनजीओ–पीएस) पोर्टल को पुनः तैयार करने के लिए प्रभाग, एनआईसी के सहयोग से कार्य कर रहा है।

## डेटा प्रबंधन और विश्लेषण

डेटा प्रबंधन और विश्लेषण वर्टीकल का कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में समय श्रृंखला डेटा के संकलन से संबंधित है ताकि विभिन्न क्षेत्रकों में अर्थव्यवस्था के कार्य–निष्पादन का विश्लेषण किया जा सके। वर्टीकल के पास उपलब्ध डेटा मुख्यतया द्वितीयक डेटा है जिसका संग्रहण महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) तथा आधिकारिक डेटा के संग्रहण में कार्यरत अन्य एजेंसियों से किया जाता है। राज्य सांख्यिकी संबंधी डेटा पर परस्पर संवाद की सुविधा से युक्त वेब पोर्टल तैयार करने हेतु यह वर्टीकल राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), नीति आयोग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

यह वर्टीकल क्षेत्रकीय जीडीपी विकास, केन्द्र और राज्य सरकारों के वित्त, कीमतों (डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, दोनों), बाह्य क्षेत्रक (एफडीआई तथा एफआईआई अंतर्वाह, विदेशी मुद्रा भंडार, चालू लेखा घाटा), सकल पूंजी निर्माण, बचत, अंतिम उपभोग व्यय आदि सहित प्रमुख बृहद–आर्थिक संकेतकों के अध्ययन और विश्लेषण में कार्यरत है। विभिन्न बृहद–आर्थिक समूहों के संबंध में समय श्रृंखला डेटा का संकलन और सावधानीपूर्वक अनुवीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य/जिला स्तरीय संकेतकों का भी संकलन और विश्लेषण किया जाता है।

**उत्तरदायित्व**

1. बचत और निवेश, राजकोषीय कार्य–निष्पादन, मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्रक कार्य–निष्पादन, वैश्विक आर्थिक परिवेश पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास संबंधी कार्य–निष्पादन का विश्लेषण करता है;
2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए परिवार उपभोग व्यय संबंधी बृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) डेटा के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से राज्य–वार गरीबी अनुपात का अनुमान लगाता है और गरीबी सूचकांकों में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है;
3. विभिन्न समितियों, विशेषज्ञ समूहों आदि के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परिकलित वैकल्पिक गरीबी अनुपातों और सूचकांकों की जांच करता है;
4. आर्थिक रणनीति और नीति के संबंध में संसद, अर्थशास्त्रियों और राज्यों के फोरम, अन्य देशों के राष्ट्रीय योजना आयोगों के प्रतिनिधिमंडल तथा अपने–अपने न डल मंत्रालयों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी संस्थाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया में सहयोग देता है;
5. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा भारत के महापंजीयक के लिए योजना प्रस्तावों के संबंध में नॉडल वर्टीकल;
6. सार्क विकास लक्ष्यों के संबंध में नॉडल वर्टीकल।

**वर्टिकल के अधिकारी निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलापों में संलग्न रहे हैं:**

क. नीति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए राज्य सांख्यिकी संबंधी डेटा का संग्रहणः इसका उद्देश्य प्रदेयों (डिलिवरेबल्स) के आधार पर राज्यों के कार्य–निष्पादन का अनुवीक्षण करने हेतु एकीकृत डेटाबेस सृजित करना है। 7 प्रमुख श्रेणियों नामतः जनांकिकी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू परिसम्पत्तियां और सुख–सुविधाएं, राज्य वित्त और विविध के संबंध में डेटा उपलब्ध कराया गया है।

ख. दक्षिण एशिया में उच्च मूल्य–श्रृंखलाओं के साथ हाईलैंड खाद्य सुरक्षा संबंधी निवेश हेतु सार्क क्षेत्रीय परियोजना प्रस्ताव और गरीबी उपशमन के संबंध में सार्क बैठकों के लिए कार्रवाई–बिंदुओं पर टिप्पणियां/राय प्रस्तुत की।

ग. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों के अंगीकरण तथा आंकड़ों का संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2015 के अधिनियमन के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए प्रारूप नोट पर टिप्पणियां प्रस्तुत की।

घ. भारतीय सांख्यिकी संस्थान को सहायता–अनुदान के आकलन एवं मूल्यांकन हेतु प्रारूप ईएफसी ज्ञापन पर टिप्पणियां प्रस्तुत की।

ङ. भारत–चीन आर्थिक सहयोग का सुदृढ़ीकरणः अधिक घनिष्ठ विकासात्मक साझेदारी का निर्माण; एसडीजीः समावेशी विकास और संधारणीयता; भारतः बृहद–आर्थिक सिंहावलोकन आदि जैसे विषयों पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतियां तैयार की।

च. क्षेत्रकीय जीडीपी विकास, केन्द्र और राज्य सरकारों के वित्त, कीमतों (डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, दोनों), बाह्य क्षेत्रक (एफडीआई और एफआईआई अंतर्वाह, विदेशी मुद्रा भंडार, चालू लेखा घाटा) आदि सहित प्रमुख बृहद–आर्थिक संकेतकों का अध्ययन और विश्लेषण।

छ. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जो इस संबंध में नॉडल मंत्रालय है, द्वारा संकलित और प्रदान की गई सूचना के आधार पर सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों, सार्क विकास लक्ष्यों के तहत की गई प्रगति का समय–समय पर अनुवीक्षण।

ज. आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) के विकास योजना केन्द्र (डीपीसी) तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), दिल्ली की योजना और नीति अनुसंधान इकाई (पीपीआरयू) की सलाहकार समिति से संबंधित सभी मामले।

# अंतरराष्ट्रीय कार्य

### अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)

नीति आयोग ने विश्व के अग्रणी थिंक टैंक, अर्थात् आईईए के साथ 4 मार्च, 2016 को पेरिस में आशय विवरण पर हस्ताक्षर किए। आईईए मुख्यालय पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविन्द पानगढ़िया और आईईए के कार्यकारी निदेशक डॉ. फैथ बॉइरॉल के मध्य हस्ताक्षर हुए। आशय विवरण दोनों एजेंसियों के मध्य ऊर्जा नीति और बाजार अनुसंधान, तकनीकी जानकारी का आदान–प्रदान, डाटा विश्लेषण, विश्लेषणात्मक तकनीकों और इकोनोमैट्रिक मोडलों और सूचना के आदान–प्रदान के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोनाएं आरंभ करने के लिए दोनों एजेंसियों के बीच सहयोग प्रदान करता है। नीति आयोग पहले ही ऊर्जा मंत्रालयों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा नीति तैयार करने और नीति अंतःक्षेपों संबंधी सलाह देने के कार्य में संलग्न है। आईईए के साथ यह आशय विवरण उपर्युक्त कार्यों में ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक प्रौद्योगिकी और बाजार विकासों पर बेहतर परिदृश्य के माध्यम से सहयोग करेगा।

## ऊर्जा अर्थशास्त्र संस्थान, जापान (आईईईजे)

नीति आयोग ने वैश्विक थिंक–टैंकों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाते हुए 9 दिसंबर, 2015 को ऊर्जा अर्थशास्त्र संस्थान, जापान (आईईईजे) के साथ भी एक आशय विवरण पर हस्ताक्षर किए। डॉ. अरविन्द पानगड़िया, उपाध्यक्ष ने 16–17 मई, 2016 को टोक्यो का दौरा किया और उपर्युक्त उल्लखित संस्थान में विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), श्री अमिताभ कांत ने कार्य दल की प्रथम बैठक के लिए 8–9 जून, 2016 को दौरा किया जिसमें इन्होंने आईईईजे जाने वाले एक समूह का नेतृत्व किया। बैठक में दोनों देशों में ऊर्जा क्षेत्रक चुनौतियाँ संबंधी प्रस्तुतीकरण शामिल थे। दो संस्थान प्राकृतिक गैस माँग, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का समेकन और उच्च कुशलता, कम गैस उत्सर्जन वाले कोयला आधारित संयंत्रों पर कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं।

## विकास अनुसंधान केन्द्र, चीन

नीति आयोग ने चीन सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक, अर्थात् विकास अनुसंधान केन्द्र (डीआरसी), चीन के साथ 15 मई, 2015 को करार किया। यह सहयोग पारस्परिक परामर्श और सहमति की शर्तों के आधार पर सार्वजनिक पहुँच में नीति कार्यक्रमों का आदान–प्रदान, संयुक्त अध्ययन एवं अनुसंधान, दौरों का आदान–प्रदान, संयुक्त कार्यशालाओं और सम्मेलनों की अभिकल्पना करता है। दोनों पक्षों की प्रथम बैठक 23–24 नवंबर, 2015 को बीजिंग में हुई, जिसमें नीति आयोग के अधिकारियों की टीम का नेतृत्व उपाध्यक्ष श्री अरविन्द पानगड़िया द्वारा किया गया। विचार–विनिमय में (i) वैश्विक आर्थिक पुनर्संरचना में चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाएं अवसर एवं चुनौतियांय (ii) क्षेत्रीय व्यापारिक संगठनय चीन और भारत पर प्रभावय (iii) चीन–भारत आर्थिक सहयोग सुदृढ़ीकरणय और अधिक विकासात्मक भागीदारी का निर्माण पर प्रस्तुतीकरण शामिल थे। इस पर सहमति व्यक्त की गई कि दोनों पक्ष एशिया–प्रशांत क्षेत्र में और ईयू एवं यूएस के मध्य व्यापारिक संधियों के उभरने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों की जांच करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन आरंभ करेंगे। यह भी अभिकल्पित किया गया है कि यह सहयोग भारत और चीन के बीच व्यापार को आगे बढ़ाएगा और उभरते वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य के प्रति प्रत्येक की अलग–अलग प्रतिक्रिया का निर्धारण करने में सहायता करेगा।

**राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी), चीन**

नीति आयोग का एडीआरसी, चीन के साथ 26 नवंबर, 2012 से (एसईडी) पर एक समझौता ज्ञापन चल रहा है। इस ढांचे के तहत, दोनों देश अवसंरचना, नीति समन्वय, पर्यावरण सुरक्षा और उच्च–प्रौद्योगिकी सहित बहुक्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह ढांचा समझौता दोनों देशों के विविध मंत्रालयों को उनसे संबंधित बहुक्षेत्रों में कार्य संलग्नता का मंच प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, उपर्युक्त क्षेत्रों पर कार्यदलों ने पारस्परिक विचार–विनिमय किया। कार्यनीतिक आर्थिक संवाद की अगली बैठक पारस्परिक सुविधा के अनुसार तय तारीखों को नीति आयोग द्वारा भारत में आयोजित की जाएगी।

**कार्य प्रबंधन और प्रदायगी इकाई (पीईएमएएनडीयू), मलेशिया**

प्रधानमंत्री मलेशिया दौरे के दौरान नीति आयोग और कार्य प्रबंधन और प्रदायगी इकाई (पीईएमएएनडीयू) के बीच 23 नवंबर, 2015 को कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री कार्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन कार्य प्रबंधन, परियोजना प्रदायगी और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी बढ़ाने, कार्यान्वयन पद्धतियों और प्रक्रिया की कुशलता में सुधार के लिए सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित निगरानी और सरकारी कार्यक्रमों के निष्पादन की निगरानी के लिए टेम्पलेट्स और टूल्स का विकास करने की अभिकल्पना करता है। महाराष्ट्र में सफल अंतःक्षेप के आधार पर, विभिन्न राज्यों द्वारा राज्यों में चुनिंदा कार्यक्रमों के लिए पीईएमएएनडीयू निगरानी प्रक्रिया की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की है। उपर्युक्त सहकारी प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों में उपर्युक्त निगरानी ईकाईयों की स्थापना को सुगम बनाने का कार्य नीति आयोग से अपेक्षित है।

**जी 20**

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सितंबर, 2015 से भारत के जी20 शेरपा के रूप में कार्य कर रहें है। इस हैसियत से, इन्होंने 2015 के दौरान तुर्किश प्रेसिडेंसी के तहत शेरपा बैठक में और 2016 के दौरान चीनी प्रेसिडेंसी में प्रतिनिधित्व किया। 2015 के दौरान, इन्होंने अन्तल्या, तुर्की में जी20 लीडर्स कम्यूनीक में भारत की तरफ से संवाद का नेतृत्व किया। अन्तल्या जी20 संवाद एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि इसके तुरंत बाद पैरिस जलवायु परिवर्तन संवाद और नेरौबी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) संवाद होने जा रहे थे। जी20 के कई विकसित सदस्य देश जी20 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और व्यापार संवाद में उनके कुछ उद्देश्यों के संबंध में जल्दी लाभ उठाने के इच्छुक थे। भारतीय हितों की रक्षा के लिए, भारतीय शेरपा ने विकसित देशों के शेरपाओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों का व्यवस्थित रूप से प्रतिरोध किया। पेरिस और नेरौबी में भारत के लिए संवाद स्थान सुरक्षित करने के साथ संवाद दो दिन और तीन रात चला।

जैसा कि ज्ञात हुआ, 2016 में, जी20 प्रेसिडेंसी चीन में स्वीकृत हो गई है। बीजिंग, गुआगंझु और श्यामन में तीन शेरपा बैठकें पहले ही हो चुकी है। चीनी प्रेसीडेंसी ने निवेश नियमों पर बढ़ती हुई प्रगति और दिशा–निर्देशों के संदर्भ में नये विषयों जैसे नवोन्मेष, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नई औद्योगिक क्रांति की शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त, पहले की प्रेसिडेंसियों में आरंभ किए गए विषयों जैसे विकास, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, रोजगार और श्रम व्यापार और आतंकवाद–विरोध को आगे बढ़ाया जा रहा है।

**संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी)**

भारत सहित 193 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर, 2015 को 17 संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 संबंधित लक्ष्यों को संकल्पित किया गया है और 1 जनवरी, 2016 से लागू हो गये। एसडीजी ने 2000–2015 के पिछले 15 वर्ष की अवधि कवर और एसडीजी ने 2016 से 2030 की अवधि को कवर करता है। संधारणीय विकास लक्ष्य गरीबी को इसके सभी पहलुओं सहित समाप्त करने और 2030 तक लोगों के लिए, समृद्धि के लिए और संपूर्ण गृह के लिए एक समान, उचित और सुरक्षित विश्व का विकास करने के लिए सार्वभौमिक समझौता है। एसडीजी का स्नैपशॉट नीचे चित्र में दिया गया है।

**राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं**

(क) केन्द्र सरकार स्तर पर, संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन की निगरानी की भूमिका नीति आयोग को सौंपी गई है जबकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) 17 एसडीजी और 169 लक्ष्यों से संबंधित सूचकांकों को तैयार कर रहा है।

(ख) नीति आयोग और एमओएसपीआई से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एसडीजी पर एक कार्य समूह का भी गठन किया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार, सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप पहलों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के संबंध में लक्ष्यों और उद्देश्यों का प्रारूप मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया गया है, और अधिक जागरूकता और एसडीजी और लक्ष्यों के तीव्रतर कार्यान्वयन के लिए इन्हें मंत्रालयों में प्रचालित किया गया और नीति आयोग की वेबसाइट (www.niti.gov.in) पर अपलोड किया गया।

(घ) स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित क्रमशः एसडीजी 3 और 4 पर ध्यान देते हुए नीति आयोग और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा 9 और 10 फरवरी, 2016 को एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। परामर्श बैठक में राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, गैर–सरकारी संगठनों, अकादमियों,

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आरआईएस और नीति आयोग ने भाग लिया।

(ङ) एक सम्मेलन 25 फरवरी, 2016 को भी आयोजित किया गया जिसमें उपाध्यक्ष, नीति आयोग, डीजी, एडीबी और पणधारियों ने एसडीजी और इससे संबंधित कार्यान्वयन मुद्दों पर विचार व्यक्त किए।

## पहुंच और संचार

**उत्तरदायित्व**

एक नई संस्था के रूप में, नीति आयोग अपने प्रथम वर्ष में आवश्यक स्रोतों, ज्ञान, कौशलों का सृजन कर रहा था जो कि गति से कार्य करने, सरकार के लिए उसके प्रथम वर्ष में कार्यनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए इसकी क्षमता में अभिवृद्धि करेगा।

सुदृढ़ संचार प्रबंधन का विकास और पहुंच संबंधी कार्यनीति नीति निर्माण में नई दिशा और उत्साह के समावेशन के लिए सरकार के प्रमुख थिंक–टैंक के रूप में नीति आयोग के कार्य को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है।

**बजट वार्ता**

भारत सरकार का प्रमुख थिंक–टैंक, नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) केन्द्र के साथ–साथ राज्य सरकारों को महत्वुपूर्ण निर्देशात्मक और नीति सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय बजट 2016 के जारी होने पर, नीति आयोग ने प्रत्यक्ष रूप से देश के नागरिकों के साथ एक सीधे संपर्क का आयोजन किया।

जनता के साथ संपर्क MyGov पोर्टल के माध्यम से, गूगल इंडिया के साथ सहयोग से 2 और 3 मार्च, 2016 को किया गया। वार्ता के पहले दिन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविन्द पानगड़िया ने केन्द्रीय बजट की बहुत सी जटिलताओं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रकों पर इसके वास्तविक प्रभाव को स्पष्ट किया। दूसरे दिन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), श्री अमिताभ कांत ने भारत सरकार द्वारा निर्मित मुख्य नीतियों के लिए बताया कि बजट में कितना प्रावधान है। सरकार के ध्यान वाले क्षेत्रकों और स्कीमों के मध्य नजर, सीईओ ने देश में रोजगार सृजन, निवेश और आर्थिक विकास पर बजट के प्रत्यक्ष प्रभाव को स्पष्ट किया। एक ऐसी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो कि जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए सरकार को सक्षम बनाने हेतु नए नीति विचारों का समावेशन करता है, श्री कांत ने स्कीमों और नीतियों को, जैसी कि वे बजट में उल्लेखित हैं, को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में नीति आयोग की भूमिका का भी ब्यौरा प्रस्तुत किया।

नीति आयोग के विशेषज्ञों की जनता के साथ बजट पर यह अपनी तरह की प्रथम एवं प्रत्यक्ष चर्चा थी और आम जनता के लिए बजट के क्या मायने है, पर केन्द्रित थी। केन्द्रीय बजट के जारी होते ही सीधी चर्चाएँ आयोजित की गईं ताकि भारत के थिंक टैंक के शीर्ष विशेषज्ञ लघुकालिक और दीर्घकालिक संभावनाओं का ब्यौरा और भारत के समक्ष इसके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए नागरिकों को इसके प्रावधानों के बारे में स्पष्ट करें।

केन्द्रीय बजट पर एक विशिष्ट, विशेषज्ञ परिदृश्य प्रदान करने के अतिरिक्त, दोनों वक्ताओं ने दर्शकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रश्न दोनों दिन अग्रिम रूप से और चर्चा के दौरान MyGov पोर्टल के अतिरिक्त नीति आयोग के सोशल मीडिया पर पूछे गए। चर्चाएँ नीति आयोग की वेबसाईट www.niti.gov.in पर उपलब्ध हैं।

**भारत परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जेंडर आधारित समानता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार ने बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की बाधाओं को दूर करने के लिए बालिकाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना को शामिल करते हुए अंतःक्षेपों की शुरुआत की है। न्यूयार्क में सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संधारणीय विकास सम्मेलन में भारत संधारणीय विकास लक्ष्यों को अंगीकार करने वाले 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों में से एक था। इस बात को स्वीकार करते हुए कि सभी एसडीजी में निभाने के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, एजेंडा 2030 अंगीकार करने से पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में जेंडर संबंधी पृथक लक्ष्य की आवश्यकता का समर्थन किया। नीति आयोग को संधारणीय विकास लक्ष्यों संबंधी केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के मध्य योजना बनाने, निगरानी और प्रयासों के समन्वय की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2016 को महत्व प्रदान के लिए, नीति आयोग ने MyGov और संयुक्त राष्ट्र के साथ भागीदारी से भारत में आम जनता से ऐसी सफलता की कहानियां आमंत्रित करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें अदम्य साहस वाली ऐसी महिलाएँ प्रतिबिंबित होती हो, जो परिवर्तन लेकर आई हो। अभियान की विषय–वस्तु 'भारत परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका' था। नीति आयोग द्वारा परिवर्तन लाने वाली और नए धरातलों की खोज करने वाली, स्वयं/या अन्य का सदृढ़ीकरण करने वाली या घिसी–पीटी परिपाटी को चुनौती देने वाली महिलाओं की कहानियों को मंगवाया गया, विशेषकर निम्नांकित क्षेत्रों में:

1. आर्थिक–समुदायों के लिए आजीविका अवसरों का सृजन करने हेतु लघु व्यवसाय/उद्यमों की स्थापना में नेतृत्व का प्रदर्शन

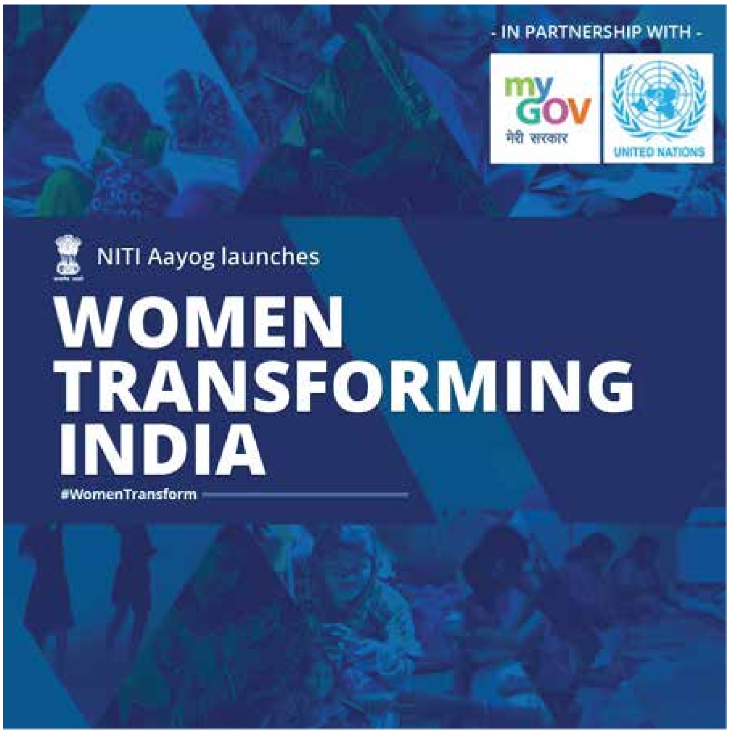

2. सामाजिक और सांस्कृतिक–भेदभावपूर्ण पद्धतियों, नियमों और मनोवृत्तियों को चुनौति देते हुए सामुदायिक नेतृत्व

3. पर्यावरण – पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नेतृत्व पहलें और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना।

**नीति आयोग के नीति संबंधी ब्रीफ्स और ब्लाग्स**

भारत में सुशासन के लिए ज्ञान और सूचना के आदान–प्रदान की संस्कृति की महत्ता को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने संस्था के थिंक–टैंक कार्य को वास्तविक बनाने के लिए कई पहलें शुरू की है। नागरिकों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के एक प्रयास में, नीति आयोग ने नीति आयोग की नई वेबसाईटः www.niti.gov.in पर शुरू किए गए इसके ब्लाग्स और नीति ब्रीफ्स खंडों के माध्यम से अर्थपूर्ण सामग्री के निरन्तर प्रवाह के सृजन की कोशिश की है।

नीति आयोग की नीति ब्रीफ्स को संस्था की वेबसाईट की नियमित विशेषता बना दिया गया है। महत्वपूर्ण नीति निर्णयों के पीछे औचित्य, उनके प्रभाव और अन्य महत्वपूर्ण विवरण आदि को नीति आयोग की वेबसाईट के नीति ब्रीफ्स खंड में सलाहकारों और अन्य विषय विशेषज्ञों के द्वारा लिखा जाता है। सार्वजनिक नीति के भिन्न–भिन्न क्षेत्रकों, जहां नीति आयोग ने निर्णय लिए हैं, उनमें सहायता की है, को इसमें शामिल किया जाता है। ये ब्रीफ्स देश और देश के बाहर मीडिया में नीति संबंधी वाद–विवाद को दिशा प्रदान करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करने के लिए लक्षित होते है।

संस्था के लिए पहुंच को बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषागत संस्कृति की स्थापना करने के लिए सभी अधिकारियों को नीति ब्लाग्स के लिए लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, इसमें विचार–विनिमय के लिए स्थान होना चाहिए जिसको कि संतुलित किया जाएगा। नीति आयोग की वेबसाईट पर कम–से–कम सप्ताह में एक बार ब्लाग्स को अपलोड करने की आवश्यकता है।

सत्यमेव जयते

नीति आयोग